खण्ड-222, अंक-10
गुरूवार, 30 चैत्र, शक संवत् 1883
(20 अप्रैल, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 222 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २० अप्रैल, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३२८

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ, लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री

गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजोत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रवली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, रावत, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ढूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पन्नेराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती

विशम्भरसिंह, श्री
बुद्धिसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भोखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महाबीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रामनाथ खेरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति श्री,
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन, यादव, श्री
रामशरणयादव, श्री

रामस्नेही भारतीय, श्री
रामस्नेहीलाल, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण बन्सल, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (एटा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—श्रम मन्त्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी तथा वित्त मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २० अप्रैल, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

चम्बल नदी के कगारों की सुधार योजना

**१—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चम्बल के कगारों के सर्वेक्षण उसके कगारों का बढ़ाव रोकने तथा उन्हें कृषि योग्य बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां ।

**२—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो क्या उसकी रूप रेखा से वह कृपा कर सदन को अवगत करायेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—वांछित योजना की रूप रेखा संलग्न नत्थी 'क' में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९०३ पर)

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार का ध्यान महामहिम राष्ट्रपति के उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि चम्बल और बेतवा की रैविन्स में डाकुओं का निवास-स्थान है इसलिये इसके समाधान का उपाय है कि इनको बराबर कर दिया जाय और उनको कृषि योग्य बना दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, राष्ट्रपति ने क्या कहा था उसका तो इस समय स्मरण नहीं है । लेकिन बहुत से लोगों की ऐसी राय है और उसी के अनुसार यह इरादा है कि इस भूमि को ठीक किया जाय जिससे यह काम में आ सके ।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह रैविन्स मध्य प्रदेश में फैली हुई है और हमारे यहां भी हैं और यह अन्तर प्रांतीय सवाल है तो इस प्रकार की स्कीम लागू करने के लिये विचार करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार भी उसमें शामिल हो क्योंकि वहां भी यह सवाल ऐसा ही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जहां तक इस प्रदेश का संबंध है ६४०० एकड़ भूमि का सर्वे करा चुके हैं और इरादा है कि १०,००० एकड़ भूमि का सुधार इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया जाय । इसमें लक्ष्य यह है कि १९६२–६३ में ८०० एकड़, १९६३–६४ में १७०० एकड़ और १९६४–६५ में २५०० एकड़, इस तरह से किया जायगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि कुल कितनी भूमि चम्बल घाटी की योजना में है और उस भूमि का सर्वेक्षण कराया है और उसको कृषि योग्य बनाने के लिये व्यय का क्या अनुमान है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सर्वेक्षण तो केवल ६४०० एकड़ भूमि का ही हुआ है, वैसे भूमि काफी है । १०,००० एकड़ भूमि का सुधार तीसरी पंचवर्षीय योजना में करने का विचार है और अनुमानित व्यय ५० लाख रुपये का है जिसके प्रावीजन करने का विचार है । कुल कितनी भूमि है, इसके आंकड़े इस समय नहीं हैं ।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जमुना के किनारे जो कगार हैं उनको भी इसमें शामिल करेंगे क्योंकि इस योजना के बाद डाकू यहां रहने लगेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह तो चम्बल का सवाल है । अभी दोनों मिली नहीं हैं ।

श्री झारखंडेराय---इस बात को देखते हुये कि यह कगार दोनों प्रान्तों में फैले हुये हैं, हमारे प्रान्त में अगर इनका समाधान हो गया तो इनके दूसरे प्रान्त में रहने के कारण फिर से फैलाव हो सकता है, सरकार इस पर विचार करेगी कि भारतीय सरकार के सहयोग से इसको खत्म करने की अन्तरप्रान्तीय योजना बनाई जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, यह सोचना कि कगारों को तोड़कर कृषि योग्य बना देने से डाकू कम हो जायेंगे यह शतप्रतिशत लागू नहीं होता क्योंकि उनको छिपने की जगह कम मिलेगी, लेकिन चम्बल की, बेतवा की बहुत जमीन है और गंगा में कगार नहीं हैं फिर भी वहां डाकू रहते हैं, इसलिये यह संभव नहीं है । वैसे मैंने निवेदन कर दिया है कि १० हजार एकड़ भूमि का हम सुधार करने वाले हैं ।

प्रान्तीय रक्षक दल

**३---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित) तथा श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या मितव्ययिता के हेतु प्रान्तीय रक्षक दल को तोड़ने का निश्चय सरकार ने कर लिया है ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---जी नहीं ।

**४---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित) तथा श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि १९६०-६१ में प्रान्तीय रक्षक दल के कुछ लोगों को पूर्व योजना के अनुसार स्थायी किया गया था, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष में किसी को स्थायी नहीं किया जा रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी---प्रान्तीय रक्षक दल में १ अप्रैल, १९६० से २०७ अस्थायी पद स्थायी किये गये थे और उन में से १९४ पदों में स्थायी नियुक्तियां की जा चुकी हैं, बाकी पदों में स्थायी नियुक्तियों का प्रश्न विभाग के विचाराधीन है । चालू वित्तीय वर्ष में और कोई अधिक पद स्थायी नहीं किये गये हैं ।

इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, गोंडा को मान्यता देने का आश्वासन

**५---श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गोन्डा जिले में इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट डाइरेक्टरेट आफ ट्रेनिंग एन्ड एम्प्लायमेन्ट, डिपार्टमेंट आफ लेबर, गवर्नमेंट आफ यू० पी० के अन्तर्गत चल रहा है ?

श्रम उपमंत्री (श्री वसी नकवी)---जी हां ।

**६---श्री अब्दुलरऊफ लारी---यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त इन्स्टीट्यूट द्वारा उत्तीर्ण छात्रों को सरकार मान्यता देती है कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वसी नकवी---प्रदेश में ऐसे सभी इन्स्टीट्यूट द्वारा उत्तीर्ण छात्रों को मान्यता देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । आशा की जाती है कि शीघ्र ही इस संबंध में उचित आदेश जारी होंगे ।

श्री अब्दुलरऊफ लारी---क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान गोंडा के इन्स्टीट्यूशन की तरफ गया है जो कि विद्यार्थियों को जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा देता है, उसमें लिखा है—

'GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

DEPARTMENT OF TRAINING AND EMPLOYMENT, U. P. DIRECTORATE,
DEPARTMENT OF LABOUR'

इस तरह का, मान्यवर, सर्टिफिकेट देना बड़ा भ्रामक है। लोग इससे धोखे में पड़ जाते हैं। इसके लिये सरकार कुछ करने को तैयार है। अगर इसको मान्यता नहीं दी गई है,तो ऊपर का शीर्षक लिखना रोक दें ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग दी जाती है इस लिये नाम लिखा हुआ है। तो शीर्षक पर आप को एतराज होना नहीं चाहिये। आपकी शिकायत इस पर है कि मान्यता नहीं दी गई है या मान्यता देने के बारे में लोगों की दरख्वास्त आयी थी। उस पर विचार किया गया है और मैं आशा करती हूं कि बहुत जल्द इस पर आर्डर निकल जायगा।

श्री अब्दुलरऊफ लारी---मान्यवर, मंत्री जी ने बताया है कि शीर्षक जो दिया हुआ है वह सरकारी दिया हुआ है। इस तरह के सर्टिफिकेट दिये गये हैं, वह मंत्री जी ने मान लिया है। लेकिन इस टाईटिल को ले कर जो लड़के वहां से पढ़ कर निकलते हैं, मैं मिसाल के तौर पर बताऊं, एक लड़का है जिसने इरीगेशन डिपार्टमेंट को ऐप्लीकेशन दी। उसके पास हेड आफ दि डिपार्टमेंट की तरफ से यह जवाब आया---

"As regards his request for promotion to the post of Draftsman on the ground that he has passed the Draftsman Examination from *Industrial Training* Institute, Gonda, his request cannot be acceded to as the above institution is not recognized by State Government."

तो क्या सरकार जो गवर्नमेंट से रेकनाइज्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है उसमें इस तरह का टाइटिल लगा कर लोगों को भ्रम में डालने से रोकेगी या उसको रेकगनाइज करेगी ?

श्री अध्यक्ष---उसने जो सर्टिफिकेट दिया है क्या उसमें यह लिखा है कि 'It is recognized by the Government.'

श्री अब्दुलरऊफ लारी---जो सर्टिफिकेट दिया है मैंने उसका ऊपर का शीर्षक पढ़ कर सुना दिया। मंत्री जी ने उसको मान लिया।

श्री अध्यक्ष---मान्यता थोड़े ही दी है। यह मान लिया है कि ऐसा सर्टिफिकेट दिया होगा। लेकिन रेकगनाइज तो नहीं किया।

श्री अब्दुलरऊफ लारी---वह तो ऐसी चीज हो गयी जैसे---

"Made as in America."

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कई बार इस सदन में आश्वासन दिया जा चुका है कि आई० टी० आई० के विभिन्न कोर्सेज को, ड्राफ्ट्स मैन, मोटर मैकेनिक वगैरह को सरकार मान्यता देने पर बहुत जोरों से विचार कर रही है, कई साल से सुन रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कब तक विचार हो जायगा और यह मान्यता प्राप्त हो जायगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---मैं आशा करती हूं कि बहुत ही जल्दी निकल जायगा और मैं जरा इसको समझा दूं। दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट्स समझते थे कि यहां जो ट्रेनिंग हो रही है उससे सीख के जो आते हैं वह उतना ज्यादा नहीं जानते, इसलिए वह मान्यता देने को तैयार नहीं थे तो इसके लिए इंटर डिपार्टमेंटल सारे डिस्कशंस वगैरह करके और लेबर सेक्रेटरी से सबसे बात करवा के यह तय करवा दिया है, अभी आर्डर निकलने को बाकी है, वह जल्दी ही हो जायगा। यह मामला करीब-करीब तय हो गया है।

नवीन राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड

७—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नये राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों को खोलने का क्या आधार उसने निश्चित किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से नये पूर्व प्रसार (Pre-extension) खंड खोलने में प्रायः उन्हीं स्थानों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें सिंचाई के अधिक अच्छे साधन उपलब्ध हों।

८—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (अनुपस्थित)—क्या विकास मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि पहली अप्रैल, १९६१ को प्रदेश में कौन-कौन से राष्ट्रीय सेवा खंड नये खोले गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—१ अप्रैल, १९६१ को ५६ नये पूर्व प्रसार (Pre-extension) खंड खोले गये हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९०४–९०५ पर)

आई० ए० एस० तथा आई० सी० एस० श्रेणी के नवीन पद

९—श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० तथा १९६०-६१ में कितने ऐसे नये पदों का सृजन हुआ जिन पर आई० ए० एस० तथा आई० सी० एस० अधिकारियों ने कार्य किया ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—वित्तीय वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में २२ और १५ नये पदों का क्रमशः सृजन हुआ जिन पर आई० ए० एस० तथा आई० सी० एस० अधिकारियों ने कार्य किया।

१०—श्री गौरीशंकर राय**—क्या इन पदों के सृजन किये जाने के सम्बन्ध में विधान मण्डल की स्वीकृति ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी नहीं। साधारणतः अधिकारियों के अस्थायी पदों के सृजन के लिये विधान मंडल की स्वीकृति लेने की प्रथा नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि इनके लिए लेजिस्लेचर से सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रथा केवल आई०-ए० एस० और आई० सी० एस० अधिकारियों के बारे में ही है या प्रदेश के सभी सरकारी छोटे बड़े कर्मचारियों के बारे में है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जो सर्विसेज आलरेडी स्थापित हैं और जिनके कैडर्स मौजूद हैं उनमें हम और जगह भी इसी तरह की व्यवस्था कर लेते हैं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि बजट मैनुअल के पेज १५ पर दिये गए जो एग्जाम्पिल्स न्यू एक्सपेंडीचर के हैं उनमें नम्बर १ पर इन्क्रीज आफ स्टाफ और नम्बर ३ पर कन्वर्शन आफ टेम्पोरेरी स्टाफ इनटू परमानेंट स्टाफ ये दोनों नये आइटम्स माने जाते हैं, तो इन ३७ आई० ए० एस० और आई० सी० एस० आफिसर्स की जगहों को नया पद न मानने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह आई० ए० एस० और आई० सी० एस० का तो सर्विस ऐक्ट जो है उससे उनका कैडर बना हुआ है और उस कैडर के अनुसार उनकी संख्या वगैरह भी निर्धारित है। तो किसी को उस कैडर में से किसी पद पर रख लें तो उसमें वह चीज नहीं आती है जिसकी तरफ अभी माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि इन नये पदों से मतलब क्या यह है कि वह बिलकुल नये प्रकार से क्रियेट किये गए हैं या ऐसे पदों से मतलब है कि जिन पर पहले कोई अधिकारी काम करते थे और उन्हीं पर फिर रिप्लेस किया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---नये पदों में से कुछ ऐसे हैं कि जैसे सेक्रेटरी थे तो कमिश्नर वहां पर काम करने लगे या कोई टेम्पोरेरी पोस्ट है, कोई एन्क्वायरी कमेटी थी उसके लिए सेक्रेटरी की जरूरत पड़ गई, इस तरह के पद हैं जो थोड़े दिन के लिए बने ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---जिन जगहों पर आई० ए० एस० या आई० सी० एस० अधिकारी लगाये गए उनकी जगहों के रिक्त होने पर कहीं न कहीं नीचे जाकर के कुछ लोगों की नियुक्ति हुई होगी, तो उसका खर्चा बजट में कैसे मीट किया गया, इसे मुख्य मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह तो बजट में अगर बचत होती है तो उसी से उनकी भी खपत हो जाती है और अगर अधिक खर्च होता है तो सप्लीमेंट्रीज में सदन के सामने आता है और सदन की स्वीकृति ले लेते हैं ।

श्री गौरीशंकर राय---माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि क्या इन ३७ पदों में से एक के लिए भी लेजिस्लेचर की सैंक्शन नहीं ली गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जब खर्चा अगर ज्यादा कहीं हुआ है तो वह तो सदन के सामने आया ही और सदन ने हमारे उस खर्चे को सप्लीमेंट्री के द्वारा मंजूर कर दिया तो सदन की मंजूरी हो गई ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कुटीर उद्योग विकास अनुदान

*१---**श्री रामकुमार वैद्य** (जिला मुरादाबाद)---क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय योजना-काल में कितनी धनराशि कुटीर उद्योगों के विकास के लिये नियत की गई है और सरकार उसे किस प्रकार व्यय करना चाहती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---कुटीर उद्योगों के विकास के लिये १,६३७.०० लाख रुपया तृतीय योजना काल के लिये नियत किया गया है । यह रुपया निम्न योजनाओं पर इस प्रकार व्यय होगा :---

	लाख
१---हथ करघा	२७५
२---लघु उद्योग	८३२
३---इंडस्ट्रियल स्टेट	३७५
४---सेरीकल्चर उद्योग	३५
५---हस्त कला	९०
६---ग्रामीण उद्योग	३०

*२—श्री रामकुमार वैद्य—क्या श्रम मन्त्री यह भी बतायेंगे कि कुटीरउद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं को बाजार दिलाने और मशीनी चीजों की अनुचित स्पर्धा से बचाने के लिये सरकार क्या उपाय अपनाने जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९०६ पर)

श्री रामकुमार वैद्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि हथकरघा उद्योग की स्थिति को और भी सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार किसी विशेष प्रकार के वस्त्रों को केवल हथकरघा के लिये रिजर्व करने पर विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसमें प्रगति तो काफी है । यदि कोई विशेष सुझाव आप के पास हो तो उसे भेज दीजियेगा ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो ३७५ लाख रुपया इंडस्ट्रियल स्टेट्स के लिये निर्धारित किया गया है यह इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो मौजूदा हैं उन पर ही खर्च किया जायगा या नयी स्टेट्स भी खोली जायंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—नयी जगह पर खोली जायंगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने एक बार यह आश्वासन दिया था कि हमारे प्रदेश के कुटीर उद्योगों के विकास के लिये सरकार एक अलग मंत्रालय स्थापित करने की बात पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उनके समुचित विकास के लिये क्या प्रदेश की सरकार एक अलग मंत्रालय बनाने को तैयार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो जो मंत्रालय है वही काटेज इंडस्ट्री को भी डील करता है और उसके उपसचिव वगैरह अलग हैं, लेकिन उनका सारा कार्य उस सचिव के पास जाता है जो कि बड़ी इंडस्ट्री और लघु उद्योग दोनों को देखते हैं ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे नयी जगहें कहां-कहां हैं जहां यह नयी इंडस्ट्रियल स्टेट्स खोली जायंगी और वे क्या शहरों के अलावा देहातों में भी स्थापित की जाने वाली हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इसमें बड़ी और छोटी दोनों तरह की इंडस्ट्रियल स्टेट्स का प्लान है और रूरल एरिया स्टेट्स हैं मगर कहां-कहां हैं उस की जानकारी में इस समय उनको नहीं दे सकती । नोटिस पाने पर दे सकती हूं ।

हायर जुडिशियल सर्विस के पेन्शन रूल्स

*३—श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या राज्य की हायर जुडिशियल सर्विस के पेन्शन रूल्स बन गये हैं ? यदि नहीं, तो वह किस स्तर (stage) पर विचाराधीन है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—इस सेवा श्रेणी के लिये अलग से पेन्शन रूल बनाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई । किन्तु इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि अलग रूल्स नहीं बनाने पड़े तो किन आदेशों की तहत में इस सर्विस के लोगों को पेंशन दी जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जो मौजूदा कायदे बने हुये थे उन्हीं की तहत में उन्हें पेंशन दी जा रही है और दी जायगी ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मौजूदा शब्द किस समय, काल और स्थिति से संबंध रखता है ?

श्री अध्यक्ष--आपका सवाल क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मेरा सवाल साफ है । जो उत्तर माननीय मुख्य मंत्री ने दिया है कि मौजूदा नियम के मुताबिक उनको पेंशन दी जा रही है, उसमें मैं जानना चाहता हूं कि मौजूदा शब्द किस समय, काल और स्थिति से संबंध रखता है ? वह १९५३, १९५२, १९४९ या १९४७ से संबंध रखता है या आजकल के किसी नियम से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जब से नियम बने हुए हैं उस समय से और आज तक वह लागू है और चल रहे हैं, उस सारे समय से यह संबंध रखता है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि हायर जुडिशियल सर्विस का निर्माण किस काल से हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वैसे तो निर्माण १९४९ में हुआ, लेकिन इस सर्विस को १९४७ से, जब से देश स्वतंत्र हुआ तभी से निर्मित करने का निर्णय मान लिया गया ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस तिथि में इस सर्विस का निर्माण हुआ उस तिथि के पहले ही इस सर्विस की पेंशन के नियम बन गये थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो स्टेट सर्विसेज थीं उनके सारे नियम पहले बने हुए थे और वही इस सर्विस पर भी लागू किये गये ।

टांडा में अनरजिस्टर्ड शक्ति चालित करघों के बन्द करने से बेकारी

*४--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर) तथा श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार को पता है कि टांडा जिला फैजाबाद में बहुत से शक्ति-चालित करघों के बन्द हो जाने से बुनकर तथा उन करघों से संबंधित अन्य बहुत से व्यक्ति इस समय बेकार हो गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं । सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री इस्तफा हुसैन---श्रीमन्, जो उत्तर दिया गया है "जी नहीं" वह बेकारी से संबंधित है या करघों के बन्द होने से है या दोनों से संबंधित है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, शक्ति चालित करघे बन्द नहीं है । स्थिति यह है कि लगभग ७०० लूम्स ऐसे थे जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी और उन पर १९४८ के इंडियन कन्ट्रोल आर्डर के मुताबिक मुकदमें चलाये जा सकते थे, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने यह मौका दिया कि वे ५०० रुपये देकर रजिस्ट्री करा लें तो उनको अधिकार मिल जायेगा । बाद में लोगों ने यह रिप्रेजेन्टेशन किया कि उस फीस को ५०० रुपये से कम कर दिया जाय, वह ज्यादा है, और समय भी बढ़ा दिया जाय उसको अब ५०० से १०० रुपये कर दिया है और अब रजिस्ट्रेशन की तारीख भी १५ मई, १९६१ तक हो गयी है । उसके प्रचार की आवश्यकता है और रिपोर्ट यही है कि वे बन्द नहीं हुये हैं ।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस व्यवस्था का जिक्र उत्तर में किया गया है वह कब से की गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, पहले तो तारीख ३१ अक्तूबर, १९६१ निश्चित थी, ५०० रुपये का जब केन्द्रीय सरकार ने आर्डर दिया था, लेकिन अब उसको १५ मई कर दिया गया है, इसके प्रचार की जरूरत है ।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बहुत से कारीगरों ने जिनके पास कई करघे थे, उन्होंने उनमें से कुछ का लाइसेंस ले लिया है और चालू सभी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो १७०० करघों को, जो अनधिकृत रूप से चल रहे थे, बन्द कर दिया गया, उनको बन्द करने से तथा लोगों को बेरोजगार करने से सरकार को क्या लाभ हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, बन्द नहीं किया गया है, उन पर मुकदमा भी चलाया जा सकता था, लेकिन हमने नहीं चलाया और उनसे अब कहा गया है कि वे रजिस्ट्रेशन करा लें ।

श्री देवीप्रसाद मिश्र---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शक्ति-चालित करघे वाले अपने कपड़े को हैन्डलूम का कपड़ा करके बेचते थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसका तो ज्ञान नहीं है, लेकिन शक्ति-चालित करघे थे, इतना जरूर जानते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी था ।

उद्योग विकास सम्बन्धी श्री चन्द्रभानु गुप्त का लेख

*५---**श्री गौरीशंकर राय**---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उनका ध्यान १६ मार्च के नेशनल हेरल्ड में प्रकाशित श्री चन्द्रभानु गुप्त के उस लेख की ओर गया है जिसमें उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि उद्योग के विकास की दृष्टि से अन्य राज्यों के मुकाबिले में, उत्तर प्रदेश ने सभी साधनों के रहते हुये भी वास्तव में अपने दस साल बरबाद किये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां ।

*६---**श्री गौरीशंकर राय**---अगर हां, तो उपर्युक्त स्थिति से बचने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९०७ पर)

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने जो यह लेख लिखा है कि उत्तर प्रदेश ने सभी साधनों के रहते हुये भी अपने दस साल बरबाद किये हैं इसका उत्तरदायित्व भी उन्होंने किसी पर निश्चित किया है और यदि नहीं किया है तो क्या इसके उत्तरदायित्व को कब तक निश्चित करने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---माननीय सदस्य पूरे लेख को पढ़ लें उसमें सारी बातें लिखी हैं । यदि माननीय सदस्य चाहें तो उस सारे लेख की कापी भी बटवा दी जायेगी ।

श्री गौरी शंकर राय---मैंने उसको पूरा पढ़ा है, मैंने तो यह सवाल पूछा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो यह कहा गया है कि १० वर्ष बरबाद चले गये तो इसका उत्तरदायित्व किस पर है ? क्या उसको उन्होंने निश्चित किया है और यदि नहीं किया है तो क्या वे अब ऐसा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वह तो हमारी जो योजना है उसमें निहित है। उन्हीं कमजोरियों को पूरा करने के लिये आज उद्योग धंधों का प्रसार किया जा रहा है और अन्य विषयों का भी इस योजना में समावेश किया गया है। उनके द्वारा वे कमियां पूरी हो जायेंगी और उद्योग धंधे अधिक तेजी से पनपेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह १० वर्ष की अवधि कब से गिनी जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह तो १९५० से १९६० तक के विषय में मैंने चर्चा की है।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लेख में जिन विचारों को व्यक्त किया गया है उन्हें आधार मानते हुए या उन्हीं आंकड़ों को आधारित करते हुए क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी की है कि ये १० वर्ष इस प्रकार से खराब गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो १० वर्ष की कमजोरियां और खामियां रह गयी थीं उनकी चर्चा बराबर आज की सरकार और पहली सरकार और १० साल में जो सरकारें काम करती रही हैं, वह बराबर केन्द्रीय सरकार के समक्ष बातों को व्यक्त करती रही हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

फलोपयोग विभागान्तर्गत हार्टीकल्चर शाखा के कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट

*१---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)---विधान सभा के १६ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्रेडेशन लिस्ट बनाने में सरकार द्वारा पहले लिस्ट बनाकर लोक सेवा आयोग की स्वीकृति के लिये भेजी गई अथवा लोक सेवा आयोग ने स्वयं नाम मांगे और तब ग्रेडेशन लिस्ट बनाई गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---साधारणतः ग्रेडेशन लिस्ट बनाने में लोक सेवा आयोग की स्वीकृति अपेक्षित नहीं होती है। अतः विभाग द्वारा ग्रेडेशन लिस्ट को आयोग की स्वीकृति के लिये भेजने या आयोग द्वारा उसको मांगने का प्रश्न नहीं उठता।

*२---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार उक्त ग्रेडेशन लिस्ट की एक†प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---फल उपयोग विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्रुप २ की ग्रेडेशन लिस्ट की †प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

लघु सिंचाई योजनान्तर्गत व्यय

*३---**श्री विश्रामराय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में १९५९-६० में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों में कितना धन व्यय किया गया ?

श्री वसी नकवी---वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९०८ पर।)

*४---**श्री विश्रामराय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९६०-६१ में कितना धन लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत व्यय करने का विचार था ?

---

† प्रतिलिपि छापी नहीं गई।

श्री वसी नकवी—सूचना निम्न प्रकार है:—

	ऋण	अनुदान
	रु०	रु०
१—अधिक अन्न उपजाऊ फंड	१,५७,५०,०००	११,९३,०००
	..	..
२—पिछड़े क्षेत्रों के लिये	४,४६,०००	..
३—ब्लाक फंड	१,५३,९८,०००	९,७५,०००

दूसरे व्यय—

अधिशासन संबंधी खर्च १३,०६,८००

*५—श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह लघु सिंचाई योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये तकावी ऋण में कुछ छूट देने का विचार कर रही है ?

श्री वसी नकवी—लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत पक्के कुयें, बन्धियो के निर्माण और पहाड़ी जिलों में गूल, डिग्गी और तालाब के निर्माण के लिये दिये गये कर्ज पर छूट दी जाती है। अतएव छूट देने के लिये विचार करने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री विश्रामराय —क्या माननीय मंत्री जी कृपया बातयेंगे कि अब तक कुंओं के बनाने में जो अधिक अन्न उपजाओ योजना के मातहत पहले जो ऋण और सबसिडी दी जाती थी, उसका अनुपात क्यों कम कर दिया गया ?

श्री वसी नकवी—ऐसी बात तो नहीं है । जितनी छूट मिलती थी, २५ प्रतिशत, वह मिल रही है ।

श्री विश्रामराय—क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछले वर्ष कुंये कम बने, क्योंकि सरकार की ओर से कोयले की सप्लाई कम की गई ? इसके लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—कोयले की स्थिति ओवर आल बहुत खराब है, आप लोगों को मालूम है । ब्रिक बर्निंग कोयला सबसे लास्ट प्रायोरिटी में आता है, इसलिये जैसे-जैसे मिलता है उतना बांट दिया जाता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत तकावी दी जाती है कुंओं को, इसकी मंजूरी भी राजस्व विभाग से पहले ली जाती है तभी दी जाती है या सीधे सीधे नियोजन विभाग से मिलती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—कुछ तो इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट से आती है, कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट और जो० एम० एफ० (अधिक अन्न उपाजाओ अभियान) के मातहत आती है ।

गोरखपुर जिले में नलकूप तथा फरेंदा तहसील में लघु सिंचाई योजना

*६—श्री अब्दुलरऊफ लारी—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में गोरखपुर जिले में कितने नलकूप कहां-कहां लगेंगे ?

श्री वसी नकवी—तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस जिले में ५० नलकूप लगेंगे जिनके स्थान अभी निश्चित नहीं हुये हैं ।

*७—श्री अब्दुलरऊफ लारी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरेंदा तहसील के उत्तरी क्षेत्र में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजनायें विचाराधीन हैं और वे कब तक कार्यान्वित हो जायेंगी ?

श्री वसी नकवी—फरेंदा तहसील के उत्तरी क्षेत्र में स्थित नौतनवां, लक्ष्मीपुर एवं बृजमनगंज विकास खंडों में लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनायें विचाराधीन हैं जिन की तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है :—

१—नहरों तथा नलकूपों के गूलों का विस्तार ..	३९	मील	४ फर्लांग
२—नहरों तथा नलकूपों के गूलों का गहरा तथा साफ करना ..	१३	मील	१ फर्लांग
३—पुराने तालाबों को गहरा करना तथा साफ करना ..	३५०		तालाब
४—बन्धियों का निर्माण..१ बंधी			
५—पक्के कुंओं का निर्माण..५४२ कुंयें			
६—पुराने टूटे-फूटे कुंओं की मरम्मत..१२५ कुंयें			
७—पक्के कुंओं में नल गलाना ..१७० कुंओं में			
८—रहट लगाना..११४ रहट			
९—पम्पिंग सेट लगाना..१०५ पम्पिंग सेट			

*८—**श्री अब्दुलरऊफ लारी**—क्या मुख्य मंत्री को यह ज्ञात है कि उपर्युक्त लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत नौतनवां N. E. S. Block में लाखों रुपये का स्वीकृत बजट पड़ा हुआ है जिसका कोई प्रयोग नहीं हुआ ?

श्री वसी नकवी—नौतनवां प्रथम सोपान विकास क्षेत्र में सिंचाई की मद में ३ लाख रु० का धन ऋण बांटने के लिये उपलब्ध था । इसमें से अब तक ९२,००० रुपये व्यय हुये । शेष २,०८,००० रुपये का उपयोग चालू वर्ष और १९६२-६३ में कुओं और अल्प सिंचाई योजनाओं के लिये ऋण के देने में होगा ।

श्री अध्यक्ष —प्रश्न संख्या ७ के उत्तर में क्रम संख्या १० में लिखा हुआ है "व्यक्तिगत नलकूप लगाना–१५ नलकूप", लेकिन आपके उत्तर में नलकूप गायब हैं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—"१०–व्यक्तिगत नलकूप लगाना—१५ नलकूप", यह है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जब एक मंत्री जवाब दे रहा हो उससे गाड़ी अटक जाय तो क्या आधा जवाब दूसरा पढ़ सकता है ?

श्री अध्यक्ष—वह मंत्री की तरफ से ही उत्तर था ।

श्री अब्दुलरऊफ लारी—मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है एक मद में कि ३९ मील चार फर्लांग गूलें बढ़ाई जायंगी और इसी सदन में माननीय मंत्री जी की तरफ से कितनी दफा जवाब मिल चुका है वहां की नहरों में पानी नहीं आता क्योंकि नैपाल में नदियां बांध ली जाती हैं,इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जब वहां की नदियों में पानी ही नहीं रहता है और कोई ट्यूबवेल भी नहीं है तो फिर ३९ मील गूलें बढ़ाने से क्या लाभ होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ऐसा समझा जाता है कि वहां पानी आयेगा लेकिन माननीय सदस्य ने जो इन्फार्मेशन दी, अगर वह सही है तो हम जांच करवा लेंगे ।

श्री अब्दुलरऊफ लारी—मान्यवर, ८ लाख रुपया रख दिया गया है लेकिन वहां पर पानी समय से नहीं मिलता है और माननीय मंत्री जी ने कहा भी है कि नैपाल में नदियां बांध ली जाती हैं इसलिये यह ३९ मील गूल बढ़ाने से कोई लघु सिंचाई योजना भी पूरी नहीं होगी. . . .

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तो कह दिया है कि इंक्वायरी करा लेंगे ।

श्री अब्दुलरऊफ लारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो तीन लाख रुपया सैंक्शन था उसमें से ५ वर्षों में केवल ९२ हजार रुपया ही क्यों खर्च हुआ, दो लाख आठ हजार क्यों बाकी रह गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---यह जो पैसा मंजूर होता है उसमें से कुछ लोन वगैरह में दिया जाता है और कुछ डिस्क्रीशनरी फंड के तौर पर कलेक्टर के पास रहता है जिससे सरकार की तरफ से काम करने के लिये उसमें शायद कुछ कमी हो गई लेकिन १९६३ तक सारा खर्च हो जायगा ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार में पानी है या खत्म हो गया ? (हंसी कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तीन लाख रुपया जो था उसमें कितना अनुदान स्वरूप दिया जाने वाला था और कितना ऋण-स्वरूप और ऋण और अनुदान में कितना काम आया और कितना बाकी रहा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---यह ऋण का पैसा है जो खर्च किया ।

श्री चन्द्रजीत यादव---नौतनवां ब्लाक में करीब ६६ प्रतिशत खर्च नहीं हो सका और यही स्थिति दूसरे ब्लाकों की है और उसका कारण यह है कि ऋण के नियम कठिन होने से किसान उसे ले नहीं पाता है, तो क्या मंत्री जी उन नियमों को आसान करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---ऋण का पैसा वसूल करना भी होता है । कोई खास दिक्कत हो तो उसकी जांच हो सकती है ।

फर्रुखाबाद में पीतल व तांबे के बरतनों को बिक्री कर से मुक्त करने की प्रार्थना

*९---श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह फर्रुखाबाद शहर में पीतल व तांबें के बनाये जाने वाले बरतनों के उद्योग को कुटीर उद्योगों की श्रेणी में रखती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कुटीर उद्योग को सेल्सटैक्स से मुक्त करने का विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---(१) जी हां ।

(२) सरकार ने इस उद्योग को सेल्स टैक्स से छूट देने के सम्बन्ध में विचार किया था, परन्तु यह सम्भव न हो सका ।

श्री होरीलाल यादव---जब इस उद्योग को कुटीर उद्योग में समझते हैं तो किस लिये इसे सेल्सटैक्स से मुक्त नहीं करते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---कानून से क्षेत्रीय आधार पर मुक्त नहीं किया जाता है । क्लास आफ पर्सन्स और पर्टीक्यूलर गुड्स पर मुक्त किया जा सकता है ।

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार को ज्ञात है कि यह उद्योग धंधा वहां का विशेष कुटीर उद्योग है जिसमें हजारों कारीगर काम करते हैं, तो इसके लिये फिर से सरकार विचार करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---हां, इसमें करीब ५५० आदमी काम करते हैं लेकिन इस पर विचार कर लिया गया है और माफ करना सम्भव नहीं है ।

श्री मदन पांडेय---अगर क्षेत्रीय आधार पर मुक्त नहीं किया जा सकता तो क्या सरकार इस समस्त उद्योग से सेल्स टैक्स उठाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह सेल्सटैक्स सिर्फ उन्हीं के ऊपर लगता है जिनका टर्न-ओवर १२,००० से ऊपर होता है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार यह उचित समझती है कि इस प्रकार के कुटीर उद्योग पर सेल्स टैक्स न लिया जाय? यदि उचित समझती है, तो वह कानून में ऐसी तरमीम करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सरकार को सारी योजना चलाने के लिये रुपया चाहिये जो टैक्स द्वारा ही वसूल होता है, इसलिये माफ नहीं हो सकता। यही नीति है।

कृषि आयकर तथा वृहत जोतकर देने वालों की संख्या

*१०—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार जिला उन्नाव में १३६५ फसली और १३६४ फसली में कृषि आयकर देने वालों और १३६५ फसली व १३६६ फसली में वृहत जोत कर देने वालों की संख्या प्रत्येक तहसील की अलग-अलग बताने की कृपा करेगी ?

राजस्व उपमंत्री (श्री उदयशंकर)—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९०९-९१०पर)

*११—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार उन्नाव जिले की प्रत्येक तहसील में उन वृहत जोतकर देने वालों की संख्या बताने की कृपा करेगी कि जिनके पास जमीन (१) चालीस एकड़ से कम थी, (२) चालीस एकड़ से पैंतालीस एकड़ तक थी, (३) पैंतालीस एकड़ से पचास एकड़ तक थी, (४) पचास एकड़ से साठ एकड़ तक तथा (५) साठ से सत्तर एकड़ तक थी ?

श्री उदयशंकर—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९०९-९१० पर)

*१२—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव में १३६३, ६४ व ६५ और ६६ फसली का वृहत जोत-कर किन-किन लोगों पर किस-किस वर्ष का बकाया है और कितना-कितना ?

श्री उदयशंकर—१३६३ फसली तथा १३६४ फसली में बृहत जोत कर अधिनियम लागू नहीं था, इसलिये उन वर्षों के वृहत जोतकर की बकाया का प्रश्न नहीं उठता। जिन कर दाताओं पर १३६५ फसली तथा १३६६ फसली का बृहत जोतकर बाकी है उसकी सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९०९-९१० पर)

श्री सजीवनलाल—क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि १३६५ फसली की तुलना में १३६६ में वृहत जोतकर देने वालों की संख्या में वृद्धि का क्या कारण है? क्या जमीन का केन्द्रीयकरण हो रहा है और इससे बढ़ गई ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—कुछ आमदनी बढ़ गई होगी और कुछ पहले एस्केप कर गये होंगे, पहले असेसमेंट में।

श्री सजीवनलाल—सरकार बकाया की वसूली के लिये क्या कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आदेश दिये गये हैं कि बतौर बकाया मालगुजारी के वसूल किया जाय।

[२० अप्रैल, १९६१ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

अतिरिक्त चीनी उत्पादन पर प्राप्त छूट में गन्ना उत्पादकों को भाग न देना

*१—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५९–६० के गन्ने के सीजन में राज्य की कितनी चीनी मिलों ने अतिरिक्त चीनी उत्पादन पर सरकार द्वारा मिली हुई छूट में गन्ना उत्पादकों को हिस्सा नहीं दिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—निर्दिष्ट सीजन में राज्य सरकार द्वारा नहीं, वरन् केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त चीनी उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी में जो छूट दी गई थी उसमें अभी किसी मिल ने गन्ना उत्पादकों को हिस्सा नहीं दिया है, क्योंकि यह प्रश्न टैरिफ कमीशन के विचाराधीन है।

*२—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त चीनी मिलों से गन्ने के काश्तकारों को उपर्युक्त रकम दिलाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह प्रश्न नहीं उठता।

*३—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या उपर्युक्त अतिरिक्त उत्पादन पर सरकार द्वारा दी गई छूट में से गन्ना काश्तकारों को मिलने वाली रकम की मात्रा भी निश्चत की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह भी प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार की २१ मार्च सन् ५८ के आज्ञानुसार यह फारमूला निर्धारित किया गया था कि जो दाम कम से कम नियत किया गया था उसके अलावा बनस या इस तरह की चीज मिलों के अतिरिक्त मुनाफे में से मिलेगी और यह पेऐबिल हो जाता है ज्यों ही केन्द्रीय सरकार का आदेश निकलता है और जो माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि प्रश्न टैरिफ कमीशन के अधीन है, वह केवल पास्ट स्ट्रक्चर के आधार पर ४–४-६० को केन्द्रीय सरकार द्वारा कर दिया गया है ? यदि हां, तो ५८-५९ व ५९-६० में किस आधार पर मिलों ने नहीं दिया और सरकार ने क्या किया ?

श्री रामस्वरूप यादव—मार्च ५८ का पत्र तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक्स इज ड्यूटी जो केन्द्रीय सरकार की ओर से दी गई थी उस सम्बन्ध में प्राइस लिंकिंग फारमूला गवर्नमेंट आफ इंडिया के अधीन बनता है और जब तक उसका फैसला नहीं हो जायगा तब तक डेफर्ड प्राइस या ऐसे विषयों का निश्चय नहीं हो सकता है।

श्री मदन पांडेय—यह टैरिफ कमीशन को ५८–५९ और ५९–६० के बारे में भेजा गया है या आगे के लिये दाम निर्धारित करने के लिये ?

श्री रामस्वरूप यादव—दोनों ही प्रश्नों के लिये। 'एक्स' के बारे में अभी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने घोषणा नहीं की है कि 'एक्स' क्या है।

श्री मदन पांडेय—'एक्स' के मायने हैं ड्यूरेशन आफ सीजन और रिकवरी।

श्री अध्यक्ष—आपके लिये हो सकते हैं, उनके लिये नहीं है।

श्री मदन पांडेय—ड्यूरेशन आफ सीजन और रिकवरी के आधार पर जो दाम निर्धारित किये गये थे, उसके बाद ही सरकार ने दिलवाने के आदेश दिये और गत वर्ष की भी मिलों ने नहीं दिया है, यह मंत्री जी के उत्तर से सिद्ध होता है। और जब टैरिफ कमीशन ने रिपोर्ट दे दी है तो अभी तक क्यों नहीं मिला है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ये सारे प्रश्न उसी चीज से जुड़े हुए हैं जिसके सम्बन्ध में उपमंत्री जी ने सूचना दी है। जब उनका फैसला हो जायगा तब प्रदेशीय सरकार उस चीज को दिलवाने की चेष्टा करेगी।

पीलीभीत चीनी मिल पर किसानों का बकाया

*४—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत चीनी मिल पर सीजन १९६०-६१ का किसानों का गन्ने का कितना रुपया बकाया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वर्तमान सीजन में इस मिल पर १-३-६१ को किसानों के गन्ने का १५ लाख रुपया बकाया था।

*५—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त बकाया रकम वसूलने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गन्ना आयुक्त ने उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा १७ (४) के अधीन इस मिल के विरुद्ध उपरोक्त रकम में से ११,४६,३५५·०३ रु० की वसूली के लिये रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कर दिया है और शेष रुपये की वसूली के लिये जिलाधीश पीलीभीत को उचित आदेश भेज दिया है।

*६—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

बांदा जिले में प्रदर्शनी के लिये जबरन चन्दा वसूली की जांच

*७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या बांदा जिले की प्रदर्शनी के सम्बन्ध में वहां के कतिपय अधिकारियों द्वारा बन्दूकों के लाइसेंस तबदील कराने वालों, वादी प्रतिवादियों तथा अन्य व्यक्तियों से जबरन चन्दा वसूल किये जाने के सम्बन्ध में वहां के दो एम० एल० ए०, उप मंत्री, प्रांतीय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तथा अन्य चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक डेपुटेशन द्वारा अभी हाल ही में मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किये जाने पर उन्होंने उक्त आरोपों की शीघ्र जांच कराने के लिये कोई आदेश जारी किया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी हां। आदेश ९ फरवरी को जारी किये गये।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो उसके अनुसार क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अभी जांच की रिपोर्ट आयी नहीं है। आशा की जाती है कि जल्द आ जायगी।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वह जांच किसके सुपुर्द की गयी है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—कमिश्नर उसकी जांच कर रहे हैं।

सीतापुर से कैम्फर का कोटा प्राप्त करने के प्रार्थना-पत्र

*८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—विधान सभा के वर्तमान सत्र दिनांक ९ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११५ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन दो व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये उन पर जिला सीतापुर के किस अधिकारी (जिला उद्योग अधिकारी या जिलाधीश) की सिफारिश थी और वे डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज, एड सेक्शन (Aid Section) कानपुर को भेजे गये या प्रदेशीय सरकार को ?

श्री रामस्वरूप यादव--इन दो प्रार्थना-पत्रों में से एक पर जिला उद्योग अधिकारी की सिफारिश थी और सीधे डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज को यह पत्र प्राप्त हुआ, तथा दूसरे पत्र पर जिलाधीश की सिफारिश थी और यह उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ और डाइरेक्टर आफ इंडस्टीज को उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया था।

*९--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--विधान सभा के वर्तमान सत्र दिनांक ९ फरवरी १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एक प्रार्थी को एक केस और दूसरे को ३० केस 'कपूर' दिये जाने की जो सिफारिशें की गयी, उनके किये जाने का आधार क्या था तथा माल न मिलने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जब पहला प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ तब यह उचित समझा गया कि एक पेटी कपूर काफी होगा। बाद में यह सुझाव प्राप्त हुए कि कपूर जो दिया जाता है वह काफी नहीं होता। अतः फिर से माल देने के विषय में विचार किया गया और यह निर्णय हुआ कि विद्युत् चालित मशीनों के लिये १५ पेटी प्रति छःमाही प्रति मशीन की दर से माल देना उचित होगा। ९-२-६१ को यह बताया जा चुका है कि एक प्रार्थी को केवल ५५ पौंड माल मिला है। माल न मिलने का कारण स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन देहली के पास माल की कमी थी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--प्रार्थनापत्र जो डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज को भेजे गये हैं उनमें दो प्रोसीजर एडाप्ट किये गये हैं। इसमें साधारणतया कौन सा प्रोसीजर एडाप्ट किया जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव--साधारण प्रोसीजर तो यह है कि जिला उद्योग अधिकारी के द्वारा डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज को प्रार्थनापत्र भेजे जाते हैं। लेकिन कभी जिलाधीश के मार्फत सरकार के पास आते हैं और वे डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज को भेज दिये जाते हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--जो प्रार्थनापत्र जिलाधीश द्वारा सरकार को प्राप्त हुआ था उसको पहले के मुकाबले में ३० गुना अधिक दिये जाने की सिफारिश किस मंत्री ने डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज को की थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--जो कपूर दिया जाता है वह काफी नहीं होता, यह सूचना जिलाधीश सीतापुर को किस के द्वारा प्राप्त हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार के सामने यह आवेदनपत्र आया था और उसने डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज के पास भेज दिया। अब जैसा कि मैंने उत्तर में बता दिया, यह नीति निश्चित कर दी गयी है।

*१०--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--[२७ अप्रैल, १९६१ के लिए स्थगित किया गया।]

वनस्पति घी में रंग मिलाने पर विचार

*११--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार वनस्पति घी में रंग मिला देने के प्रश्न पर इस समय विचार कर रही है ?

सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री (श्री धर्मसिंह)--जी हां।

*१२--श्री गनेशचन्द्र काछी--यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक सरकार ने क्या-क्या उपाय किये हैं ?

श्री धर्मसिंह--वनस्पति घी को रंगने के लिये सरकार ने कई बार पुरस्कार घोषित किये हैं तथा इस संबंध में आये हुए विभिन्न नमूनों की जांच कराई है किन्तु अभी तक कोई भी रंग उपयुक्त सिद्ध नहीं हुआ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतायेगी कि बनस्पति घी में रंग मिलाने के लिये कितने कितने रुपये के इनाम की घोषणा की गयी है और किस किस ने उसके लिये सुझाव दिये हैं ?

श्री धर्मसिंह—मार्च सन् ५० में १० हजार रुपया और उसके बाद २५ हजार रुपये के इनाम की घोषणा की गयी थी और प्रदेश के भिन्न-भिन्न लोगों ने सैंपिल इत्यादि भेजे थे ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्रीजी को ज्ञात है कि एक सुझाव देनेवाले ने रतनजोत नामक बूटी के संबंध में भी सुझाव दिया है कि वह स्वास्थ्य के लिये भी हानिकारक नहीं है और घी के रंग को भी बदल देगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह भी जांच किया गया पब्लिक एनालिस्ट के आफिस में और वह रंग भी ऐसा निकला कि जो कुछ हीट के बाद उड़ जाता है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार को मालूम है कि देश के पूंजीपति इस बात का सख्त प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से वह मार्ग न निकल पावे जिससे कि इस घी में रंग मिल सके....

श्री अध्यक्ष—आप क्या यह चाहते हैं कि १०-५ करोड़ रुपये का इनाम रख दिया जाय ?

श्री गौरी शंकर राय—जी नहीं । क्या सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि किसी दूसरे देश के विशेषज्ञों से इस बात का पता लगवावे कि उसकी रंगाई किसी चीज से हो सकती है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अगर यही बात है तब तो वहां भी पूंजीपति पहुंच जाएंगे । मेरी समझ में नहीं आता कि सारे विशेषज्ञ पूंजीपतियों के हाथ में हैं तो विदेश के भी खरीदे जा सकते हैं । मैं समझता हू कि यह प्रश्न तो इस तरह से उठता नहीं है ।

श्री झारखंडेराय—इस बात को देखते हुए कि पूंजीपतियों की दौड़ बहुत दूर तक हो सकती है, क्या मंत्रीजी किसी सोशलिस्ट कंट्री से इस विषय में बातचीत करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह सोशलिस्ट कंट्री भी तो अब पूंजीपति कंट्री बनता जा रहा है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान अभी हाल में समाचारपत्रों में प्रकाशित एक खबर की ओर गया है जिसमें यह है कि दक्षिण में किसी ने कोई ऐसा रंग निकाल लिया है जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है और सफल है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हमारे पास तो कोई सूचना अभी तक आई न हीं है....

श्री अध्यक्ष—समाचार-पत्र के ऊपर पूछने की मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री देवनारायण भारतीय—श्रीमन्, सन् ३८ से ऐसे रंग की खोज की जा रही है और अभी तक सफलता नहीं मिली है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का यत वास्तव में किसी ऐसे रंग की खोज करने की है जिससे डालडा घी या तेल रंगा जा सके क्या सरकार इसको स्पष्ट करने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष—यह वह कैसे स्पष्ट करेंगे ?

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार के पास किसी ने यह भी सुझाव दिया है कि हल्दी से रंगा जाय तो उसका रंग न खराब है और न गर्मी होने पर उड़ेगा ही ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ये जितने सुझाव दिये जा रहे हैं करीब-करीब सब पब्लिक एनालिस्ट के जरिये से एग्जामिन हो चुके हैं, सब पर एक्सपेरीमेंट हो चुका है और सब फेलयोर साबित हुए हैं।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार को कोई ऐसी आशा है कि फरवरी सन् १९६२ तक कोई रंग मिल सकेगा ? (हंसी - कोई उत्तर नहीं दिया गया)

भूमि के गलत इन्दराज के सम्बन्ध में तहसीलदार घोसी को प्रार्थना-पत्र

*१३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिलाधीश, आजमगढ़ को ग्राम तकियाशाह वातिला, मानिकपुर, जर्मानहाजीपुर, लाड़पुर, खुनशेखपुर एवं हरदासपुर 'तहसील घोसी' जिला आजमगढ़ के किसानों द्वारा २६ अक्तूबर, १९६० को भेजा हुआ प्रार्थना-पत्र जो भूमि के "गलत इन्दराज" के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और जांच का क्या परिणाम हुआ ?

श्री उदयशंकर—जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह जानकारी हासिल करने की कृपा करेगी कि यह दरख्वास्त जिलाधीश के कार्यालय से तहसीलदार के यहां गई और उनके द्वारा जांच हुई और विपक्ष में जांच होने के कारण यह दरख्वास्त गायब कर दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक अक्तूबर में जमुना प्रसाद ने दरख्वास्त तहसीलदार, घोसी को दी थी राम चन्द्र पान्डेय के खिलाफ। तहकीकात करके १४५ का मुकदमा कायम हुआ। उसके बाद १२ दिसम्बर, १९६० को जमुना प्रसाद ने अपना मुकदमा वापस लिया कि मैं इसे परस्यू नहीं करता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—तो उत्तर "जी नहीं" क्यों दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आपने जिलाधीश को पूछा था। जिलाधीश को वह नहीं रिसीव हुई।

घोसी तहसील में लेखपाल की पुनर्नियुक्ति

*१४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के कितने सेवा मुक्त लेखपाल २७ सितम्बर, १९५७ को आयुक्त गोरखपुर द्वारा पुनः नियुक्त कर दिये गये ?

श्री उदयशंकर—केवल एक।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह लेखपाल कब मुअत्तल हुआ था और कमिश्नर द्वारा कब फिर नियुक्त कर दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तारीख इस वक्त मेरे पास है नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उत्तर दिया ?

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि तारीख इस समय उनके पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—तारीख तो है उनके पास।

श्री हुकुमसिंह विसेन—किस तारीख को मुअत्तल हुआ, यह नहीं है।

मलेरीकोट ग्राम में तकावी की गलत वसूली की शिकायत

*१५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको ग्राम मलेरीकोट, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के किसानों द्वारा भेजा हुआ प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के २९ जुलाई, १९६० के पत्र के साथ मिला है, जिसमें दूसरी बार तकावी वसूल करने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदयशंकर—प्रश्न कर्त्ता के दिनांक २९ जुलाई, १९६० के पत्र के साथ केवल एक ही किसान का प्रार्थनापत्र मिला था। इस प्रार्थनापत्र पर जांच के पश्चात् वर्णित तथ्य निराधार पाये गये। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, १४ नम्बर के सवाल के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि यह सूचना उनके पास नहीं है कि कब मुअत्तल हुये थे जब कि सवाल में साफ पूछा गया कि कब मुअत्तल हुये थे ?

श्री अध्यक्ष—कब नियुक्त कर दिये गये, इसको तो आपने प्रश्न में पूछा, लेकिन कब मुअत्तल किये गये यह आपने नहीं पूछा और न यह सूचना उनके पास है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—फाइल में सूचना होगी।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर फाइल में सूचना होती तो बताने में कोई दिक्कत थोड़े ही है।

श्री अध्यक्ष—अब आप प्रश्न संख्या १५ के बारे में सवाल पूछें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मंत्री जी बतायेंगे कि जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी गई और क्या दरख्वास्त देने वाले से भी पूछा गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सुखई ने दरख्वास्त दी थी जिसको प्रश्नकर्त्ता महोदय ने भेजा था। तहकीकात इन्चार्ज तहसीलदार ने की, तो पता चला कि यह रुपया एक झिलमिट गांव का कोई आदमी था उसने दिया था, उसके पास रसीद थी। उसके घर से सुखई उसके लड़के से रसीद मांग लिया और जब तकावी का रुपया मांगा गया तो कहा कि दे दिया। जब तहकीकात हुई तो सुखई ने कहा वह रसीद हम मांग लाये थे, उसने उनको वापस दे दी। यह वाकया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—सुखई के नाम से कोई तकावी का रुपया बकाया था कि नहीं, और इस वक्त बकाया है कि नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—११ रु० कुछ पैसे अदा कर दिये हैं। कितना बाकी है, यह नहीं बता सकता इस समय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मंत्री जी बतायेंगे कि सुखई ने कब रुपया अदा किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१७-१२-६० को अदा दिया है।

साहू केमिकल्स सोडा ऐश फैक्टरी, साहूपुरी का गन्दा पानी

*१६—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सोडा ऐश फैक्टरी दुलहोपुर, वाराणसी का जहरीला पानी जो गंगा नदी में किसानों के खेत से होकर जाता है वह फसल को जला देता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उस नाली को पक्की कराकर ऊपर से ढकने तथा जो किसानों की जमीन उस नाली में जा रही है उसका मुआवजा दिलाने के लिये अब तक कोई कार्यवाही की है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—साहू केमिकल्स सोडा ऐश फैक्टरी साहूपुरी का गन्दा पानी कच्चो नाली द्वारा गंगा नदी में जाता है, परन्तु यह ठीक प्रकार से नहीं कहा जा सकता कि यह पानी फसल जला देता है ।

एफलुएन्ट ले जाने वाली नाली को उचित प्रकार से पक्का करने के आदेश एफलुएन्ट बोर्ड द्वारा फैक्टरी प्रबन्धकों को दिये जा चुके हैं ।

नाली को जमीन का मुआवजा देने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

*१७—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[३१ मार्च, १९६१ को प्रश्न २५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*१८—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[२८ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सलेमपुर तहसील में माफ की गई तकावी की वसूली के सम्बन्ध में शिकायत

*१९—**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया के बाढ़ पीड़ित गांवों में दफा १२, तकावी लोन ऐक्ट के अन्तर्गत दी गई तकावी जो १० अक्तूबर, १९५४ तक वसूल नहीं हुई थी तथा जो रकम १ लाख ५४ हजार थी, वह उक्त तिथि को एक विशेष सरकारी आदेश द्वारा माफ की गई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला देवरिया की सलेमपुर तहसील के बाढ़ पीड़ित गांवों में १ अक्तूबर, १९५४ तक, ऐक्ट १२ के अधीन २,३२,६७६ रु० १ आना ६ पाई की बकाया तकावी ५ जनवरी, १९५६ के सरकारी आदेश द्वारा माफ की गई थी।

*२०—**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)—क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त आदेश द्वारा सलेमपुर तहसील में किन-किन गांवों की कितनी तकावी माफ की गई थी और क्या यह सच है कि अब वह वसूल की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अपेक्षित सूचना संलग्न† सूची में दिखा दी है। इस धन की वसूली नहीं की जा रही है।

नौगढ़ तहसील में कूड़ा नदी का कटाव

*२१—**श्री मथुराप्रसाद पांडेय**(जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विगत वर्षा काल में बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में कूड़ा नदी के कटाव से ग्राम परती बाजार व रेहरा बाजार के कितने घर कट कर नदी में गिर गये ?

श्री उदयशंकर—कोई भी नहीं। हां, इन ग्रामों में अनवरत वर्षा तथा पानी के रुक जाने से कुछ मकानों को क्षति अवश्य पहुंची।

*२२—**श्री मथुराप्रसाद पांडेय**—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त नदी से कट कर उपर्युक्त ग्रामों के जिन लोगों के घर नदी में गिर गये हैं उन गृह-विहीनों को उसकी तरफ से क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री उदयशंकर—चूंकि कूड़ा नदी के कटाव से कोई घर नहीं गिरा अतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या मन्त्री जो बतायेंगे कि जो उन्होंने उत्तर दिया यह किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गई ?

---

†सूची छापी नहीं गई।

श्री उदयशंकर—कलेक्टर ने जो रिपोर्ट भेजी है उसी के आधार पर जवाब है।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय—मन्त्री जी फिर से जांच करायेंगे कि इस साल कूड़ा नदी के कटाव से ११ घर कट कर गिर गये हैं और जो उत्तर दिया गया है वह गलत है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो सूचना है उसके आधार पर हमने जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष—वह चाहते हैं आप जांच करायेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। हमारे पास यह भी इत्तला है कि वाटर लागिंग से कुछ मकान गिर गये थे। कटाव से नहीं गिरे थे।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या मन्त्री जी फिर से जांच करायेंगे और जिस अधिकारी ने गलत सूचना दी है उसको सजा मिलेगी?

श्री अध्यक्ष—वह कहां कह रहे हैं कि गलत रिपोर्ट है। वह तो कहते हैं कि कटाव से नहीं गिरे, लेकिन बरसात का पानी भर जाने से जरूर कुछ मकान गिरे हैं।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे कि बरसात के पानी से नहीं बल्कि कूड़ा नदी के कटाव से मकान गिरे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो रिपोर्ट आई है उससे हम मुतमइन हैं और फिर से जांच कराने की कोई जरूरत नहीं समझते।

जैन्ती, तल्ला सालम, जिला अल्मोड़ा का चिकित्सालय

*२३—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—क्या मुख्य मन्त्री दिनांक ६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२ के उत्तर के संदर्भ में कृपया बतायेंगे कि जैन्ती, तल्ला सालम (अल्मोड़ा) में चिकित्सालय की इमारत बनाये जाने की स्वीकृति कब हुई, कब इमारत बनी, उसमें दवा व डाक्टर भेजने की स्वीकृति अभी तक क्यों नहीं दी गई तथा यह कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे?

श्री धर्मसिंह—ग्राम जैन्ती, तल्ला सालम, जिला अल्मोड़ा में एक एलौपैथिक चिकित्सालय स्थापित किये जाने के हेतु भवन निर्माण कराया गया था जो एक वर्ष पूर्व बन कर तैयार हो गया है। इसी बीच साधारण चिकित्सालय स्थापित किये जाने की योजना रद्द कर के प्रारम्भिक स्वास्थ्य इकाइयों की योजना देहाती क्षेत्रों में लागू की गई। ऐसी इकाइयां इस समय केवल विकास खंडों में ही स्थापित की जा रही हैं। जिस विकास खंड में जैन्ती आता है अभी वहां स्वास्थ्य इकाई स्थापित करना सम्भव नहीं हो सका है। यहां ऐसी एक इकाई स्थापित किये जाने का प्रश्न नियोजन विभाग के अन्तर्गत विचाराधीन है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि इस इमारत की स्वीकृति कब हुई और जब इमारत की स्वीकृति हुई थी तब क्या अस्पताल की स्वीकृति नहीं हुई और अगर अस्पताल को बनाने की स्वीकृति हुये बहुत अरसा हो गया तो क्या यह सही है तब न्यु प्राइमरी हेल्थ यूनिट बनाने की कोई योजना नहीं थी, केवल एलोपैथिक अस्पताल बनाने की योजना ही थी? ऐसी हालत में वहां अस्पताल अब तक क्यों नहीं बनाया गया और क्या सरकार इस अस्पताल के बनाने की मन्जूरी कर देगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रश्न पर गवर्नमेन्ट विचार कर रही है और उन लोगों से पूरी सहानुभूति है जिनके यहां अस्पताल नहीं बन पाया है। अस्पताल बन जाना चाहिये था। यद्यपि योजना में थोड़ा परिवर्तन जरूर हो गया है तो भी अस्पताल बनना चाहिये था। लेकिन बन नहीं पाया तो अब सरकार इस बात पर पुनः विचार कर रही है। कदाचित् माननीय सदस्य की जो मांगे हैं उसे पूरा करने में हम कुछ आगे कदम उठा सकेंगे।

नोट—तारांकित प्रश्न २३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*२४--श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

पीलीभीत चीनी मिल पर किसानों का तथा केन सेस का बकाया

*२५--श्री प्रतापसिंह--क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत चीनी मिल पर किसानों का कितना रुपया बकाया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--१-३-६१ को इस मिल पर किसानों के गन्ने के मूल्य का १५.१८ लाख रु० बकाया था ।

*२६--श्री प्रतापसिंह--क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त चीनी मिल पर Cane cess का कितना रुपया बकाया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--१-३-६१ को उपर्युक्त मिल पर केन सेस जो अब पर्चेज टैक्स हो गया है, की मद के अन्तर्गत ५.५८५ लाख रु० बकाया था।

उत्तराखण्ड जिलों की परामर्शदात्री समितियां

*२७--श्री घनश्याम डिमरी (जिला गढ़वाल)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तराखंड के हर एक जिले की परामर्शदात्री समिति में कितने सदस्य हैं और वे किस प्रकार लिये गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उत्तराखंड के पिठौरागढ़, चमौली तथा उत्तर काशी जिलों के परामर्शदात्री समितियों में क्रमशः ३५, ४० तथा ३५ सदस्य हैं जो इस प्रकार लिये गये हैं--

	पिठौरागढ़	चमौली	उत्तरकाशी
१--(क) लोक सभा के समस्त सदस्य ..	१	१	१
(ख) विधान सभा के समस्त सदस्य	१	२	२
(ग) विधान परिषद् के समस्त सदस्य	१	..	..
२--भूतपूर्व जिले के अन्तरिम जिला परिषद के वे सदस्य तथा उपाध्यक्ष जो नव-निर्मित जिलों के निवासी हैं। ..	१०	१४	७
३--जिले की नोटीफाइड और टाउन एरिया कमेटियों के चेयरमैन	१	..	१
४--सरकार द्वारा मनोनीत गैर सरकारी सदस्य	४	४	४
५--जिलाधीश द्वारा मनोनीत गैर सरकारी सदस्य	२	२	२
६--सरकारी सदस्य	१५	१७	१८
कुल ..	३५	४०	३५

*२८--श्री घनश्याम डिमरी--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या उपर्युक्त परामर्शदात्री समितियों को बैठक, उनके कार्य संचालन और उनके अधिकारों के सम्बन्ध में सरकार ने कई नियम बनाये हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार नियम बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उक्त परामर्शदात्री समितियों की बैठक, उनके कार्य संचालन एवं उनके अधिकारों के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट नियम अलग से नहीं बनाये गये। फिर भी इस विषय में समिति के संविधान में यह स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि समिति की बैठक साधारणतया महीने में एक बार होगी और उसका कार्य विकास सम्बन्धी योजनाओं के निर्माण तथा उनके कार्यान्वयन में जिले के प्रशासन को केवल परामर्श देना व मदद करना होगा। उसे कोई वित्तीय और प्रशासकीय (Financial and Executive) अधिकार न होंगे। ऐसी स्थिति में प्रश्न में कथित विषय पर अन्य कोई नियम बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

सूती मिलों की तालाबन्दी

*२९--श्री झारखंडेराय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की कितनी सूती मिलें, कहां कितने समय से पूरे अथवा आंशिक तौर पर बन्द पड़ी हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--पूरे तौर पर या आंशिक रूप से बन्द सूती मिलों के नाम तथा बन्द होने की तिथि संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये तत्यो 'छ' आगे पृष्ठ ९११ पर)

*३०--श्री झारखंडेराय--क्या सरकार यह बतायेगी कि इन मिलों को खुलवाने के लिये सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं और उनके क्या परिणाम हुये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये तत्यो 'छ' आगे पृष्ठ ९११ पर)

*३१-३३--श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)--[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*३४--श्री प्रतापसिंह--[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया]

सोरांव तहसील में हवाई अड्डे की जमीन

*३५--श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद जिले की तहसील सोरांव में जो हवाई जहाज का अड्डा था उसमें कितनी जमीन पर वहां के किसानों को बेदखल कर कब्जा लिया गया था और उसमें से कितनी जमीन अब तक वापस दी गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--२२७९ बीघा १६ बिसवान्सी भूमि एकवायर की गई। इसमें से कोई भी भाग किसानों को वापस (डी रिक्वीजीशन) नहीं किया गया।

*३६--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या तहसील सोंरांव के नयापुरा रामपुर, डाँल, तिवारी का पूरा, शिवपुर, डिघी इत्यादि गांवों के किसानों से ८ वर्ष की मालगूजारी मांगी जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन--लड़ाई समाप्त होने के पश्चात् १९४६ ई० में भारत सरकार के आदेशानुसार जिलाधीश, इलाहाबाद ने उपर्युक्त हवाई अड्डे की जमीन का कुछ भाग, जो फालतू था, पुराने मालिकों को उठा दिया। मई, १९५५ के बाद इनका कब्जा समाप्त हो गया। और जो जमीन उन्होंने जोती थी, उसका कब्जा केन्द्रीय सरकार को दे दिया गया। जुलाई, १९४९ से मई, १९५५ तक का बकाया किराया इन काश्तकारों से केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार वसूल किया जा रहा है।

*३७--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सोरांव तहसील के हवाई अड्डे की जो जमीन सरकार ने ली थी उसको वापस करने के बाद कितनी जमीन पर किसान खेती करते हैं और कितनी जमीन परती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सरकार ने भूमि का कोई भी भाग किसानों को वापिस नहीं किया, परन्तु पुराने किसानों ने कुछ भूमि पर गैर कानूनी तौर से कब्जा कर लिया। फिलहाल जिस हिस्से में किसान लोग अवैधानिक तौर से खेती करते हैं उसका क्षेत्रफल १२११ बीघा १७ बिसवा है और १०६७ बीघा ३ बिस्वा १६ धूर भूमि में परती, आबादी तथा सड़क सम्मिलित है।

*३८-३९--**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)--[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

मंत्रियों तथा सभा सचिवों के दौरे पर व्यय

*४०--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर), **श्री गोविन्दसिंह विष्ट** तथा **श्री अवधेशप्रताप सिंह** (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार १६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेगी कि मंत्रियों द्वारा जो मोटर गाड़ियों से सफर किया गया उसका माइलेज क्या-क्या था और उसमें कितने मील टैक्सी द्वारा तथा कितने मील सरकारी गाड़ियों द्वारा सफर किया गया ?

*४१--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन गाड़ियों द्वारा सफर किया गया वह छोटी गाड़ियां थीं या बड़ी तथा इनके पेट्रोल का खर्च कितना पड़ा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वांछित सूचना को विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। सरकारी गाड़ियां जो सफर में इस्तेमाल की गईं, वह सब बड़ी थीं। टैक्सियों का वर्गीकरण साइज के मुताबिक नहीं होता परन्तु क्लास 'ए' 'बी' 'सी' के मुताबिक होता है जिसमें बड़ी और छोटी सभी टैक्सियां सम्मिलित होती हैं। अतएव यह बताना संभव नहीं है कि किस प्रकार की टैक्सियों का उपयोग मंत्रियों ने सफर में किया। संभवतः 'ए' क्लास टैक्सियां ही इस्तेमाल में लायी गयी होंगी।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९१२ पर)

विकास खण्डों में विकास समितियों के सभापतियों का चुनाव

*४२--**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी) तथा **श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या १९६० में राजकीय आज्ञानुसार विकास खंडों में विकास समितियों के गैर सरकारी सभापति और उपसभापति समिति के सदस्यों में से सदस्यों द्वारा चुने गये थे ? यदि हां, तो कितने दिनों के लिये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी हां, स्थायी रूप से जब तक कि वे उन खंड विकास समितियों के सदस्य रहे।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर का आवास-गृह

*४३--श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी, मिर्जापुर में जो अतिथि-गृह बना है उसमें आवास करने का अधिकार किन-किन लोगों को है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी एक व्यापारिक संस्था के रूप में कार्य कर रही है और उसके अतिथि गृह में प्रदेशीय सरकार तथा डायरेक्टर की अनुमति से वही व्यक्ति ठहर सकते हैं जो प्रशासकीय अथवा फैक्टरी से संबंधित कार्यों से आते हैं ।

*४४--श्री राजनारायण--क्या यह सही है कि संसद सदस्यों को उसमें ठहरने का अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं ।

*४५--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---[१० मई, १९६१ के लिये प्रश्न ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

उत्तराखण्ड डिवीजन में श्रमदान कार्यों के लिये कथित अनुदान

*४६--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उत्तराखंड डिवीजन के लिये हाल में सरकार ने सीमावर्ती इलाके में श्रमदान कार्यों के लिये कोई अनुदान डेढ़ लाख रुपये का मंजूर किया है ? अगर हां, तो वे कौन-कौन से स्वीकृत योजना कार्य हैं जिन पर यह रुपया खर्च होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी नहीं ।

मृत व्यक्तियों के नेत्र प्राप्त करने के लिये आप्थलमिक एडवाइजरी कौंसिल का सुझाव

*४७--श्री केशवपांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसके पास राज्य आप्थलमिक एडवाइजरी कौंसिल ने कोई ऐसा सुझाव कानून बनाने के लिये भेजा है कि जिससे राज्य के नेत्र-चिकित्सकों को मृत व्यक्तियों की आंखें प्राप्त करने में सहूलियत मिल सके और वे नेत्र रोगियों को लगाई जा सकें ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां । यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

*४८--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---[२६ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

दादरी सहकारी चीनी मिल खुलने में रुकावट

*४९--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह तृतीय पंचवर्षीय योजना में दादरी, जिला बुलन्दशहर में सहकारी शुगर मिल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इस प्रदेश में सहकारी चीनी मिल खोलने के लिये लाइसेंस दिये जाने के वास्ते जो प्रार्थना-पत्र केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन थे उनमें से एक दादरी (बुलन्दशहर) के लिये भी था किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में उत्पादन की अधिकता के कारण नई चीनी मिलों के लगाने के लिये लाइसेंस दिया जाना फिलहाल रोक दिये जाने से यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि दादरी में चीनी मिल कब तक लग सकेगी ।

विकास खण्ड, पूरा बाजार में ली जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*५०—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या २३ मार्च, १९६१ को ग्राम पूरा बाजार, जिला फैजाबाद के निवासियों ने विकास खंड पूरा बाजार द्वारा ली जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री को दिया है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां । जिले के जिला नियोजन प्रधिकारी, पी० डब्लू० डी० के असिस्टेन्ट इन्जीनियर तथा सेटिलमेन्ट आफिसर (कन्सालिडेशन) ने पूरा बाजार के चारों ओर स्थित भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया। ऊसर भूमि विकास खण्ड के लिए उपयुक्त नहीं थी। अन्य बंजर भूमि की सतह नीची थी तथा वह भी उपयुक्त नहीं समझी जा सकी। सेटिलमेन्ट आफिसर (कन्सालिडेशन) ने गांव वालों को, तथा कन्सालिडेशन के लिए गांव की सलाहकार समिति की एक बैठक बुलाई, और इस बात की कोशिश की कि जनता विकास खण्ड के लिये ऐसी भूमि की सहमति प्रदान कर दे जो कन्सालिडेशन आफिसर द्वारा दी जा सकें, जिससे सारा भार किसी एक ही व्यक्ति अथवा पक्ष विशेष पर न पड़ कर थोड़ा-थोड़ा सभी पर पड़ जाय । यह स्थिति कदाचित् गांव वालों के लिये सुविधाजनक होती, किन्तु उन्हें यह उचित मान्य न हुई ।

अन्ततः ऐक्वीजिशन की कार्यवाही करने पर सरकार को बाध्य होना पड़ा ।

बदायूं तहसील में चक बनाने का काम

*५१—**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं की तहसील बदायूं में दिसम्बर, १९६० तक कितने ग्रामों म चक बन चुके हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला बदायूं की तहसील बदायूं में ३१ दिसम्बर सन् १९६० तक ५ ग्रामों में चक लग चुके थे ।

*५२-५३—**श्री वासुदेव दीक्षित** (जिला फतेहपुर)—[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

देहरादून जिले की चूना पत्थर की खानें

*५४—**श्री शिवराम** (जिला बिजनौर)—क्या सरकार चूना पत्थर की खानों का जो देहरादून में हैं, राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

एक लाख से अधिक आबादी वाले शहर

*५५—**श्री इस्तफा हुसैन**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब १९६१ की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदश के कौन-कौन से शहर एक लाख से अधिक की आबादी के हो गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान श्री रामदुलारे मिश्र के प्रश्न संख्या ६४, दिनांक १३ अप्रैल, १९६१ के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके साथ गत जनगणना के आंकड़ों के सम्बन्ध में एक विस्तृत नोट सदन की मेज पर रखा गया था, उस नोट की प्रति† फिर सदन की मेज पर रखी जा रही है ।

उक्त नोट में दिये गए आंकड़ों के अतिरिक्त अभी तक कोई और आंकड़े जनगणना अधिकारियों के पास प्राप्य नहीं हैं ।

---

†प्रति छापी नहीं गई ।

रुहेलखण्ड नियोजन समिति की सिफारिशें

*५६—श्री मुहम्मद हुसैन (जिला बरेली)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक १९ जनवरी, १९६१ को बरेली में रुहेलखंड नियोजन समिति की बैठक हुई थी ? यदि हां, तो उसमें कितने एम० एल० ए०, एम० एल० सी० तथा एम० पी० उपस्थित थे और उनके नाम क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१९ जनवरी, १९६१ को रुहेलखण्ड मण्डल के विधायकों तथा विभागाधिकारियों की बैठक बरेली में हुई थी। इस बैठक में उपस्थित विधायकों के नाम संलग्न सूची 'क' में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ९१३–९१४ पर)

*५७—श्री मुहम्मद हुसैन—क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बैठक में किन-किन प्रमुख सिफारिशों को सरकार के पास भेजने का निर्णय किया गया और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त बैठक में की गई प्रमुख सिफारिशों की सूची 'ख' संलग्न है। यह सिफारिशें सरकार के पास हाल ही में आई हैं और उन पर शीघ्र ही निर्णय लेने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ९१३–९१४ पर)

कपड़ा मिल मजदूर सभा, मोदीनगर की मांगें

*५८—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव) तथा श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें मंत्री, कपड़ा मिल मजदूर सभा, मोदीनगर, जिला मेरठ द्वारा दिनांक १५ मार्च, १९६१ को भेजे हुये किसी ऐसे पत्र की प्रतिलिपि मिली है, जिसे मंत्री, कपड़ा मिल मजदूर सभा, मोदीनगर ने जनरल मैनेजर, मोदी स्पिनिंग ऐन्ड वीविंग मिल्स लि०, मोदीनगर को भेजा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां।

*५९—श्री भगवतीसिंह विशारद तथा श्री गोविन्दसिंह विष्ट—यदि हां, तो उक्त पत्र में कपड़ा मिल मजदूर सभा की ओर से क्या-क्या मांगें प्रस्तुत की गई हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मांगों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ९१५ पर)

*६०—श्री भगवतीसिंह विशारद तथा श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—विचाराधीन है।

लड़कियों के लिये शिल्पिक शिक्षा संस्थाएं खोलने की योजना

*६१—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या भारत सरकार ने राज्य सरकार से तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लड़कियों के लिये शिल्पिक शिक्षा संस्थायें खोलने के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*६२--श्री रामदुलारे मिश्र--यदि हां, तो उपर्युक्त शिल्पिक शिक्षा सम्बन्धी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ९१६ पर)

जरवल रोड शक्कर मिल पर किसानों का बकाया

*६३--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जरवल रोड शक्कर मिल पर काश्तकारों के गन्ने का मूल्य १९५९, ६० व ६१ का शेष है ? यदि हां, तो उसे अब तक अदा न करने के कारण क्या हैं तथा सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--१५-३-६१ को इस मिल पर निर्दिष्ट वर्षों का किसानों के गन्ने का जो मूल्य बकाया था वह इस प्रकार है :

वर्ष	बकाया रकम (लाख रुपयों में)
१९५८-५९	कुछ नहीं
१९५९-६०	२.९३
१९६०-६१	१३.८६
योग ..	१६.७९

आर्थिक संकट के कारण मिल उपरोक्त रकम भुगतान नहीं कर सकी है। गन्ना आयुक्त ने अब इस रुपये की वसूली के लिये रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कर दिया है।

उपसंचालक आयुर्वेद के विचाराधीन इंडिजिनस लिपिक का मामला

*६४--श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद)--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप-संचालक, आयुर्वेद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के दफ्तर में जनवरी, १९५५ से दिसम्बर, १९६० तक के प्रदेश भर के कितने इन्डीजिनस लिपिकों की छुट्टियों के वेतन और तबादलों के यात्रा भत्तों के कागज अभी तक पेंडिंग हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। केवल एक भूत पूर्व इन्डिजिनस लिपिक की छुट्टियों तथा तबादला भत्ते का प्रश्न विचाराधीन है और ऐसी आशा है कि शीघ्र ही उचित कार्यवाही हो जायेगी।

ईंटों की कीमत

*६५--श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वर्ष के लिये पक्की ईंट की कीमत क्या निर्धारित की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--पक्की ईंट की कोई कीमत निर्धारित नहीं की गई है। स्थानीय स्थिति को देख कर जिलाधीश स्वयं ईंट की कीमत निर्धारित करते हैं।

*६६--श्री रामशरण यादव--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या विभिन्न जिलों में पक्की ईंटों की विभिन्न कीमतें रखी गई हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

*६७-६८--श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये लघु उद्योग-धंधे

*६९--श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)--क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार छोटे-छोटे गृह उद्योग देहातों में खोलने के सम्बन्ध में किसी समिति का संगठन करने का विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी नहीं।

नवीन सहकारी चीनी मिलें खोलने की योजना

*७०--श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार सदन की मेज पर एक ऐसी सूची रखने की कृपा करेगी कि जिसमें यह विवरण हो कि प्रदेश में तृतीय योजना काल में खोली जाने वाली पांच सहकारी गन्ना मिलों के विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है, प्रत्येक के कितने रुपये के शेयर अब तक बिक चुके हैं और इन्हें किन-किन स्थानों पर खोलने का निश्चय किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रदेश में खोले जाने वाली सहकारी चीनी मिलों के लिये केन्द्रीय सरकार के पास ८ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं और उन्होंने अभी तक केवल मझोला (पीलीभीत) जिसमें गन्ना उत्पादकों द्वारा १६.०० लाख रु० के शेयर खरीदे जा चुके हैं, के लिये लाइसेंस दिया है। अन्य स्थानों का निश्चय शेष ७ प्रार्थना-पत्रों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने पर ही होगा।

*७१-७२--श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*७३-७४--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई) तथा श्री हिम्मतसिंह--[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*७५--स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)--[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

देवप्रयाग तथा प्रतापनगर तहसीलों के सीमा परिवर्तन का सुझाव

*७६--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या सरकार को मालूम है कि टिहरी-गढ़वाल की देव प्रयाग तहसील उसी जिले की प्रतापनगर तहसील से आबादी में बहुत बड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार देव प्रयाग तहसील की कुछ पट्टियों को प्रतापनगर तहसील में मिलाने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, देव प्रयाग तहसील की आबादी प्रतापनगर तहसील की आबादी से अधिक है। इस तहसील की कुछ पट्टियों को प्रतापनगर में मिलाने का इस समय कोई विचार नहीं है।

बिना डाक्टर के अस्पताल

*७७--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश भर में किन-किन राजकीय अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं और कब से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सूचना एकत्र की जा रही है।

फैजाबाद जिले में ग्राम-सेवक

*७८--श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद जिले में कुल कितने ग्राम सेवक इस वक्त हैं और उनमें से कितने स्थायी हो गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--कुल ११२ ग्राम सेवक हैं, जिनमें से २७ स्थायी हो गये हैं।

*७९--**श्री सुखरामदास**--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या उपर्युक्त स्थायी ग्राम-सेवकों का प्रावीडेन्ट फन्ड कट रहा है ? यदि हां, तो कितनों का ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--अभी किसी-ग्राम सेवक का प्रावीडेन्ट फन्ड नहीं कट रहा है ।

ये ग्राम सेवक हाल में ही स्थायी किये गये हैं तथा उन्हें प्रावीडेन्ट फन्ड कटाने के लिये निर्देश दिया जा चुका है। इन ग्राम सेवकों ने प्रावीडेन्ट फन्ड कटाने के लिये अभी कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है ।

महारानी एलिजबेथ की सारनाथ तथा आगरा यात्रा पर व्यय

*८०--**श्री चन्द्रजीत यादव, श्री सजीवनलाल तथा राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महारानी ऐलिजबेथ की आगरा तथा सारनाथ यात्रा के अवसर पर कितना व्यय राज्य सरकार को करना पड़ा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस समय तक प्राप्त सूचना के अनुसार ४०,७८२.३५ रुपयों का व्यय हुआ है ।

*८१--**श्री चन्द्रजीत यादव, श्री सजीवनलाल तथा राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन अवसरों पर क्रमशः कितनी संख्या में पुलिस का प्रबन्ध सुरक्षा के लिये किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--आगरे में २,१२४, वाराणसी में ५,८१६ ।

कानपुर जिले में बाढ़पीड़ितों को ऊंची भूमि पर बसाने के सम्बन्ध में आदेश

*८२--**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिले में पिछले दिनों आयी बाढ़ के सिलसिले में नीची भूमि में बसने वाले बाढ़ प्रभावित लोगों को ऊंची सुरक्षित भूमि पर बसाने के लिये कानपुर के जिलाधीश ने कोई आदेश प्रसारित किये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। ऐसे आदेश जिलाधीश ने समस्त परगनाधीश तथा तहसीलदारों के नाम इस आशय के प्रसारित किये थे कि यदि बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को नीची भूमि से ऊंची भूमि पर बसाये जाने के निमित्त ग्राम समाजों की बंजर भूमि उपलब्ध न हो तो यू० पी० रूरल डेवलपमेंट (रिक्वीजीशनिंग आफ लैंड) ऐक्ट, १९४८ [U. P. Rural Development (Requisitioning of land) Act, 1948] के अन्तर्गत भूमि प्राप्त करने की व्यवस्था की जाये ।

*८३--**श्री मुरलीधर कुरील**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या कानपुर के जिलाधीश से ग्राम टिकरा, थाना कल्यानपुर की नीची भूमि के बाढ़ प्रभावित हरिजनों ने, जिस ऊंची भूमि पर वे अब बसे हैं उसे एलाट करने तथा भवन निर्माण हेतु सहायता के लिये प्रार्थना की है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। इस विषय में मौके का निरीक्षण किया गया और भूमि प्रबन्धक समिति से कहा गया है कि वे व्यक्ति जो ऊंची भूमि पर बस गये हैं उनको जमीन एलाट कर दी जावे। हरिजन बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को भवन निर्माण हेतु उचित आर्थिक सहायता देने के लिये जिला हरिजन कल्याण अधिकारी से कहा गया। इसके अतिरिक्त बाढ़ पीड़ितों को जिनमें हरिजन भी शामिल हैं २,०६० रु० की तकावी व ६५५ रु० की गुप्त सहायता व हाउस सब्सिडी भी दी गई है।

बिना डाक्टर के अस्पताल

*८४--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)--क्या सरकार राज्य के ऐसे एलोपैथिक अस्पतालों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी कि जिनमें १७ फरवरी, १९६१ को क्रमशः २ वर्ष तथा १ वर्ष से डाक्टर नहीं हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

*८५--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या सरकार राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में खोले गये ऐसे एलोपैथिक अस्पतालों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जहां पर १७ फरवरी, १९६१ को क्रमशः २ वर्ष, ३ वर्ष, ४ वर्ष से दवा इत्यादि के आवर्तक या अनावर्तक अनुदान उपलब्ध रहे हैं परन्तु वहां पर क्रम में उसी समय से--(१) अभी तक डाक्टर नहीं है, (२) अस्पताल का नियमित कार्य ही शुरू नहीं हुआ है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

कलेक्टरियों का पुनस्संगठन

*८६--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--कलेक्टरियों के पुनः संगठन के सम्बन्ध में दिनांक २६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११३-११४ के लिखित उत्तर के क्रम में क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि योजना के लागू होने पर कुछ नये पदों का सृजन भी किया गया और कुछ पदों को उसी समय क्रमोन्नत करके उन्हें स्थायी बना दिया गया? यदि हां, तो ऐसे पदों की संख्या क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। ५५ पदों का सृजन किया गया। पदों को क्रमोन्नत करके स्थायी किये जाने से सम्बन्धित सूचना अभी एकत्रित की जा रही है।

चक्की भूसाडोही और देवरिया का सीमा विवाद

*८७--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या न्याय मंत्री २५ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ और देवरिया जिलों की ओर से पैमाइश एवं अभिलेख क्रियाएं समाप्त हो गयीं? यदि हां, तो कब?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वांछित सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी, एकत्रित की जा रही है।

*८८--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सीमा सम्बन्धी विवाद का अन्तिम हल सरकार द्वारा क्या निकाला गया है?

श्री हुकुम सिंह विसेन--वांछित सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी, एकत्रित की जा रही है।

*८९--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चक्की, भूसाडोही, जिला आजमगढ़ के निवासियों के रहने के स्थान को ऊंचा करने की योजना पर देवरिया जिले के किसानों द्वारा रोक लगा दी गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वांछित सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी, एकत्रित की जा रही है।

जोशीमठ से बदरीनाथ जाने वाले मार्गों का निर्माण

*९०—**श्री घनश्याम डिमरी**—सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या जिला चमोली में जोशीमठ से नीति की तरफ व जोशीमठ से बदरीनाथ की तरफ मोटर की सड़क बनने का काम हो रहा है या नहीं ? यदि हां, तो फरवरी, १९६१ तक कितना काम हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न में उल्लिखित सड़कों के सम्बन्ध में सूचना देना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं होगा ।

*९१—**श्री घनश्याम डिमरी**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या श्री बदरीनाथ जी की यात्रा के आगामी सीजन में जिला चमोली के अन्तर्गत जोशीमठ व बलदोड़ा व घाट चट्टी तक मोटर रोड बनने का काम जारी रहेगा या बन्द हो जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला चमोली में बलदोड़ा व घाट चट्टी तक मोटर रोड बनने का काम श्री बदरीनाथ जी की यात्रा के आगामी सीजन में भी जारी रहेगा, लेकिन ऐसा प्रबंध किया जायेगा कि मार्ग कम से कम समय के लिये बन्द रहे और यात्रियों को कम से कम असुविधा हो ।

कानपुर में फैब्रीकेटर्स

*९२—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर नगर में कितने फ्रेब्रीकेटर हैं, कौन-कौन दर्जे के हैं, इनका सालाना कोटा कितना-कितना है और उन्हें १ जनवरी, १९५९ से १५ जनवरी, १९६१ तक कितना कोटा और किस हेतु मिला ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कानपुर नगर के फैब्रीकेटरों की एक † सूची संलग्न है जिसमें इन फैब्रीकेटरों के क्लास, इनका सालाना कोटा और इनको १ जनवरी, १९५९ से १५ जनवरी, १९६१ तक दिये गये कोटे के आंकड़े दिखलाये गये हैं। लोहा तथा इस्पात का कोटा इन फैब्रीकेटरों को बक्से, बाल्टियां, भगौना, अलमारियां तथा कृषि यंत्र इत्यादि बनाने के लिये दिया गया था ।

*९३—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कानपुर इंडस्ट्रियल इस्टेट में लोहा व इस्पात के रजिस्टर्ड स्टाकिस्ट कितने हैं, उनको लोहे व इस्पात का कितना कोटा मिला है और यह कोटा किस-किस को परमिट पर और किन-किन को बिना परमिट के उक्त समय में दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कानपुर इंडस्ट्रियल स्टेट में लोहा तथा इस्पात का कोई रजिस्टर्ड स्टाकिस्ट नहीं है । अतः इनको लोहा तथा इस्पात का कोटा देने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री टीकाराम पुजारी द्वारा व्यवस्था का प्रश्न

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । एक खास बात है कि यह आगे वाले बढ़ते चले जा रहे हैं और पीछे वाले पीछे को हटते चले जा रहे हैं । आसमान ऊपर को जा रहा है और धरती नीचे को धसक रही है । जो नेता पर्ची भेज देते हैं कि इनको समय मिले उनको समय मिलता है जो नेता की चापलूसी करता है उसके लिये पर्ची भेज दी जाती है । इस माननीय सदन में न्याय होना चाहिये । जिस पर आपकी नजर पड़े उसको समय मिलना चाहिये और पर्ची के हिसाब से किसी को समय नहीं दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है ।

---

†सूची छापी नहीं गयी ।

१९६१–६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान——

अनुदान संख्या ३२–खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन

श्री अध्यक्ष——पहले तीन अनुदानों पर विवाद नहीं होगा, पहले उनको ले लिया जाय।

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)——मैं राज्यपाल महोदय कि सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२–खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ७०,५६,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२——खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ७०,५६,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४०——लेखन सामग्री और मुद्रण

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)——मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०——लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर १,६२,४६,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०——लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर १,६२,४६,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९–वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप

श्री धर्मसिंह——मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९–वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर २१,५६,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९–वैज्ञानिक शोध और सांस्कृतिक कार्य कलाप के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर २१,५६,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १३——सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या १४—— आयुक्त और जिला प्रशासन

***संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)**——मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३——सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर २,९२,११,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४--आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ५,८८,९५,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, यह गणराज्य और प्रदेश हम सब का है । इसका शासन सुचारु रूप से चले, यह उधर के बैठने वाले भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं । मैं यह आशा करता हूं कि इस बारे कुछ ऐसे ठोस सुझाव हमारे साथी देंगे कि जिन्हें हम स्वीकार कर सकें और इस प्रदेश का शासन आगे बढ़ सकें । मैं यह जानता हूं कि हमारे में कुछ कमियां हैं और बहुत-सी कमियां हमारे साथी बतायेंगे भी, लेकिन उसके साथ साथ मैं यह भी चाहता हूं कि जो अच्छाइयां हों उनका भी कुछ जिक्र वे किया करें । हमेशा हर आदमी बुरा है, यही कहते रहने से लोग यह सोचने लगते हैं कि अपोजीशन की तो यह आदत-सी पड़ गयी है कि हर चीज में उनको बुराई ही दीखती है । इसलिये अगर कोई अच्छी चीजें हों तो उन्हें भी बताना चाहिये । स्वराज्य के प्रथम क्षण में मैं देहरादून में था । वहां एक मिलिटरी के अफसर मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि मैं आज एक अफसर के पास गया, उन्होंने मेरा काम तो नहीं किया लेकिन मेरे साथ एक ऐसा बर्ताव किया और मुझे ऐसी बातें समझा दी कि मैं इस बात से कनविन्स्ड हूं कि मेरा काम नहीं कर सकते । तो आप कृपा कर के यह चीज अपने मुख्य मंत्री तक पहुंचा दें । उस जमाने में पंडित पंत यहां थे । मैंने उनसे बात बतायी कि ऐसा-ऐसा हुआ तो उनकी तबियत बड़ी प्रसन्न हुई ।

मैं यह जानता हूं और मुझे व्यक्तिगत ज्ञान है कि हमारे प्रदेश में ऐसे कई अफसर हैं जो १०-१०, १२-१२ घंटे ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं और उनके रहने से प्रदेश को काफी फायदा हुआ है । मुझे यह भी मालूम है कि हमारे झारखंडे राय जी को इतना साहस था कि उन्होंने इस हाउस में कुछ अफसरों की तारीफें की थीं । मैं यह भी जानता हूं कि हमारे राजनारायण जी भी कुछ अफसरों को जानते हैं कि वे बड़े ईमानदार हैं और अच्छा काम करते हैं और इस बारे में उन्होंने मुझसे भी कहा है । लेकिन मैं यह नहीं जानता कि आया उनमें इतना साहस होगा या नहीं कि वे यहां उसको कह सकेंगे । लेकिन मैं आशा करता हूं कि जो भी अच्छा काम आप देखें, कम से कम उसकी भी सराहना यहां करें ।

जैसा मैंने पहले कहा, हम इस बात को मानते हैं कि कुछ बुराइयां होंगी और हम उनको ज्यादा से ज्यादा दूर करने का प्रयत्न करेंगे । इस बजट में आप यह देखेंगे कि जो कुछ खर्चा बढ़ा हुआ है उसमें से कुछ तो ऐसा है कि जो चुनाव के कारण है, कुछ ऐसा है कि जो अच्छे कामों में, पहाड़ के काम में खर्च हुआ है । तो मैं चाहता हूं कि हमारे सदस्यों का ध्यान इस तरफ भी जाय कि जहां तक हमारे प्रशासन का काम है हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बार-बार यह बात कही है कि इस प्रदेश का प्रशासन कम से कम खर्च में चले, जो रेडटेपिज्म है, अफसरशाही है वह दूर हो । यहां पालीवाल जी नहीं हैं, उनको हमारे अफसरों में या हम में कोई कमी नहीं दिखाई देती, उनको तो हमारे पूरे सिस्टम में ही कमी दिखायी देती है । लेकिन जिस तरह से हमारा यह गणराज्य स्थापित हुआ है, वह एक सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है और उस सिस्टम में जो हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते थे और जो सुधार कर सकते थे हमारे मुख्य मंत्री उस तरफ लगे हुये हैं। मैं एक बार फिर उस तरफ और इस तरफ के साथियों से प्रार्थना करूंगा कि अगर आप अपोजीशन से कोई कटौती का प्रस्ताव भी पेश करें तो इसलिये न करें, क्योंकि आप उनको क्रिटिसाइज करना चाहते हैं बल्कि इस दृष्टिकोण से करें कि कुछ ठोस सुझाव आपकी तरफ से आवें जिनको मानकर आगे हम चल सकें । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि हमारी मांग मानी जाय ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको पेश किया, लेकिन कुछ नहीं बताया है कि वह क्या करेंगे और क्या करने वाले हैं। क्या वह कोई घोषणा करेंगे ५८ से ५५ करने की और क्या

कोई जो एक्सटेंशन्स दिये जाते हैं, ५८ के बाद वह दिये जावेंगे ? क्या वह कोई घोषणा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--मैं किसी मंत्री को दोबारा बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गौरीशंकर राय--वह बोलने के लिये तैयार हैं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--जी नहीं, अभी कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष--मैं बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--अध्यक्ष महोदय, न जाने क्यों मैं जब बोलने के लिये खड़ा होता हूं तब सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष सबको परेशानी हो जाती है।

श्री अध्यक्ष--इस वक्त उनको परेशानी नहीं है, वह तो सरकारी पक्ष से पूछने के लिये खड़े हुये थे।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १३ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य --नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है मंत्री, उप-मंत्री व सभासचिवों के असन्तोषजनक कार्य की चर्चा करना।

श्रीमन्, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १४ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है जिलाधीशों का पद समाप्त करके जिला परिषद् को जनपद स्तर पर सत्ता देने की मांग करना।

श्रीमन्, सामान्य प्रशासन का विषय जब यहां पर प्रस्तुत हुआ है, तो मैं पहले समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसको स्वतः प्रस्तुत करेंगे और एक विशद् ब्योरा भी सदन में प्रस्तुत करेंगे। यह सही है कि अगर मुख्य मंत्री जी ने इसको पेश किया होता और विशद् ब्यौरा भी साथ-साथ दे दिया होता तो मेरे मित्र गौरीशंकर राय जी को यह शिकायत न हुई होती। मैं एक वाक्य में सामान्य प्रशासन पर बोलते समय कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की स्थिति असामान्य है। असामान्य भी हर माने में है।

पहली बात तो यह है कि सामान्य प्रशासन की रपट सन् १९५७ के बाद आजतक इस सदन में हमें नहीं प्राप्त हुई है। मैं कल से परशान हूं, आपके सचिव को लिखा है, पुस्तकालयाध्यक्ष को लिखा है लेकिन सब जगह से यही बात है कि रपट सन् १९५७ के बाद नहीं है और वह भी केवल अंग्रेजी में है। मैंने जब आपके सचिव को लिखा कि हमारे पास हिन्दी की प्रति भेजी जाय तो हमें उत्तर मिला कि हिन्दी में उसकी प्रति नहीं है केवल अंग्रेजी में है। मैं समझता था कि हमारे वह मित्र तो मूव करके चले गये, पता नहीं जवाब वह देंगे या मुख्य मंत्री जी देंगे। लेकिन मैं समझता था कि इस समय जिस सरकार की तारीफ स्वतः उसके ही द्वारा हो रही है, वह कोई बहुत अच्छा काम करने जा रही है और वह सरकार हमारे सामने सामान्य प्रशासन की रपट हिन्दी में प्रस्तुत करेगी। लेकिन अफसोस कि वही अंग्रेजी भाषा जिससे आज इस सरकार को अपना प्रशासन करने में सहायता मिल रही है, अति तेज रफ्तार से चल रही है। सरकार के मुंह में अंग्रेजी की बोली और हाथ में बन्दूक की गोली है। अगर मुंह में से अंग्रेजी की बोली और हाथ में से बन्दूक की गोली इस सरकार के हट जाय तो निश्चित मानिये कि इस प्रदेश में जनतंत्र आ सकता है, इस प्रदेश में समाज वाद आ सकता है और निश्चित मानिये कि समाजवाद के पर्यायवाची के रूप में सर्वोदय भी आ सकता है। मगर मैं क्या कहूं ? हमारे माननीय मित्र कहते हैं कि हम स्पष्टवादी बनें और उन्होंने हमको चुनौती

[श्री राजनारायण]

दी कि हमसें साहस नहीं है। राजनारायण में अगर साहस हो तो वह सही बात कहें। मैं चाहता हूं कि वह सुनें--इस सरकार ने, जनवरी से तो निश्चित रूप से यह सरकार चल रही है, अंग्रेजी को हटा करके उसके स्थान पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने की क्या कार्यवाही की ? एक बार नहीं, कम से कम दर्जनों पत्र हमारी पार्टी की ओर से सरकार की सेवा में भेजे गये हैं। लेकिन सरकार का उत्तर बराबर एक ही है कि इस संबंध में हाई कोर्ट के जजों से लिखा-पढ़ी हो रही है। इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही होगी, क्या होगी और कब होगी यह आज तक सरकार ने स्पष्ट नहीं की। जिस प्रकार से पूर्व सरकार की भर्त्सना होती थी राष्ट्र भाषा को प्रतिष्ठित न करने के लिये, उसी प्रकार से इस सरकार की नहीं होनी चाहिये क्या ? मैं अपने मित्र श्री शमसी मीनाई की एक शेर पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि---

"मुझे नफरत न थी अंग्रेज की वह कौमो सूरत से।
जो नफरत थी वह थी उनके अन्दाजे हुकूमत से॥
जो अपनों की हुकूमत आबे रहमत दे नहीं सकती।
तो अपनों की भी सूरत से मुहब्बत हो नहीं सकती॥"

क्या चाहते हैं माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी, वह ऐसी ख्वाहिश रखते होगें कि उनसे मुहब्बत की जाय, हमारी भी इच्छा होती है कि उनसे मोहब्बत करें, लेकिन किस लिये करें, सरकार की अनिश्चित नीति के लिये करें, इसकी करनी और कथनी में विभेद के लिये करें, सारे प्रदेश में अनिश्चितता के वातावरण के लिये करें, उसके लिये हम मुहब्बत करने वाले नहीं हैं। हम मुहब्बत करेंगे सरकार की निश्चित नीति के लिये, अगर सरकार जनतंत्र प्रणाली लेकर चले तो मोहब्बत हो सकती है। मगर हमें बताया जाय अगर इस सरकार ने एक भी काम निश्चयात्मक रूप से प्रस्तुत किया हो और उस पर अमल किया हो।

शुरू-शुरू में बड़ा हल्ला हुआ कि यह सरकार नैनीताल नहीं जायगी और बराबर अखबारों में बयान आये कि यह सरकार खर्चा कम करेगी। लेकिन आज तक सरकार की ओर से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि सरकार नैनीताल जायगी या नहीं। सबसे पहले हमारा झगड़ा पंत जी से १९५२ में हुआ था और हमने कहा था कि नैनीताल नहीं जाना चाहिये, और मैं आज तक सदन की या सरकारी कमेटी की बैठक में नैनीताल नहीं गया। इसीलिये मैं किसी कमेटी में नहीं रहता। मैं सदन की कमेटी में भी नहीं रहता और सरकारी कमेटी में भी न रहने का तो हमारा वसूल है, सिद्धान्त है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अच्छी परम्परा है कि यहां पार्लियामेंट के मेम्बर को सरकारी कमेटियों में नहीं लिया जाता है। वहां उसमें लिखा हुआ है कि यह लाभ का पद है लेकिन मुझे अत्यन्त दुःख है कि हमारे बिरोधी दल के लोग भी सरकारी कमेटियों में बैठते हैं और यह कलंक का काम करते हैं। एक परम्परा बनानी चाहिये और मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से घोषणा होनी चाहिये कि सरकारी कमेटियों में लोगों को रख कर उनको खुश करने की नापाक कोशिश न करें। श्रीमन्, अगर सरकार नहीं मानती है तो जो बिरोधी दल के लोग हैं उनको आचार संहिता अपने लिये स्वयं बनानी चाहिये। जब माननीय आचार्य नरेन्द्रदेव जी थे तो हमने आचार्य संहिता बनाई थी और हमें गर्व है कि सोशलिस्ट पार्टी का एक भी सदस्य आज तक सरकारी कमेटी में नहीं गया।

श्रीमन्, अब मैं राष्ट्र भाषा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। राष्ट्र भाषा के सम्बन्ध में संबिधान की धारा ३४८ को पुनः आपके द्वारा प्रस्तुत करना चाहता हूं। संविधान का अनुच्छेद ३४८ निश्चित रूप में यह कहता है कि राज्यपाल चाहे तो उच्च न्यायालय की भाषा हिन्दी घोषित कर सकता है या प्रदेश में जो भाषा प्रचलित हो उसे घोषित कर सकता है। लेकिन उसमें एक प्राविजो लगा हुआ है, वह जजमेंट के लिये है। सरकार इसको दूसरे रूप में देखे। लेकिन हम क्यों वंचित हों अपनी बात को हिन्दी में कहने से, अर्जी हिन्दी में देने से ? क्योंकि श्रीमन्, आप अवगत होंगे कि इसी को लेकर हमें तीन महीने की सजा काटनी पड़ी है।

जब महोदय ने कहा था कि मैं जानता हूं कि राजनारायणजी हिन्दी में बोलेंगे और मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि उच्च न्यायालय की भाषा हिन्दी है। मैंने कहा कि हमें बोलने दें यह हमारी राष्ट्रभाषा है। मैंने महात्मा गांधी जी की भी वह बात सुनाई कि जो मां बाप अपने बच्चों को अंग्रेजी लिखना पढ़ना सिखाते हैं वह उनके साथ द्रोह करते हैं और राष्ट्र के साथ भी द्रोह करते हैं हमने कहा कि हम न्यायालय के अपमान के दोषी चाहें हो जांय लेकिन राष्ट्र के अपमान का दोषी नहीं होना चाहिये। इसलिये हमको तीन महीने की सजा भुगतनी पड़ी थी और मैं सरकार को भी बताना चाहता हूं कि यह सरकार भी किंकर्तव्यविमूढ़ हो गयी। अनेक प्रकार की सरकारी मंत्रियों और अन्य लोगों की बातें हुई कि आन्दोलन वापस होने पर भी अन्य सोशलिस्ट तो छूटेंगे लेकिन चूंकि राजनारायण ने न्यायालय के अपमान में सजा पायी है। इसलिये सरकार उन्हें छोड़ने में असमर्थ है। अगर सरकार सही मानी में राष्ट्र की उन्नति के लिये सचेष्ट होती तो आज तक कभी की अपने प्रदेश के उच्च न्यायालय की भाषा हिन्दी हो चुकी होती। जितनी संविधान में गुंजायश है उतना तो करना चाहिये था।

न्यायकारिणी और कार्यकारिणी––मैं पूछना चाहता हूं कि इस सरकार ने भूतपूर्व सरकार से क्या अच्छा काम किया? अगर यह सरकार जनहितकारी होने का दावा करती है, तो क्या इसके लिये यह जरूरी नहीं था कि आते ही यह आदेश देती कि सारे उत्तर प्रदेश में न्यायकारिणी और कार्यकारिणी का अलगाव होगा? लेकिन आज तक नहीं हुआ। आज तक जुडीशल मैजिस्ट्रेट का कैरेक्टर रोल कौन बनाता है? कलेक्टर सिफारिश करता है और कमिश्नर बनाता है। आगे चल कर देखा जाय तो चीफ सेक्रेटरी लिखता है। जब तक उसका कैरेक्टर रोल कमिश्नर, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के हाथ में रहेगा, तब तक जुडीशल मैजिस्ट्रेट कभी भी न्यायपूर्ण ढंग से काम नहीं कर सकता। इसी बात को लेकर हमने मांग की कि न्याय और कार्य का प्रशासन अलग-अलग किया जाना चाहिये।

अभी कल का मामला है। ६ आयुर्वेदिक कालेजों को तोड़ दिया गया। इन आयुर्वेदिक कालेजों को तोड़ा होगा बिना सरकारी मंत्रियों से सलाह मशविरा लिये हुए? वाराणसी के बलदेवप्रसाद का नाम पुराना कांग्रेसी कौन नहीं जानता? उन्होंने राजेन्द्रप्रसाद जी के विशेष वैद्य के रूप में काम किया। इन बलदेव प्रसाद वैद्य का बड़ा गांव में आयुर्वेदिक चिकित्सालय तोड़ दिया गया वाराणसी में ३, मेरठ में २ और बांदा में १–६ तोड़ दिये गये। मैं आज सुबह से सोच रहा था कि इस सरकार को क्या संज्ञा दूं। तो सबसे अच्छी संज्ञा कछुए की मिली। जिस प्रकार कछुआ मूड़ी धाय भीतर, धाय बाहर करता है। उसी प्रकार से सरकार कभी मूड़ी भीतर करती है, कभी बाहर करती है। कभी कहती है कि यह करेंगे जब कहीं से चपेट आती है तो चित्त की दुर्बलता के कारण सरकार भीतर छुप जाया करती है।

श्रीमन्, १९५७ में भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने ५५ साल से बढ़ा कर ५८ साल कर दिया। उस समय मैं वाराणसी जेल में था। हमने पत्र लिखा, तार दिया। मुख्य मंत्री से अनुनय विनय किया कि आप इस देश में जब कि जनता की २७ साल औसत आयु है, वहां के सरकारी कर्मचारियों की उम्र को ५५ से ५८ न करें। हमने बहुत विनय और प्रार्थना की। लेकिन वह नहीं माने। हमको इस बात की खुशी हुई कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने जिस बात के लिये हमने तार दिया था उससे मिलता जुलता एक मसविदा पास किया कि ५८ साल की अवस्था नहीं होनी चाहिये, ५५ साल होनी चाहिये। उस समय के समाचारपत्रों में हमने यह भी पढ़ा कि आज के मुख्य मंत्री भी उसी विचार के थे जो हमारा था। जब तक शासन में न रहे तब तक दूसरी तुक्ताचीनी करो और शासन में आ जाने के बाद उसी काम को करते जाओ। माननीय मुख्य मंत्री के पास क्या औचित्य है कि अभी तक घोषणा नहीं की कि ५८ साल की अवस्था को ५५ साल कर दिया जायगा? वही लचर नीति, अस्पष्ट बात इस सरकार की ओर से बराबर आती रही है। कभी-कभी कहा जाता है कि इसमें

[श्री राजनारायण]

राय मांगी गयी है। कभी ऐडवोकेट जनरल की राय मांगी जाती है, कभी किसी की राय मांगी जाती है। हमारी राय कोई नहीं मांगता। हम लोग बेवकूफ माने गये हैं। मैं एक-एक विभाग का पूरा आंकड़ा प्रस्तुत कर सकता हूं। उस समय भी हमने माननीय मुख्य मंत्री की सेवा में प्रस्तुत किया था। जेल में था। काफी फुर्सत थी। पूरा जेल विभाग उठा लिया था कि अगर तीन साल की अवधि बढ़ जाती है तो उसके बढ़ने से कितनों का घाटा होगा, कितनों का नुकसान होगा, कितनों का गला कटेगा, सब पेश किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार के पास इतने सारे लोग हैं उनकी भी राय ले ले, मगर सरकार वह नहीं करेगी। तो मैं चाहूंगा कि सरकार स्पष्ट नीति की घोषणा करे कि वह ५८ से ५५ करेगी या नहीं, क्योंकि सारे प्रदेश में इस सवाल को लेकर चर्चा होती है। हमसे भी लोग पूछते हैं कि सरकार की नीति क्या है? हम कहते हैं कि, हमारी तो सरकार है नहीं, हमारी नीति जो है वह यह कि हम ५५ से आगे कुछ भी बढ़ाने को तैयार नहीं है। ५५ तक सर्विसेज को आखीरी हद होनी चाहिये। मगर श्रीमन्, जब हम ५५ कहते हैं तो उसी के साथ साथ एक बात और कहना चाहते हैं कि जो यह एक्सटेंशन होता है, अवधि की बढ़ोत्तरी होती है, इस पर भी सख्ती के साथ, कड़ाई के साथ पाबन्दी होनी चाहिये क्योंकि सरकार ने यह अधिकार ले रखा है, जिसको चाहेगी अवधि बढ़ायेगी ५५ से ५८, ५८ से ६०, ६० से ६२। मेरा स्पष्ट कहना है कि जो एक अवस्था की अवधि बना दी जाय उसका पालन सख्ती के साथ हो। उसमें फिर किसी प्रकार की रियायत नहीं होनी चाहिये कि किसी को बढ़ा दी जाय, किसी को न बढ़ाई जाय क्योंकि जब इस प्रकार का अधिकार रहता है तो वहां कुनबापरस्ती होती है, वहां पक्षपात होता है। मैं नाम नहीं लूंगा वरना बहुत से उधर के सदस्य यह कहने लगेंगे कि यह तो नाम लेना चाहते हैं। मगर नाम न लेते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे पास अनेक प्रमाण हैं जिनमें कि कुनबापरस्ती हुई है, और निश्चित रूप से पक्षपात हुआ है। श्रीमन्, एक बात जरा देखी जाय कि जो हम एक सिद्धान्त की बात कहेंगे उसको व्यवहार की कसौटी पर जब कहेंगे तो हमको नाम लेकर उदाहरण देना ही पड़ेगा, तो उदाहरणार्थ कहीं नाम आ जाय तो आप मुझे क्षमा करेंगे।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी जिन्होंने कि इस अनुदान को मूव किया, उन्होंने कहा कि हम तो तारीफ ही नहीं करते अफसरों की। हम उस युग में पैदा हुए हैं, जिस युग के अनेकों व्यक्ति सरकारी हर विभाग में मौजूद हैं चाहे पुलिस विभाग ले लिया जाय, चाहे अन्य कोई विभाग ले लिया जाय, क्योंकि श्रीमन्, हमारे साथ के पढ़े लिखे अनेक लोग आज बहुत सी सरकारी नौकरियों में भरे पड़े हैं, उनसे हमारी मुलाकातें होती हैं, हम उनसे सवाल करते हैं कि आखिर यह भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, तुम भी भ्रष्टाचारी हो गए, तुम भी रिश्वतें लेने लगे? तो उसका एक जवाब वह देते हैं कि शासन में अगर नौकरी करनी है तो बिना रिश्वत लिये कर नहीं सकते क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक एक भ्रष्टाचार की एक चेन बनी हुई है। अगर उसमें कोई ईमानदार आदमी चला जाता है तो उसको मजबूर कर दिया जाता है कि या तो वह नौकरी से पृथक हो जाय या मजबूर होकर के उन्हीं के रास्ते को अख्तियार करे। जब तक सरकार इस स्थिति को नहीं बदलेगी, तब तक यह चीज चलती रहेगी। आप चाहते हैं कि मैं नाम लूं। बड़े-बड़े ईमानदार आदमी हैं जिन्होंने कि चेक पकड़े हैं और वह सरकारी विभागों में रिश्वत के रूप में चेक आये हैं। उनको उठाकर फेंका गया है, उनके कैरेक्टर रोल को खराब किया गया है और उस कैरेक्टर रोल को खराब करने वाले हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय विराजमान हैं। अब आप नाम लेनेके लिये कहेंगे तो मैं नाम भी ले लूंगा।

गांव पंचायतों का चुनाव हुआ। जरा इसको देखा जाय। गांव पंचायतों के चुनाव में क्या मामूली धांधली हुई है? सामान्य प्रशासन-गांव पंचायतों में जो सरकारी पक्ष की तरफ से हस्तक्षेप हुए हैं उससे खराब हुआ है, सारा सामान्य प्रशासन बिगड़ गया है और उसको बिगाड़ने में पंचायत राज के चुनाव में डाइरेक्टर तक ने साजिश की। हमारे पास

श्रीमन्, प्रमाण मौजूद है। वाराणसी का एक केस है। हमें अफसोस है कि वह माननीय मंत्री जो यहां इस समय नहीं हैं। बचऊ अहीर का चुनाव हो गया, उसने सभापति की शपथ भी ले ली। मगर वहां से कुछ व्यक्ति आये, कह दिया कि ३०७ में इसको सजा हुई है। ३०७ मारल टर्पीट्यूड मान लिया गया और उस शपथ लिये हुए सभापति को हटाकर फेंक दिया गया और उसकी जगह दूसरे को रख दिया गया। कहा गया कि सारे प्रदेश में केवल एक घटना हुई। लेकिन क्यों हुई? यह अपने ढंग की एक घटना है क्योंकि हमारे पंचायत राज ऐक्ट में दिया हुआ है कि इल्लीगल, गैरकानूनी और नामजदगी के पर्चे की वापसी हुई या स्वीकृत हुई हो तो यह मामला एलेक्शन पेटीशन में जायगा। तो वह जब एलेक्शन पेटीशन में जाने वाला था तो डाइरेक्टर चुनाव को क्या हक हासिल था कि उसने उसको खत्म किया और उसकी जगह दूसरे को प्रतिष्ठित किया। श्रीमन्, हरिजनों का मामला है। आज सारे प्रदेश में हरिजनों के लिये पानी पीने के कुवों की कमी है, मकान की कमी है। अगर उन के लिये पीने के पानी की व्यवस्था हो जाय, तो मैं इस प्रशासन को अच्छा कह सकता हूं। कितने ही झगड़े होते हैं और जब हरिजन औरतें दूसरों के कुवें पर अपने मिट्टी के घड़े लेकर, गगरे लेकर पानी भरने जाती हैं, तो उन की गगरी फोड़ दी जाती है। यह प्रदेश के लिये, इस गांधी के युग के लिये कितने कलंक की बात है। जिस गांधी ने बराबर हरिजनों का नाम लिया, उन के लिये पीने के पानी का अभाव हो यह क्या है? अगर यह एक काम भी इस १४ साल में सरकार ने कर लिया होता तो तारीफ की बात थी। आज भी अगर सरकार इस सदन का आश्वासन दे कि एक साल के अंदर किसी भी हरिजन बस्ती में पीने के पानी का अभाव नहीं रहेगा तो भी मैं इसकी तारीफ करने के लिये तैयार हूं।

श्रीमन्, गांधी जी ने कहा था कि कलेक्टर एक छोटा गवर्नर होता है। मैं चाहता हूं पूज्य बापू की आत्मा अगर कहीं हो तो उन तक मेरी बात पहुंच जाय कि आज वह छोटा नहीं रह गया है, बड़ा गवर्नर हो गया है। कौन सा वह विभाग है जिसका जिले में सर्वेसर्वा कलेक्टर नहीं है। कत्ल होते हैं, आग लग जाती है, डाका पड़ जाता है, कलेक्टर से मिल ने जाइये तो उसका पता नहीं रहता। कभी किसी मंत्री को ट्रेन पर बिठाने के लिये गया है, कभी स्वागत में गया है, कभी हवाई जहाज पर चढ़ाने गया है। ट्रेन जब छूटने लगती है, उस समय उसे बिठाने के लिये वह जाता है। हर जिले के कलेक्टर का यही हाल है। मैंने इस सदन में कहा था कि वाराणसी एक पुन्य स्थल है, एक तीर्थ स्थल है। वहां कम से कम चार, पांच कलेक्टर हो जायं तो अच्छा है। एक मुसलमान रहे, एक हिन्दू रहे, एक कोई सिख रहे और दूसरे कोई इधर उधर के हो जांय। क्योंकि वहां रोज कोई न कोई मिनिस्टर, कोई न कोई गवर्नर कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जायगा, कोई सारनाथ देखने जायगा, कोई पूज्य मालवीय जी की वह पुण्य स्मृति काशी विश्वविद्यालय को देखने जायगा, तो हिन्दू जाय तो मुसलमान देखे और मुसलमान जाय तो हिन्दू देखे। उस के बाद यहां से एक आर्डर गया कि कलेक्टर लोग मंत्रियों के स्वागतार्थ न खड़े रहा करें। लेकिन क्या उसका पालन हुआ? जब मैं जेल से छूटा हूं जनवरी में, उसके बाद वाराणसी के कलेक्टर को मैं अपने घर से फोन करते-करते हैरान हो जाता हूं, लेकिन उनका पता नहीं चलता। कभी पता लगता है कि ट्रेन पर गये हैं, कभी दर्शन कराने गये हैं, कभी किसी को हवाई जहाज पर चढ़ाने गये हैं, कभी फलानी जगह गये हैं कभी फलानी जगह गये हैं।

मुझे बड़ी खुशी हुई थी माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा पढ़ कर कि जब उन्होंने कहा था कि अब हमारे मंत्रिमंडल के जो लोग हैं वे उद्घाटन करने नहीं जायेंगे। वह फंक्शन्स में नहीं जायेंगे। लेकिन मैं रोज देखता हूं कि कहीं कानपुर में, कहीं गोरखपुर में, बनारस में कहीं शाहजहांपुर में, हर जगह मुख्य मंत्री जी स्वयं विराजमान रहते हैं और उनके बयान आते रहते हैं। यह क्या है? डोंगरे का बालामृत पीने के पूर्व वे क्या थे और डोंगरे का बालामृत रूपी मुख्यमंत्रित्व पीने के बाद अब उन के बयान भी अखबार में छप जाते हैं और

[श्री राजनारायण]

इसलिये उनकी ख्वाहिश होती है कि सब जगह जांय और उनके बयानात खूब छपें। एक मिसाल दूं कि वे एक जिले में गये और बयान दे दिया कि नगरपालिकाओं के चुनाव अब जनरल एलेक्शन के पहले नहीं होंगे। जब मैंने यह समाचार पत्रों में पढ़ा तो मुझे अजीब परेशानी हुई। जिला परिषद् का चुनाव तो टाला ही था, अब नगरपालिकाओं के चुनाव भी टाल दिये। पता नहीं यह निर्णय उन्होंने बजट बनाने के पहले लिया था या नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसमें हम से इस चुनाव के लिये अनुदान मांगा गया है। जिला परिषद् के चुनावों के लिये १,८२५ रुपया हम से अनुदान मांगा जा रहा है बजट में जब कि सदन में घोषणा हो चुकी है कि जिला परिषद् के चुनाव बाद में होंगे, लेकिन फिर भी उस के लिये अनुदान कैसे आ गया और क्यों उस के लिये हम सरकार को रुपया दें, यह बात समझ से बाहर है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---समझने के लिये अकल चाहिये।

श्री राजनारायण---इस के बाद नगरपालिका के चुनाव के लिये मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी, लेकिन उसके लिये अनुदान फिर क्यों मांगा जा रहा है ?

यह सब बातें जरा अक्ल से होती हैं। "बुजुर्ग अक्ल न बस.ल, तवंगरी व वितदिलस्त न वमाल" माननीय मुख्य मंत्री जी बराबर कह चुके हैं कि वे हम से २० साल उम्र में ज्यादा हैं। हो सकता है यह ठीक हो। मैं यह जानता हूं कि वे मुझसे उम्र में ज्यादा ह और उनका अनुभव भी ज्यादा हो सकता है.....

श्री अध्यक्ष---वह तो आपकी उम्र को कम करते हैं। (हंसी)

श्री राजनारायण---मगर श्रीमान्, उम्र ज्यादा होने से ही अक्ल के ठेकेदार नहीं हो जाते। उम्र ज्यादे हो सकती है मगर अक्ल कम हो सकती है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमारा गुरू एक बालक भी हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार को जो अहं भाव आ गया है, उसको वह छोड़े। उनको जो भी अच्छी राय मिले, जो लोग भी उनको सुझाव दें, उनको वह अच्छी तरह से समझे। उन पर बिचार करे, वह सुझाव चाहे एक बालक ही क्यों न दे। मगर श्रीमन्, हर जगह विवाद होता है, मैं पूछता हूं उसकी क्या जरूरत है।

श्रीमन्, आज लेजिस्लेटिव काऊंसिल की क्या जरूरत है। कांग्रेस पार्टी से भी लोग उसके विरोधी हैं। हम लोग शुरू से ही इसके विरोधी रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं।

श्रीमन्, एक बात सही है उसको मैं कह दूं। सन् ४६ में विधान निर्माण परिषद् में सोशलिस्ट पार्टी को बुलाया गया था, मगर उसने जाने से इनकार कर दिया, इस सरकार के लोग उसमें गये थे। इसकी एक पूरी कहानी है, किन्तु हमने उस समय कहा था कि आजादी का सत्यासा बच्चा मत पैदा करो, वह बच्चा बराबर कमजोर रहेगा। हमने कहा कि अंग्रेजों से एक लड़ाई और लड़ो, मुल्क का बटवारा स्वीकार मत करो, अंग्रेजों को हटाओ। उस समय हमारा यही कहना था। श्रीमन् यहां के बारे में मैं क्या कहूं। आप को मालूम है कि कांगों के मोबूतू और कुसाबूबू ने बटवारे के लिये कहा मगर उस देश प्रेमी लुलुम्बा ने उसके बटवारे को स्वीकार नहीं किया और उसके बदले में अपनी जान दे दी। कांगों का बटवारा उसने स्वीकार नहीं किया...

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---जिस समय बटवारा हुआ था उस समय आपके नेता कौन थे ?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यह हमारा समय निकाल दिया जाय, मैं उनको बता दूं कि हमारे नेता कौन थे। उस समय हमारी पार्टी के नेता थे आचार्य नरेंद्रदेव, उस समय हमारी पार्टी के नेता थे श्री जयप्रकाश नारायण, उस समय हमारी पार्टी के नेता थे डाक्टर

राम मनोहर लोहिया। हमने उस समय भी मना किया था जब यह पंत जी के पार्लियामेंटरी सेक्रटरी हो कर गये थे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त––श्रीमन्, बंटवारे का प्रश्न उठाया गया। मैंने इसलिये सवाल किया था क्योंकि बंटवारे के मसले से आचार्य नरेंद्रदेव और उनके नेता सभी सहमत थे। वे बतायें कि वे लोग उस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे या नहीं ?

श्री राजनारायण––श्रीमन्, हमारा समय यह दे दिया जाय। इस तरह से हम लोग लाभान्वित ही होते हैं। मैं इसका भी जवाब देता हूं। श्रीमन्, आचार्य नरेंद्रदेव, श्री श्री जयप्रकाश नारायण व डाक्टर लोहिया साहब को गांधी जी द्वारा बुलाया गया। वे लोग वहां गये और उनसे यह कहा गांधी जी ने कि बंटवारे को तो मैं भी स्वीकार नहीं करता हूं। किन्तु चूंकि जवाहर लाल जी और सरदार बल्लभ भाई पटेल इस प्रस्ताव को स्वीकार कर चुके हैं, अपनी सहमति दे चुके हैं, अतः तुम लोग चुप हो जाओ। वे लोग चुप रहे क्योंकि वे लोग अल्पमत में थे। आज भी आप देखते हैं कि हम अल्प मत में होने के कारण अक्सर जब हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम सदन से उठ कर चले जाते हैं। उन्होंने भी उस समय उसमें भाग नहीं लिया था....

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं एक बात उनसे पूछ लें ?

श्री अध्यक्ष––वे बैठ नहीं रहे हैं।

श्री राजनारायण––आप कृपया बैठिये, मैं आपको गुप्ता जी के बराबर नहीं मानता हूं––देत हिमायत की गधी, एरावत को लात––आप बैठिये। सजनी मैं हूं राजकुमारी, आप उस जगह को अभी नहीं पा सकते। गुप्ता जी की बात दूसरी है।

श्रीमन्, अभी सवाल हुआ, आप यह देखेंगे कि ज़वाहर लाल जी प्रधान मंत्री बन गये, सब लोग चले गये। गांधी जी ने कहा कि अब कांग्रेस के सदर आप जयप्रकाश को बना दो। सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई नैशनल कमेटी की और यह आमंत्रण आ गया था गांधी जी की ओर से जयप्रकाश जी को कांग्रेस का सदर बनाया जाय। जयप्रकाश जी ने कहा कि यह हमारे लिये शोभा की बात नहीं है। जब हमारी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को कांग्रेस के राष्ट्रपति का पद मिल रहा है तो हम में सबसे बुजुर्ग आचार्य नरेंद्र देव जी हैं, यह पद पहली बार उन्हीं को सुशोभित करना चाहिये। अब फिर कार्य समिति की बैठक हुई। उस समय क्या कहा गया ? यह कहा गया कि बापू के प्रस्ताव को तो जयप्रकाश ने टर्न डाउन कर दिया, (नहीं माना) बापू जी का प्रस्ताव कहां रह गया जब नरेंद्रदेव जी का नाम ले लिया तब यह तय हुआ कि गांधी जी से पूछ लिया जाय। गांधी जी का मौन व्रत था, उनसे पूछने कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तब शायद राजेंद्र बाबू गये। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश चाहते हैं कि नरेंद्रदेव सदर बनाये जाये। गांधी जी ने लिखा कि मेरे लिये नरेंद्रदेव उतने ही प्यारे हैं जितने कि जयप्रकाश। और वह चिट्ठी जब आयी तब तिकड़म दूसरी थी, लेकिन जबाब क्या हो ? तब सीधे सीधे बात आ गयी। जो उस समय बहुमत का दल था, उसने कहा कि मैंजारिटी, अपने को माइनारिटी में रिड्यूस करने के लिये तैयार नहीं है (बहुमत अपने को अल्पमत में बदलने को तैयार नहीं है।) बिलकुल साफ बात थी। उन्होंने यह कह दिया कि चूंकि राइटिस्ट्स का बोल-बाला है, लेफ्टिस्ट्स अल्पमत में हैं, इसलिये कांग्रेस का संगठन उनके हाथ में देने के लिये तैयार नहीं है। इससे बात साफ हो गयी, गांधी जी की बात नहीं मानी गयी, इसलिये मैं गुप्ता जी से कहूंगा कि वह डा० राममनोहर लोहिया की किताब "भारतीय विभाजन का अपराधी कौन, (Guilty men of Indias Partition) उसको पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष––आपके ५ मिनट रह गये हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यह समय न जोड़ा जाय।

श्री अध्यक्ष---वह काट के ही कह रहा हूं।

श्री राजनारायण---तो मैं यह कह रहा था कि लोक सेवा आयोग के संबंध में मुझे बहुत कुछ निवेदन करना है। १९५२ से हम सामान्य प्रशासन के संबंध में इन बातों को बार-बार रखते रहे हैं। केवल यह कहने से कि हरिजनों का सही प्रतिनिधित्व हो जायगा, काम नहीं चलेगा। प्रतिनिधित्व नहीं हो पारहा है, इसलिये लोक सेवा आयोग में भी हरिजनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। वह आज तक नहीं रखा गया गया। आज हर जगह ऐसे आदमियों का बहुमत है जो बैकवर्ड क्लास की बैक में रहते हैं, उनका सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। इसी तरह से १८ फीसदी का संरक्षण आज तक हरिजनों को नहीं मिला।

१५ हजार रुपया लोक लेखा समिति में नये ढंग से स्वीकार किया गया है। यह जिसके लिये है, क्या इसकी आवश्यकता थी? जब इस बजट पर वह बहस नहीं कर सकते हैं तो उन ४ सदस्यों को जो लेजिस्लेटिव कौंसिल के हैं उनको रखने के लिये १५,००० रुपये खर्च करना, कहां तक उचित है?

खैर, अब हम इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहते। हम यह कह देना चाहते हैं कि सामान्य प्रशासन पर पहले खर्च २,०७ लाख था, अब ३,३२ लाख हो गया। यह पैसा कहां जा रहा है? यह अच्छी स्थिति में नहीं जा रहा है, यह प्रदेश की स्थिति को बरबाद करने जा रहा है।

अधिकतम जोत का विधेयक पास हो चुका है गर्मियों में, लेकिन आजतक लागू क्यों नहीं हुआ? सारे प्रदेश में चकबन्दी ने हाहाकार मचा रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि चकबन्दी की कार्यवाही आज बन्द होनी चाहिये। जब अधिकतम जोत की सीमा हो रही है तो पहले बटवारा कर लिया जाय, फिर आवश्यकता होगी तो चकबन्दी का काम किया जायगा। आज जो रिश्वत नहीं दे सकता है, गरीब है उसको भूमि बंजर और ऊसर मिल रही है और जो दे देता है उसको अच्छी मिल रही है। एक बात हमने कही थी कि कानून में यह व्यवस्था की जाय कि जिसकी छोटी जमीन हो वह पहले अच्छी जमीन पाये और बड़ी जमीन वालों को दूर जमीन मिले। अगर हमारी यह बात मान ली जाती तो चकबन्दी की धांधली बहुत कुछ दूर हो जाती।

श्रीमन्, श्री सम्पूर्णानन्द की सरकार ने हमारी दृष्टि से अनेक कलंकपूर्ण कार्य किये हैं। मगर उनके सारे कलंकों को श्री चन्द्रभानु गुप्त की सरकार ने माफ कर दिये केवल एक काम करके कि सिंचाई की दर में जो तीन आने की छूट थी वह वापिस ले ली गई। यहां पर झूठे तर्क प्रस्तुत किये गये। कहा गया कि भाव बढ़ गये, किसानों के घर में पैसा ज्यादा आया। श्रीमन्, आपको मालूम होगा कि सोशलिस्ट पार्टी का है एलान मत देना दसगुना लगान। जब दसगुना लगान लेना था तो कहा गया था कि किसानों के पास नोट के बंडल हैं, मूस कुतर डालेंगे इसलिये सरकार की तिजोरी में रख दें। लेकिन श्रीमन् १७२ करोड़ में से ३४ करोड़ ही दसगुना वसूल हुआ तो सोशलिस्ट पार्टी की बात सही उतरी।

श्रीमन्, वर्तमान मुख्य मंत्री जब खाद्य मंत्री थे तब उन्होंने जबरदस्ती किसानों से गल्ला वसूल किया। हमने कहा था कि जबर्दस्ती न करो, दो, चार, पांच एकड़ वाले किसानों से गल्ला मत लो, जो बड़े काश्तकार हों जिनके पास गल्ला खाने से बच जाय उनसे आप ले लीजिये कोई हर्ज नहीं है। श्रीमन्, सरकार जब उसमें भी असफल हुई तब उसको हमारी बात समझ में आई।

श्रीमन्, यह तीन आने की सिंचाई की छूट बहुत कुर्बानियां करने के बाद हासिल हुई थी कुछ ललनाओं के सिन्दूर धुल गये थे, कुछ मासूम बच्चे संगीन की नोक पर लुटाये गये थे और सरकार की अनुचित कार्यवाही के कारण अनेक नौजवान इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गये थे। क्या हम अरदाया का कांड भूल जायेंगे? क्या मथुरा का बाद कांड भूल

जायेंगे ? श्रीमन्, श्रीमती सुचेता जी नहीं हैं, वह उस समय प्रजा सोशलस्ट पार्टी में थीं, राष्ट्रीय समिति की सदस्या थीं, वह स्वतः जांच करने गई थीं । उनकी जांच रपट में है कि औरतों की साड़ियां खींची गई, औरतें नंगी की गई । क्या हम मिर्जापुर का भुड़कुड़ा कांड भूल जायं ? सैकड़ों जवानों ने ६-७ वर्ष की सजा पाई, अब हाईकोर्ट से छुटे हैं। लानत है इस सरकार पर, इस सरकार को शर्म आनी चाहिये। सरकार अपने चेहरे पर कलंक की कालिख स्वयं पोत रही है । सन् १९५४ में जबकि छूट मिली थी, उस समय गेहूं का भाव दो सेर दो छटांक था और इस समय गेहूं दो सेर २ छटांक का है। जिस दिन सरकार ने यह घोषणा अभी की उस दिन कानपुर की बाजार में दो सेर २ छटांक का भाव था। तो कौन सी महंगाई आ गई। श्रीमन्, दो मिनट और दे दें।

अब श्रीमन्, यहां सेक्रेटेरियट में जो स्पेशल पे सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह को मिलती है वह क्यों दी जाय। इसको बन्द होना चाहिये। मेरे पास कारण तो बहुत लेकिन समयाभाव के कारण मैं उनमें जाना नहीं चाहता । श्रीमन्, चपरासियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिये कहा जाता है कि साधन नहीं हैं, हम कहना चाहते हैं कि जिनको लम्बी तनख्वाहें मिलती हैं उनकी तनख्वाह कम की जाय। जो हजार, डेढ हजार तनख्वाह मिलती है उनको तो मुफ्त दवा मिलती है लेकिन चपरासी बेचारे जो यहां खड़े हैं उनके लिये दवा नहीं है।

श्रीमन्, कमिश्नर के पद क्यों चलाये जा रहे हैं ? जब आदरणीय पंत जी यहां पर थे तो उन्होंने कहा कि कमिश्नरों का रहना जरूरी नहीं है और कुछ समय के लिये उन्होंने ये पद हटा भी दिये लेकिन इस सरकार ने उनको फिर रखा। श्रीमन्, हम यह भी जानना चाहते हैं कि यह प्लानिंग डिपार्टमेंट का जाल क्यों बिछाया जाय ? जो दूसरे रेगुलर डिपार्टमेंट हैं उन्हीं से इस कार्य को नियोजित किया जाय। यह देखा जाय, फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक जाल बिछा हुआ है। हम तो पढ़ते-पढ़ते घबरा गये। देखा जाय कितने पद हैं यहां। वित्त सचिव, संयुक्त सचिव, अनुसचिव और न जाने क्या-क्या। जिस तरह से केंचुआ होता है उसी प्रकार का यह वित्त विभाग है।

हम असेम्बली में बजट पास करते हैं और यह सदन सर्वोपरि है। फिर सदन से पास होकर वह सीधे सीधे विभागों को क्यों नहीं भेज दिया जाता है ? क्यों बीच में फाईनेंस विभाग का अंकुश उस पर लगता है ?

अन्त में मैं मांग करूंगा कि रानी एलीजाबेथ पर जो राज्य में खर्चा किया गया है वह अनावश्यक खर्चा हुआ है, उसकी जांच की जाय, सरकार फिजूलखर्ची को कम करे, एकोनामी करे, निकम्मे मंत्रियों को हटाये, बाढ़ को रोके।

श्री अतीकुल रहमान (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, मैं मान्यवर का शुक्रगुजार हूं कि मान्यवर ने मुझे इस अनुदान पर बोलने के लिये समय इनायत फरमाया। मैं आदरणीय राज नारायण जी के कटौती के प्रस्ताव का मुखालिफ हूं लेकिन उसका जवाब देने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं इस काम को इस तरफ के बैठने वाले बुजुर्ग हजरात अंजाम देंगे।

मान्यवर, अगर सरकार के कामों को देखा जाय तो मालूम होगा कि इस सरकार ने बहुत से अच्छे काम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में किये हैं। पिछले दिनों ला ऐंड आर्डर की हालत भी अच्छी रही है। उत्तराखंड की तरक्की को अंजाम देने के लिये बजट में प्रावीजन किया गया है। सरकारी मुलाजिमान के लिये फैमिली पेंशन और ग्रेचुअटी का भी इंतजाम किया गया है, जैसा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया में है और बचत की भी कोशिश पुरखुलूस तौर पर की गयी है।

मान्यवर, अभी हमें मौजूदा डैमोक्रेसी के तजुरबे को सिर्फ १२–१३ साल हुये हैं, यह मुद्दत कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इस मुद्दत के अन्दर अगर हमारे सरकारी मुलाजिमान ने और खुद हमने डैमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बरतने के लिये पूरी ट्रेनिंग नहीं पायी है तो कोई ताज्जुब

[श्री अतीकुल रहमान]

की बात नहीं है। चुनान्चे इस ट्रेनिंग के न होने की वजह से कदम-कदम पर क्लेश पैदा होता है एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक वर्कर्स में। एडमिनिस्ट्रेशन को हर शख्स यह नहीं समझता कि डेमोक्रेसी में उसका रोल क्या है और इसी तरह से पब्लिकमैन भी अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ नहीं है कि डेमोक्रेसी में उसका रोल क्या है। हमारे मुकामी रहनुमा बड़े और छोटे अपनी सीमा से निकल कर एडमिनिस्ट्रेशन की रोजाना की बातों में दखल देना चाहते हैं और उसी तरह से हमारे मुलाजिमान भी अपने दायरे को छोड़कर सियासत के दायरे में आना चाहते हैं जो दायरा कि उनके लिये ममनूअ है। मैं मान्यवर के जरिये से गुजारिश करूंगा कि कोई ठोस कदम इस बात के लिये उठाना चाहिये या कम से कम वसीअतौर से एक अन्डरस्टैंडिंग ऐसी पैदा होनी चाहिये जिससे, जहां तक मुमकिन हो सके, इस बात को करने से रुकें।

मान्यवर, हर शख्स जानता है कि स्टेट में तीन चीजें हैं, ज्युडीशियरी, एक्जीक्यूटिव ऐंड लेजिस्लेचर। इनमें से एक्जीक्यूटिव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान इस वजह से है कि रोजाना का काम काज और इंतजाम उनके हाथ में है। कोई दावा करे कि लेजिस्लेचर सुप्रीम है, बेशक है। लेकिन हमारे पास सिवाय सजेशंस देने के और इस 'हां' और नहीं के और क्या है? तमाम ताकत रोजाना के काम-काज की और एडमिनिस्ट्रेशन की एक्जीक्यूटिव के हाथ में है। बार-बार ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से और दूसरी पार्टीज की तरफ से इस बात की अपील की जाती है कि एडमिनिस्ट्रेशन के चलाने में सहयोग दें और सूबे को उठाने में सहयोग दें। यह तो आसान बात है लेकिन एक्जीक्युटिव को आसमान से जमीन की तरफ उतारना इतना मुश्किल नजर आता है कि आज तक उसका हल नहीं निकला। इसमें बार एक्जीक्युटिव पर क्यों आता है? रोजाना के काम-काज की ताकत उनके हाथ में है। जब तक एक्जीक्युटिव इनीसियेटिव नहीं लेगी तब तक पालिटीकल पार्टीज या पब्लिक वर्कर्स के लिये इनीसियेटिव की बातें कहें तो इनीसियेटिव उनके हाथ में तो है नहीं, वह तो एक्जीक्यूटिव के हाथ में है। इसलिये मैं चाहूंगा कि एक्जीक्यूटिव को शासन के चलाने में इस किस्म का रोल प्ले करना चाहिये जिससे कि उनका अवाम से गहरा रापता हो। कहा जाता है कि कुछ-कुछ रापता है और मैं मानता हूं कि कुछ है। लेकिन वह रापता एक प्रिविलेज्ड क्लास का है। इसमें इधर के बैठने वाले या उधर के बैठने वालों की कैद नहीं है। जो लोग सवालों की बारिश करते हैं या और किसी सूरत से प्रिविलेज्ड हैं उनको जो मौका है वह अवाम को नहीं है। इसलिये मैं इस तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, एक बहुत अहम बात है। हमारे प्रदेश में क्या बल्कि देश में इमोशनल इंटेग्रेशन, जजबादी हम आहंगी की कमी है। मुखतलिफ जातियों में, मुखतलिफ मजहबों मानने वालों में, मुखतलिफ तबकों में जजबाती हमआहंगी की कमी की वजह से छोटी-छोटी और मामूली-मामूली बातों पर शरर व फिसाद पैदा हो जाते हैं। इसलिये ऐसी सिचुएशन का मैजिस्ट्रेसी को सामना करना पड़ता है जो कि गैर-मामूली है। अब ऐसी सूरत में ऐसे मुल्क और प्रदेश में अगर मैजिस्ट्रेसी और पुलिस जरा भी ढीली हो तो जाहिर है कि किसी किस्म के भी शरर और फिसाद का पैदा होना बहुत आसान है। इसलिये जब कहीं कोई दंगा, फिसाद हो तो तमाम की उसकी जिम्मेदारी मैजिस्ट्रेसी और पुलिस पर जानी चाहिये और अगर ऐसा कहीं हो तो उनको सैक करना चाहिये। पब्लिक कोआपरेशन के लिये हर गांव और शहर में कम्युनल हारमोनी कमेटी बनाई जानी चाहिये। यह म्युनिसिपैलिटी के जरिये से भी बनाई जा सकती है, उनके ताव्वुन से भी बनाई जा सकती है। म्युनिसिपल के अन्दर जो मेम्बर हैं उनसे भी बनाई जा सकती है और बाहर से भी। कोई भी सूरत अख्तियार की जा सकती है और ऐसा जैसा कि मने पंचायत के विभाग पर तकरीर करते हुये कहा था, पंचायतों और ग्राम सभाओं में भी बनाई जा सकती है और हर गांव और शहर में पब्लिक कोआपरेशन हासिल करने के लिये त्यौहारों के मौके पर, और आम तौर से अमनोअमान रखने के लिये कम्युनल हारमोनी कमेटी कायम होनी चाहिये। इसी तरह से

मान्यवर, मैं जबान के मुताल्लिक कुछ अर्ज करना चाहता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय राजनारायण जी का ख्वाब भी तब तक पूरा नहीं होगा कि हिन्दी ऐडमिनिस्ट्रेशन में आमतौर से इस्तेमाल की जानी चाहिये जब तक कि उस बात पर अमल नहीं होगा जो मैं अर्ज करने वाला हूं ।

(इस समय १२ बज कर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सुल्तान आलम खां, पीठासीन हुए।)

सरकारी ग़ज़ट और पब्लिकेशन्स की जबान देखिये । हिन्दी और संस्कृत के स्कालर्स का खयाल है कि हिन्दी का नाश मारा जा रहा है और यह शुद्ध संस्कृति भी नहीं है नतीजा यह है कि वह अवाम की जबान नहीं है । तो जब तक अवाम और जनता की जबान नहीं इस्तेमाल होगी तब तक न ऐफ़ीशियेंसी पैदा हो सकती है और न काम जल्दी हो सकता है ।

अंग्रेज़ी जबान भी जो काफ़ी रिच है वहां सिविल सर्विस के लोगों को और सेक्रेटेरियट के लोगों को प्लेन अंग्रेजी लिखने के लिये खास तौर से ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि यूनीवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स आते हैं वह लिबरल ज्यादातर ऐडुकेशन पाये होते हैं और उनकी जबान सादा अंग्रेजी जबान से कुछ भिन्न होती है लिहाज़ा उनको खास तौर से ट्रेन किया जाता है सादा अंग्रेजी लिखने के लिये । इस सिलसिले में सरकार की तरफ़ से एक कोर्स है और किताब लिखायी जाती है । मेरे पास एक किताब है जो सर अर्नेस्ट गोअर्स की लिखी हुई है जिसका नाम है "Complete plain words और "A B C of plain words" यह किताब सरकार की तरफ़ से लिखाई गयी है ।

सरकारी कागजात में संस्कृत लफ्जों की भरमार करना कोई अच्छा अमल नहीं है और इससे मासेज से कांटेक्ट भी कम होता है और ऐडमिनिस्ट्रेशन में ऐफ़ीशियेंसी भी कम होती है ।

एक सुझाव यह है कि लेजिस्लेशन का काम जो है वह बहुत मुश्किल काम है । कानून जो बनाये जाते हैं, जो इधर १२, १३ साल के अर्से में बने हैं हाई कोर्ट के जजमेंट्स देखने से पता चलता है कि उसमें जगह जगह ऐसी खामियां रह जाती हैं कि अगर कानूनी तवज्जह से बनाये जायं तो ऐसी गलतियां न हों । इसके लिये मेरी तजवीज है, सारे देश में न सही, लेकिन अपने प्रदेश के लिये तो कह ही सकता हूं कि यहां पर एक इंस्टीट्यूट आफ़ लेजिस्लेशन सरकार कायम करे, हालांकि अगर इंडियन इंस्टीट्यूट आफ़ लेजिस्लेशन कायम हो सके तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर यह प्रदेश इनीशियेटिव ले, तो अच्छा कदम होगा । (लाल बत्ती जलने पर) मुझे जरा ज्यादा वक्त दे दिया जाय तो ३, ४ सजेशन्स और दे दूं ।

श्री अधिष्ठाता––३ मिनट आप और ले लीजिये ।

श्री अतीकुल रहमान––मान्यवर, इसी सूरत से स्टेटिस्टिक्स के काम के मुताल्लिक सुझाव रखना चाहता हूं । जहां तक बजट के प्लान सेक्शन का ताल्लुक है, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेविल पर स्टेटिस्टिक्स जमा करने पर बहुत जोर दिया गया है और उसके लिये काफी रुपया रखा गया है और केन्द्रीय सरकार भी उसमें मदद देने वाली है । यह बहुत अच्छी बात है । मुझे खुशी है क्योंकि स्टेटिस्टिक के काम में यह बात है कि जिस कदर उस काम जो छोटे दायरे में किया जायगा उसी कदर स्टेटिस्टिक्स ठीक होंगे और सही तरीके से गाइड कर सकेंगे । जितनी उसमें जमा, जरब और तफ़रीक लगती जाती है उतना ही ज्यादा वह आंकड़े धोखा दे सकते हैं। और काबिल एतबार नहीं रहता लेकिन जब ब्लाक लेविल पर स्टेटिस्टिक्स जमा करने का इन्तजाम हुआ है तो इस सूरत से तहसील, म्युनिसिपैलिटी और पंचायतों के दर्मियान इस किस्म का इन्तजाम किया जाय कि कितने आदमी बेकार हैं, कितने किस पेशे में लगे हुए हैं और क्या-क्या पेशे हैं । तो एक नया जोश खरोश लोगों में अपने मसायल को समझने का मौका मिलेगा ।

[श्री अतीकुल रहमान]

एक सुझाव मेरा यह है कि प्राइसेज का लेविल बराबर हाई होता जाता है। गिरानी बढ़ रही है और इंफ्लेशन हो रहा है। जो गवर्नमेन्ट मुलाजिम हैं उन को गिरानी अलाउन्स दिये जाने का इंतजाम है, उनकी इनकम बढ़ी है लेकिन जो लोग पेंशनयाफ्ता हैं और छोटे-छोटी पेंशन पाते हैं उनकी तरफ अब तक कोई तवज्जह नहीं गयी है। उन को भी गिरानी अलाउन्स की सूरत में कुछ मदद मिलना चाहिये या उनकी पेंशन में कुछ बढ़ोत्तरी होनी चाहिये। इसलिये इस तरफ भी तवज्जह करनी चाहिये।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि जो पब्लिक का काम करने वाले लोग हैं जैसे एम० एल० ए०, उनका अपना काम मन्कता हो जाता है। उसने ५, १० या १५ साल अपने जिन्दगी के यहां गुजारे और इस डिस्लोकेशन के बाद वह अपना कोई काम कर नहीं सकता। तो लेजिस्लेटर्स के लिये पेंशन का इन्तजाम होना चाहिये। इस वक्त तो इकोनामिक ड्राइव हो रहा है इसलिये कोई सवाल पैदा नहीं होता है लेकिन टोकेन प्रावीजन पर विचार होना चाहिये। इन अल्फाज के साथ मैं उस अनुदान की ताईद करता हूं।

*श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)---जनाब वाला, मैं आप का बहुत मशकूर हूं कि आप ने मुझे इस ग्रान्ट पर बोलने का मौका दिया। सामान्य प्रशासन का जहां तक ताल्लुक है, उसका एक खास काम है इस जम्हूरी निजाम में जिससे कि हमारा प्रदेश गुजर रहा है। जम्हूरी निजाम में तीन बातों की बड़ी जरूरत है यानी जो सर्विसेज़ हों वह एफिशियेंट हों और साथ ही साथ अपने फरायज का अन्जाम देने में कोई कोतही न करें। दूसरे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तीसरे यह कि हमारी डेमोक्रेसी जितनी ऊंची उठाई जा सके, वह उठायी जाय और यहां की जुडीशियरी इंडिपेंडेंट हो।

पिछले दो चीजों में गैर मुताल्लिक समझ कर उन्हें कतअन छोड़ रहा हूं। जहां तक सर्विसेज़ का सवाल है, मजदूर तभी खुशहाल रह सकता है जब उसकी तनख्वाह ठीक होगी। आज अगर देखा जाय तो पुराने दौर से आज बहुत चीजों में महंगाई बढ़ गयी है। ९, १० साल के दौरान में जो गिरानी बढ़ती गई है और पंचसाला मनसूबे में जो और भी गिरानी बढ़ने वाली है, चीजों की कीमतों को सस्ता नहीं किया जा सकता है और दम व दम गिरानी बढ़ रही है ऐसी सूरत में वे तनख्वाहें जो ५ या १० साल पहले दी जाती थी वे कम हैं और इसलिये यह जरूरी है कि एक पे कमीशन की नियुक्ति की जाय और वह इस बात पर गौर करे। जहां तक इस सेक्रेटेरियट का वास्ता है यहां पर बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि वे लोग जो क्लार्क हैं, जो काफी क्वालिफ़ाइड हैं ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट भी हैं उनकी तरक्की की गुंजायश बहुत कम है। ऐसी मिसालें मौजूद है कि जहां क्लार्क्स एक्जीक्यूटिव कौंसिलर्स तक हो गये हैं अपनी काबिलियत की बदौलत। यहां जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं वे अंडर सेक्रेटरी तक हो सकते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी नहीं बन सकते। इस बात की भी जरूरत है कि उनके लिये यह रास्ता भी खोल दिया जाय। सेक्रेटेरियट में जहां जो लोग हैं उनको उसी डिपार्टमेन्ट में चलने दिया जाय क्योंकि उनको उसमें तजुर्बा है, काफ़ी काम करने के बाद उन को एक महारत हासिल हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक डिपार्टमेन्ट के आदमी को दूसरे डिपार्टमेन्ट में भेज दिया जाता है, इससे भी एक उलझन पैदा हो जाती है जो कि बहुत अच्छी चीज नहीं है।

इसके साथ-साथ मैं आप के जरिये से मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ मबजूल करना चाहता हूं कि इस डेमोक्रेटिक सेट अप में आप की सेकेंड फ़ाइव ईयर प्लान में ३२ करोड़ रुपया ऐसा था जो वक्त के अन्दर सर्फ नहीं हो पाया। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यह थी कि जो मंत्री साहबान थे वे उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सके और अपने आफ़िशल्स से काम नहीं ले सके। मिनिस्टर्स का काम यह है कि वे विजिलेन्ट रहें, उनका काम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हर वक्त फ़ाइल लेकर लिखने पढ़ने का नहीं है। उनका काम काम लेना है। और थोड़ी सी तवज्जह में इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि सन् ४७ के पहले के और आज के दस्तूर में एक बैयन फ़र्क़ नजर आता है। एक ऐसा वक्त था जब कि सन् ४७ से पेश्तर तीन रोज तक हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और दूसरे ऊंचे अधिकारियों को गवर्नर साहब के यहां जा कर रहना पड़ता था, उनके यहां मेहमानदारी करनी पड़ती थी लेकिन सन् ४७ के बाद वह दस्तूर खत्म हो गया और वह सेन्चुअरी एलाउन्स जो करीब १९ हजार रुपये के है उसका सही इस्तेमाल आज नहीं हो रहा है। आज तो जब मंत्री साहबान दौरे पर जाते हैं तो उनका ज्यादातर वक्त कमेटियों में लग जाता है, उद्घाटन में और खाने की और चाय की दावतों में खर्च होता है। मुझे इस हाउस में लगभग ५ साल हो गये, इस बीच में किसी कैबिनेट मिनिस्टर से मिलने का इत्तफ़ाक़ मुझे नहीं हुआ। एम० एल० एज० एक कोआर्डिनेटिंग लिंक होने चाहिये मिनिस्टर्स और आफिशल्स के बीच में। मैं अपनी बात नहीं कहता हूं। जो कांग्रेस के एम० एल० एज० हैं उनको भी कभी बुला कर मंत्रियों ने नहीं पूछा कि तुम्हारे यहां क्या दिक्कतें हैं, क्या जरूरतें हैं। एस० पीज० की तीन महीने बाद मीटिंग होती है लेकिन वह भी कभी हो पाती है और कभी नहीं हो पाती है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और कमिश्नर्स वगैरह की मीटिंग्स होनी चाहिये जिसमें कि तबादले खयालात हो सके और बहुत सी ऐसी बातें लायी जा सकें जो कि निहायत जरूरी और लाजिमी हों।

एक और चीज है कि हमारी सरकार जो बात कहती है वह पूरी नहीं कर पाती। थोड़े दिन हुये उन्होंने एक अजीब तमाशा किया कि लेजिस्लेटर्स अपने फोटो भेजें। काहे के लिये कि उनको रोडवेज के पास दिये जायं। चुनांचे फ़ोटो खिंच कर आने लगीं। मेरा यह सवाल नहीं है कि उनको पासेज दिये जायं बल्कि मेरा कहना यह है कि सरकार जो भी बात करे वह सोच समझ कर करे। गवर्नर साहब ने कहा था कि हम कुछ सहूलियतें देने जा रहे हैं। यहां का प्रेस काफी होशियार है। उसने उस बात को मैगनिफाई करके अखबार में निकाल दिया। मुझे बहुत हैरत हुई कि मैं एक केस में यहां से बहस करने बरेली कई बार गया। सेशन्स जज के सामने वह केस था। एक बार मैंने कहा कि आप ऐसी डेट मुकर्रर करें जब कि सरकारी वकील तैयार हों। इत्तफाक है कि हमारे दोस्त मिस्टर जगदीशशरण अग्रवाल भी वहां मौजूद थे। उन जज साहब ने कहा कि हर दफ़ा जब आप लखनऊ से आते हैं तो आपको फ़र्स्ट क्लास का किराया मिलता है, इसलिये आप को आने म क्या दिक्कत है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अदम वाकफ़ियत है जजेज को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को। कहीं कोई झगड़ा होता है तो १०-१० घंटे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब को इत्तला नहीं हो पाती है। सदर साहब, अभी मुझसे पहले बोलने वाले साहब कह रहे थे कि बड़ी विजिलेंस है। बरेली में इसी मुहर्रमदारी में झगड़ा हुआ १२ बजे रात को, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पता नहीं चल पाया कि कहां और किस वक्त झगड़ा हुआ। जब टेलीफोन किया गया तब उनको पता चला। तो जो आज हमारी मालूमात की हालत है वह अच्छी नहीं है। हम काम नहीं करना चाहते हैं न उस तरफ तवज्जह ले जाना चाहते हैं। तो यह डिमोक्रेसी जिसके हम मुद्दई हैं उस के लिये मैं बड़ी सफ़ाई से और दावे से कहता हूं कि अगर जम्हूरियत इस मुल्क से गई तो उसके जाने की जिम्मेदारी आप के आफिसर्स पर होगी। आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और दूसरे जो नीचे लेविल के आफ़िसर्स हैं उनके रवैये में परिवर्तन लाने की बहुत सख्त जरूरत है। उनके दिमाग में यह रहवा है कि वह बहुत होशियार हैं। मैं उन लोगों में से हूं जिन को मिलने का बहुत कम इत्तिफाक होता है। लेकिन मैं जानता हूं और कह सकता हूं कि अगर उनके रवैये में परिवर्तन नहीं हुआ तो मुल्क को बहुत ख़तरा है। बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जिसका मैं एवान में तजकिरा करना मुनासिब नहीं समझता हूं। न सिर्फ इस तरफ के बैठने वाले बल्कि बहुत से कांग्रेस के लोग भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के रवैयेको जानते हैं। इस जमाने में मेरी कांस्टीटुयेंसी में चकबन्दी हो रही है। कानून यह है कि २०, २१ रोज के अन्दर अपील दायर की जा सकती है लेकिन ए० सी० ओ० साहब ने दो रोज का वहां पर हुक्म दिया है कि दो रोज के अन्दर अपील दायर करिये और चुंकि टिकट

[श्री शिवराजबहादुर]

वगैरह नहीं लगाना है मुमकिन हो तो वहीं लिख दीजिये। अभी २६ मार्च का मामला है ए० सी० ओ० साहब ने एक साहब से कहा कि मैं एम० एल० एज० को परवाह नहीं करता। मैं लोगों को लेकर गया था। चूंकि कोई सरकारी अफसर नहीं थे, चपरासी नहीं था मैं उनको लेकर गया था लेकिन उन को बड़ा नागवार हुआ और उन्होंने कहा कि वह एम० एल० एज० को कोई वक़अत नहीं समझते। मैं अपनी कोई वकअत नहीं समझाना चाहता, लेकिन अगर यही मनोवृत्ति रही तो डेमोक्रेसी के लिये बहुत बड़ा खतरा इस मुल्क में है और दूसरी ताक़त का गलबा कहीं इस देश में न आये और उसका खतरा न पैदा हो जाय। जो लोग खादिम हैं, इस प्रजा के सेवक हैं वह दिमाग में यह न समझें कि हम प्रजा के नौकर हैं तो यह खतरा जरूर सामने आनेवाला है जिससे आप बच नहीं सकते। हमारे पास इसके लिये इलाज है। हम आन्दोलन कर सकते हैं। हम नाफरमानी कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने नाफरमानी की थी। नाफरमानी करने वालों ने ही देश को आगे बढ़ाया है। कानून के बनाने वाले देश को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे।

चूंकि लालबत्ती हो गयी है इसलिये दो-तीन बातें बहुत जल्दी जल्दी कह कर खत्म करता हूं। कागज में जिस सूरत से लिखा होता है हकीकत में ऐसा होता नहीं है। हम यह चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में सामान्य प्रशासन को सही किया जाय क्योंकि उनके हाथ में अख्तियारात हैं और वह अख्तियारात है जो अंग्रेजी जमाने में कभी नहीं थे। उनकी ताकत बढ़ती चली जा रही है। आज डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर नहीं है। मैं चाहता हूं कि सामान्य प्रशासन इन तमाम बातों को सोचे क्योंकि यह अपने तहफ्फुज का सवाल नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी की रक्षा के लिये यह लाजिमी है कि जो कुछ आज हो रहा है और जो कागजात में है उन दोनों में कोई तवाजुन नहीं है। इसको दुरुस्त करना निहायत जरूरी है।

जहां तक एक्सटेंशन का सवाल है एक्सटेन्शन्स नहीं होने चाहिये। पेंशन की उम्र ५५ साल से ज्यादा रखना मुनासिब नहीं है। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण अनुदान पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं जो अनुदान मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं। साथ ही मैं जो कई बयान मुख्य मन्त्री जी के प्रदेश में हुये हैं, उन के सम्बन्ध में और कई विशेष समस्याओं की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिनकी वजह से आज गांव के किसानों को बड़ी परेशानी हुई है। अभी, अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न रखा गया था। सरकारी कर्मचारियों की ग़लती से किसानों का लगान सात-सात साल का ज्यादा बढ़ा दिया गया है और उसको दुरुस्त कराने के लिये किसानों को जिले के हैडक्वार्टर पर जाना पड़ता है और स्टाम्प लगा कर दरख्वास्त देनी पड़ती है और मुकदमा दायर कर के दुरुस्ती की जा रही है। माल मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हमारा अमीन किसानों के पास जायगा और किसान के कहने पर कि उसका लगान गलत है दुरुस्त कर दिया जायगा और लगान वसूल करने से रुक जायगा। सादा कागज पर दरख्वास्त देने से दुरुस्त कर दिया जायगा। मैं अपने जिले से लौटा हूं। तहसील सिकन्दराबाद के किसानों से और जिले के सम्बन्धित अधिकारियों से भी मिला हूं लेकिन मंत्री जी के सदन में आश्वासन देने और एक महत्वपूर्ण कमेटी में आश्वासन देने के बावजूद भी स्टाम्प लगाकर दरख्वास्त देने पर दुरुस्त किया जाता है। इससे किसान परेशान हैं और लाखों किसान अदालतों में घूम रहे हैं। अपने जिले में ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों में भी ऐसा हो रहा है और सरकार तथा मंत्री जी के आश्वासन देने के बावजूद कोई आदेश नहीं भेजे गये हैं। मैं चाहूंगा कि किसानों की ओर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

ध्यान दिया जाय और जो किसान कठिनाइयों में हैं और उन पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है उससे उनको छुटकारा दिलाया जाय।

एक समस्या की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि आबपाशी की दरें बढ़ा दी गई हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि १९५४ में किस आधार पर छट दी गई थी और आज बढ़ाने का क्या कारण है। यदि यह समझा जाय कि किसानों की आमदनी बढ़ी है तो मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं, और यदि यह कहा जाय कि किसानों का खर्चा कम हुआ है तो इसको भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं। फिर मैं नहीं समझ पाया कि दरें क्यों बढ़ा दी गई हैं और यह किसानों के साथ न्यायोचित कदम नहीं है। मैं यह जरूर कहूंगा कि शहरों में गांवों में जितना अन्तर आमदनी में है उतना ही साधनों में भी है और यह बढ़ता चला जा रहा है। आज शहरों के अन्दर चौराहों पर रास्ता दिखाने के लिये कांसटेबिल खड़ा होता है और गांवों की यह हालत है कि वहां डकैती पड़ रही है और गांवों की सुरक्षा के लिये पुलिस फोर्स गांवों में नहीं बढ़ाया जा रहा है। शहरों में तफरीहगाहों पर पुलिस फोर्स घूमता है लेकिन गांवों में जहां जान माल की हिफाजत की जरूरत है वहां पुलिस की बहुत कमी है। शहरों में तो रात भर बिजली जलती है और शहर से बाहर दो-दो मील तक बिजली जलती है। इसलिये यहां कम पुलिस से भी काम चल सकता है और गांवों में रोशनी नहीं है, रात भर अंधेरा पड़ा रहता है और डकैतियां दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिये शहरों से पुलिस को कम कर के गांवों में भेजा जाय और देहात की जनता के जान माल की हिफाजत का इंतजाम किया जाय।

एक चीज और हुई है जिससे मुख्य मंत्री जी भलीभांति वाकिफ हैं कि पंचायतों के जो चुनाव हुये हैं, भले वह जनतंत्र का तजुर्बा कर रहे हों लेकिन मन्त्री जी जानते होंगे कि जनतंत्र का तजुर्बा नीचे के स्तर पर बहुत महंगा पड़ रहा है। गांवों में पंचायत के चुनाव से रंजिश बढ़ी है और आपस में कत्ल, डकैती वगैरा बढ़ी हैं इसलिये जरूरी हो जाता है कि हम पुलिस फोर्स को गांवों में बढ़ावें और देहात की जनता की सुरक्षा की तरफ ध्यान दें। मैं कहूंगा कि जहां हम जनतंत्र का तजुर्बा गांवों में करने जा रहे हैं वहां यह जरूरी है कि ऊपर के स्तर पर जनतंत्र की ट्रेनिंग हो। एक माननीय सदस्य जनतंत्र की ट्रेनिंग की बात कह रहे थे। मेरा कहना यह है कि जो ऊपर का स्तर है, चाहे राज्य के अधिकारी हों या जनता के नेता हों आज देश के ऊंचे कर्णधारों में जनतंत्र की उतनी ट्रेनिंग नहीं है जिसका आदर्श ले कर हम गांव के लोगों को जनतंत्र की शिक्षा दे सकें। जनतंत्र उस देश में सफल होता है जिस देश के नागरिकों का हृदय विशाल हो, जहां एक दूसरे के प्रति उदारता का भाव हो। इस भावना को हम देश के ऊंचे स्तर से ले कर नीचे स्तर तक कुछ कम पाते हैं। यह जनतंत्र का तजुर्बा यदि धीरे-धीरे किया जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा वरना गांवों की हालत बहुत अच्छी नहीं है।

मैं एक बात और कहूंगा कि यह जो आपकी योजनायें हैं, इनके बनाने पर और चलाने पर अधिक रुपया खर्च होता है। लेकिन जो वास्तव में योजनायें हैं उन पर बहुत कम धनराशि व्यय होती है। अगर आप इन योजनाओं में आमूलचूल परिवर्तन कर सकें और सरकारी कर्मचारियों की जो फौज बढ़ती जा रही है, उसको कम कर सकें तो बड़ा अच्छा हो। हर विभाग के द्वारा उसकी योजना बनवायें। सिंचाई विभाग की योजना सिंचाई विभाग द्वारा बने तो कम खर्च होगा और वह ज्यादा उपयोगी होगी। इसी प्रकार निर्माण विभाग की योजना निर्माण विभाग द्वारा बने, शिक्षा विभाग की योजना शिक्षा विभाग द्वारा बने, स्वास्थ्य विभाग की योजना, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बने, तो वह योजना सफल भी होगी और खर्चा भी कम होगा। लेकिन योजनाओं के नाम पर सरकारी कर्मचारियों की एक फौज भेज देना और योजनाओं में अधिक रुपया खर्च करना, यह देश के आर्थिक संकट को घटाने के बजाय बढ़ा रहा है।

एक समस्या हमारे देश और प्रदेश के सामने है, जिसको सभी लोग सोचते हैं। इस देश की स्वतंत्रता को जब भी खतरा हुआ वह साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों से हुआ। आज हमारे देश और प्रदेश में साम्प्रदायिक प्रवृत्तियां तेजी से बढ़ रही हैं। पूज्य बापू इस साम्प्रदायिक स्थिति के लिये ही गोली का निशाना हो कर इस देश से चले गये। इसके बाद मैं समझता हूं कि दिन

[श्री रामचन्द्र विकल]

दिन साम्प्रदायिक स्थिति बढ़ रही है। इस तरफ ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। कोई ऐसा क्रांतिकारी कदम बढ़ाना होगा जिससे इस पर काबू पाया जाय। आज से नहीं १९५२ से इस सदन में मैं बराबर सुन रहा हूं और उससे भी बहुत पहले आता रहा हूं और सुनता रहा हूं, जब इस देश में शिक्षा संस्थायें साम्प्रदायिक आधा र पर हों तब क्या यहां साम्प्रदायिक प्रवृत्तियां खत्म हो सकेंगी? बार बार सरकार पर जोर दिया गया कि आप साम्प्रदायिक संस्थाओं के नाम बदल दें और अगर आ।प नाम बदलने में असमर्थ हैं तो उनकी सहायता और मान्यता रोक दें। तो कोई कारण नहीं है कि कोई भी कमेटी या व्यक्ति साहस कर सके कि साम्प्रदायिकता के आधार पर किसी संस्था का नाम रखा जाय। लेकिन इस सुझाव के बावजूद भी आज तक साम्प्रदायिक संस्थाओं का पुनः नामकरण नहीं हो सका। अगर हमें देश की रक्षा करनी है तो हमें कुछ सख्त कदम बढ़ाने होंगे और यह सोचना होगा कि अगर हमें पुराने इतिहास से कुछ सबक लेना है तो साम्प्रदायिकता को रोकना पड़ेगा। साम्प्रदायिकता का बीज छोटे-छोटे बच्चों के संस्कारों में इन संस्थाओं में बचपन से आता है, उसे रोकना पड़ेगा।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि स्वास्थ्य विभाग में अस्पताल बढ़े हैं। लेकिन अस्पताललों में डाक्टरों की कमी और दवाई की कमी की तरफ बहुत दफा ध्यान दिलाया गया। अगर अस्पताल बढ़ जायं, और डाक्टर तथा दवाई न हो तो उससे क्या लाभ होगा? आज गांव का आदमी बीमारी से परेशान है। यह बहुत जरूरी है कि डाक्टरों और दवाइयों के लिये विशेष प्रयत्न किया जाय जिससे जो लोग बीमारी से परेशान हैं उन लोगों को दवाई मिल सके। एक दफा मुझे यहां बलरामपुर अस्तपताल में जाने का अवसर हुआ। वहां मैंने देखा कि सुबह के वक्त दस, दस डाक्टर एक साथ मरीजों कोदेखते हुये घूमते हैं जब कि आज गांवों के अस्पतालों में यह हाल है कि वहां डाक्टर नहीं मिलते। मेरा खयाल है कि शहरों में तो डाक्टरों का काफी इंतजाम है लेकिन देहातों में डाक्टर नहीं हैं। तो उसके लिये जरूरी है कि शहरों से डाक्टरों को कम करके देहातों में आप उन्हें भेजें। मेरा ख़ुद का अनुभव एक यह भी है कि तीन-तीन चार-चार वर्ष सरकारी नौकरी में रहकर ये डाक्टर फौरन अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो आप उसके लिये कोई ऐसा नियम बनायें या जिस वक्त उनको ट्रेनिंग में लेते हैं, उनका चुनाव होता है ट्रेनिंग के लिये, उस वक्त कोई ऐसा प्रतिबन्ध उन पर लगायें कि सरकारी सर्विस उन्हें करना लाजिमी होगा, इस शर्त पर आप उनको लें तो मेरा खयाल है कि बहुत से लोग आपकी इस शर्त पर तैयार हो जायेंगे। इसके अलावा कुछ सुविधायें इन डाक्टरों को देहातों में इस प्रकार की दें कि वह गांव में जाकर गांव के लोगों से मिलजुल कर रह सकें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से आशा करूंगा कि जिन कुछ विशेष बातों की तरफ मैंने ध्यान दिलाया है जैसे खासकर के किसानों के लगान की खराबी, आबपाशी की बढ़ी हुई दर तथा गांवों में फैली हुई असुरक्षा की स्थिति, उनकी तरफ वह विशेष ध्यान देंगे।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो यह प्रस्तुत अनुदान है उसमें कटौती का प्रस्ताव आदरणीय राजनारायण जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने अभी इस बात का यहां जिक्र किया था कि कमियां हमारे अन्दर हैं और उन कमियों को सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह कमियां हम आज करीब १२,१३ साल से लगातार देखते चले आ रहे हैं, हर बार सदन में यह बातें आती हैं कि इनकी तरफ हमारा रुख है, हम इनको सुधारेंगे। मगर इन ११ सालों के अन्दर इन कमियां को यह सरकार सुधार नहीं पायी है। वह बराबर चलती चली जा रही हैं। हर विभाग के अन्दर, हर क्षेत्र में यह कमियां व्यापक रूप धारण कर रही हैं।

आज जिस विभाग को भी देखा जाय, वह खर्चीला होता चला जा रहा है, फिजूल खर्ची बढ़ती चली जा रही है, भ्रष्टाचार उत्पन्न हो रहा है। तो हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि यह कमियां कब किस समय दूर होंगी। अभी हमारे इस देश के अन्दर ब्रिटिश साम्राज्ञी एलजाबेथ

आयी हुई थीं। हमारे सूबे में भी उनका आगमन हुआ था। आज की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि वह आगरा और बनारस आयी थीं तो उनके आने पर ४०,७८२ रुपया ३५ न० पै० खर्च किया गया। यह इतना बड़ा खर्चा किस लिये हुआ जब कि हमारा देश इतना गरीब है और हमारे देश में तबाही और बरबादी मची हुई है जिसके कारण कि यह विकास नहीं कर पा रहा है। ऐसी सूरत में जो यह ४०, ७८२ रुपया खर्च किया गया यह बिलकुल फिजूलखर्ची हुई और ऐसी फिजूलखर्ची नहीं होनी चाहिये। इतना ही नहीं २,१२४ पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किये गये थे उनके स्वागत में, सत्कार में और उनकी सुरक्षा में आगरे में और इसी तरह से वाराणसी में ५,८१६ पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी उनकी सुरक्षा, स्वागत और सत्कार में मुकर्रर थे। हमने यह भी देखा कि जिस समय खद्दर की टोपी और खद्दर का कुर्ता पहन पहन कर ये पुलिस के कर्मचारी इन शहरों में भेजे जा रहे थे उस समय उन जिलों के अन्दर और गांवों के अन्दर किस तरह अराजकता का वातावरण उत्पन्न था जिससे कि वहां से पुलिस का हटाना उचित नहीं था। तो क्या कारण है कि इस तरह से फिजूलखर्ची की जाय और बृटिश साम्राज्ञी के स्वागत के ऊपर इस गरीब देश का इतना रुपया बरबाद किया जाय? यह अच्छी बात नहीं है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं आइन्दा इस तरह की फिजूलखर्ची हमारे इस प्रदेश में नहीं होनी चाहिये।

दूसरी चीज मैं यह देखता हूं कि जब हमारे माननीय मंत्रिगण का दौरा किसी स्थान के लिये होता है तो जिले की पुलिस या थाने की पुलिस जगह-जगह खड़ी की जाती है माननीय मंत्रिगण को रास्ता बताने के लिये। कहीं चौकीदार, कहीं कांस्टेबिल और कहीं कहीं दूसरे अधिकारी इस तरह से माननीय मंत्रिगण को रास्ता बताने के लिये जगह-जगह खड़े रहते हैं। तो मैं यह देखता हूं कि जब हमारे यहां के मंत्रियों को पुलिस वाले रास्ता बता रहे हों तो मैं सोचता हूं कि इनके पास कौन सा रास्ता है जिसके आधार पर हमारे देश और प्रदेश की तरक्की इनके द्वारा हो सकती है। मेरा कहना है कि इस तरह से हमारे देश की तरक्की नहीं हो पायेगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि न्यायकारिणी और कार्यकारिणी जो इस प्रदेश में चल रही हैं उनमें फिजूलखर्ची इतनी ज्यादा बढ़ गयी है कि कार्य नहीं होने पाता। अधिकारी मुकदमे छोड़ कर अपनी चाय और नाश्ते में पड़े रहते हैं। गांव का किसान बैठा रहता है, इंतजार किया करता है कि कब डिप्टी साहब या टिप्टी कमिश्नर साहब आयें और हमारे मुकदमे की सुनवाई हो। होता यह है कि उसकी पेशियां बढ़ती चली जाती हैं और वकीलों का और उसके आवागमन का खर्च बढ़ता चला जाता है और उस के समय का दुरुपयोग होता है। मेरा सुझाव है कि जो तारीख न्याय करने के लिये नियत की जाय उसमें मुकदमों की सुनवाई जरूर हो और जो न्याय विभाग है उसे सस्ता किया जाय। इसमें फिजूलखर्ची रोकी जाय ताकि गांव का किसान और दूसरे लोग जो मुकदमों के लिये आते हैं उनको अनावश्यक व्यय न करना पड़े।

मैं देखता हूं कि हमारे देश की चुनाव प्रणाली दिन प्रति दिन खर्चीली होती चली जा रही है। जो चुनाव का तरीका है उसके लिये हमारा विश्वास हो रहा है कि जो पूंजीपति हैं या जो सरकार में हैं उनका ही आधिपत्य उस पर हो रहा है। मोटरें, जीपें, लाउडस्पीकर आदि इस तरह के साधन इस्तेमाल किये जाते हैं कि जिनकी वजह से ईमानदार आदमी का चुनाव में खड़े होना मुश्किल हो रहा है। इस खर्चीली प्रणाली को हमें देखना चाहिये कि किस प्रकार चुनाव में खर्च कम किया जा सकता है।

मैं यह भी देख रहा हूं कि जिलों और तहसीलों की सीमायें इतनी दूर दूर हो गयी हैं कि हेड क्वार्टर एक कोने में पड़ गये हैं और उस से लोगों को आने जाने में असुविधा हो गयी है। इसलिये जिलों तथा तहसीलों की सीमायें इस प्रकार से निश्चित की जानी चाहियें जिससे जनता को सुविधा हो सके, वहां तक आने जाने में और उसे सस्ता तथा ठीक ढंग से न्याय मिल सके।

जनता बराबर यह देख रही है कि आजादी के इन १३ सालों में उसे क्या मिला और अब उसे समझ में आ रहा है कि सारी सत्ता केवल लखनऊ और दिल्ली में केन्द्रित हो गयी है। जो सत्ता जनता के लिये होनी चाहिये, जो सुविधा जनता को मिलनी चाहिये वह उस तक पहुंच नहीं

[श्री सजीवनलाल]

पा रही है। इसलिये जनता का विश्वास सरकार से उठता जा रहा है और बाज वक्त जनता से यह सुनने को मिलता है कि इस सरकार से तो अंग्रेज सरकार अच्छा थी। मैं समझता हूं कि यह बड़े दुख की बात है और इस को ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये। गांव में बिखरी हुई जो ग्रामीण जनता है उसकी ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे देश में, प्रदेश में असुरक्षा की भावना दिन प्रति दिन उत्पन्न होती जायगी। गांव का किसान आज यह नहीं सोच पा रहा है कि सरकार हमारे हित के लिये क्या करने जा रही है। सरकार भले ही चाहे कितने नाम बदले लेकिन उस से जनता को सही सुख नहीं मिल सकता। गवर्नर की जगह भले ही नाम राज्यपाल कर दिया जाय, पटवारी की जगह भले ही आप उसे लेखपाल पुकारें, लेकिन जब तक उन के लिये कोई योजना न होगी, जब तक हमारे प्रदेश के साढ़े ६ करोड़ लोगों के हित की कोई योजना न होगी उस समय तक हमारे प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। इसलिये यह जरूरी है कि हम यह देखें कि कौन सी नीति अपनायी जाय कि जिससे हम गांव के गरीब किसानों को ऊपर उठा सकते हैं और अपने देश को, प्रदेश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं।

मेरा यह भी एक सुझाव है कि गवर्नर के पद को तोड़ दिया जाय और विधान परिषद् को भी तोड़ दिया जाय। जब हम एक हाउस बनाये हुये हैं जिसमें हम अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं तो यह जरूरत नहीं रहती कि विधान परिषद् भी हो और गवर्नर को भी कायम रखा जाय। हम यह समझते हैं कि इन दोनों जगहों पर फिजूलखर्ची ही होती है। इसमें जो करोड़ों रुपये का खर्चा होता है उसको बचा कर जो आपके चपरासी हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। वह पैसा उन्हीं मजदूरों से आता है, मध्यम वर्ग के लोगों से आता है।

आज असुरक्षा की भावना गांव-गांव में फैली हुई है। आज उसको दूर करने की जरूरत है। इसलिये आप चाहें तो पुलिस फोर्स को बढ़ायें या कोई और उपाय करिये। आप कोई ऐसा परिवर्तन कीजिये जिससे गांव में सुरक्षा की भावना पैदा हो सके। इसके लिये आप गांवों में लोगों को कुछ ऐसे हथियार दीजिये जिससे वे अपनी रक्षा कर सकें। आज जितना खर्चा होता है वह ज्यादातर शहरों पर ही खर्च होता है, बड़े-बड़े अधिकारी भी शहरों में ही रहते हैं, आपकी पुलिस भी शहरों में ही रहती है। गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। गांव की तरक्की के लिये यह जरूरी है कि वहां पर ज्यादा धन व्यय किया जाय। आज गांव की शक्ति पर ही शहर जिन्दा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि गांव की तरफ सरकार अधिक ध्यान दे।

आज यह भी देखा गया है कि अधिकारियों के अन्दर भी आपस में गुटबाजी की भावना पैदा हो गयी है। इसका नतीजा यह होता है कि कार्य ठीक तरह से नहीं होता।

अभी सरकार की ओर से पुलिस को यह हुक्म दिया गया था कि वे लोग गांव गांव में जायं और पदयात्रा करें, विनय आन्दोलन करें, किन्तु उससे भी कोई सुधार नहीं हुआ। जो फिगर्स दी गयी हैं वे बताती हैं कि प्रदेश में चोरी, डकैती आदि बढ़ी हैं। इस आन्दोलन से भी कोई फायदा नहीं हुआ है।

अंत में यह कहना चाहूंगा कि आज बेकारी की ओर और भुखमरी की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। आज गांव में जो बंजर भूमि पड़ी हुई है उसको भूमिहीन किसानों में बांट देना चाहिये ताकि अनाज की पैदावार बढ़ सके।

इसके अलावा अब तक सिंचाई की जो छूट दी जाती रही है जिसको अब खत्म कर दिया है उसको किसानों को दिया जाना चाहिये। इसको खत्म करके सरकार ने गरीबों के साथ अन्याय किया है, सरकार को चाहिये कि उसे वापस ले। अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो आपकी खाद्य समस्या हल नहीं होगी। जब पैदावार अच्छी नहीं होगी तो किसान अच्छे जानवर भी नहीं रख सकेंगे, अच्छा बीज भी नहीं रख सकेंगे और अच्छे साधन भी खेती के प्राप्त नहीं

कर सकेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि खाद्य का उत्पादन घटता चला जायेगा। इसलिये इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

आज जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं उनका वेतन सरकार को बढ़ाना चाहिये और जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनके वेतन को कम करना चाहिये।

इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो ५५ साल की सर्विस के बारे में अपनी राय जाहिर की है उसको तुरन्त लागू करना चाहिये। किसी भी सूरत में ५५ साल से ज्यादा समय तक किसी कर्मचारी को कार्य नहीं करना चाहिये क्योंकि उसके बाद उसमें कार्य करने की उतनी क्षमता नहीं रह जाती। इसके अलावा जो दूसरे लोग उनकी जगह पर कार्य कर सकते हैं वे नहीं आ पाते। इसलिये उसको ५५ साल कर देना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान सदन के सामने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा। श्रीमन्, जिन लक्ष्यों को हमने निर्धारित किया था उनकी ओर हम शनैः शनैः जा रहे हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने की हम चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन वह चेष्टा कब पूरी होगी, उसकी ओर हम ज्यादा ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। लक्ष्य बड़ा ऊंचा है---समाजवादी समाज की स्थापना और वह भी प्रजातांत्रिक रूप से। प्रजातंत्र हमारा एक नया बच्चा है और उसमें वह मान्यतायें और वह परम्परायें अभी कायम नहीं हुई हैं जो उन देशों में स्थापित हैं जिन में प्रजातंत्र बहुत दिनों से चला आ रहा है।

यह विषय जिसके मुताल्लिक आज इस सदन में बहस हो रही है, बड़े महत्व का है---जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन---इसका बहुत बड़ा सम्बन्ध प्रजातंत्र की गति से है। शुद्ध प्रजातंत्र में मुख्य कार्यकर्ता देश के नेता हुआ करते हैं, वह एक पालिसी लेडाउन किया करते हैं, नीति निर्धारित करते हैं। यदि उस नीति का सम्पादन ब्यूरोक्रेसी उम्दा तरीके से करती है तो वह उस लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब होती है जो देश ने निर्धारित किया है। और यदि ब्यूरोक्रेसी उस काम को पूरा करने में कसर रखती है या जिस तरह से वह होना चाहिये, वह काम नहीं होता है तो प्रजा दुख पाती है और समझती है कि वह कार्य जो हमने निर्धारित किया था वह पूरा नहीं हो रहा है।

जहां तक मैंने उन देशों के इतिहास को जहां प्रजातंत्र है, पढ़ा है तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि उन देशों की पब्लिक में और नौकरशाही में एक पूर्ण संघर्ष रहता है और नौकरशाही पब्लिक के ऊपर अपनी छाप लगाने की कोशिश किया करती है। जहां तक मैंने पढ़ा है, नौकरशाही कहां पर जोरदार है, उसके लिये उन्होंने उसके चिन्ह यह रखे हैं कि आया उसका खर्च अधिक तो नहीं है और नौकरशाही बढ़ती तो नहीं जा रही है? दूसरी चीज यह है कि आया कार्य संपादन में देर तो नहीं होती? तीसरी चीज यह रखी है कि पब्लिक का रुपया बरबाद तो नहीं होता है? वहां पर घूसखोरी और चोरबाजारी तो नहीं है? अगर ये चीजें वहां पर मौजूद हैं तो कहा जायगा कि नौकरशाही की छाप वहां की पब्लिक पर लग चुकी है। जब मैं इन चीजों को देखता हूं तो मालूम होता है कि हमारे यहां भी कुछ चिन्ह जरूर ऐसे आ गये हैं, और यदि उन चिन्हों को देख कर उस मर्ज का इलाज नहीं करेंगे तो हम उस रोग में ग्रसित हो जायेंगे जो हमारी मौत का कारण बन सकता है। एक सुझाव मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी के सम्मुख रखने की कोशिश करूंगा कि आया ये जो चार चिन्ह मैंने बतलाये हैं, वे हमारी नौकरशाही में आ तो नहीं गये हैं, और अगर आ गये हैं तो उसका इलाज करने की आवश्यकता है।

दूसरी चीज जो मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि सेक्रेटेरियट लेविल पर कर्मचारी अधिक बढ़ते जा रहे हैं। जहां तक मैंने देखा है, मेरा अपना खयाल है कि लगभग ६० आई० एस० एस० और आई० सी० एस० आफिसर्स यहां पर मौजूद हैं। मैंने यह भी

[श्री हरिश्चन्द्र सिंह]

देखा है कि सीनियर किस्म के आफिसर्स जिनकी जरूरत जिला लेविल (स्तर) पर ज्यादा हो सकती है, वह यहां पर मौजूद हैं। इसका नतीजा यह है कि डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन दिन प्रति दिन कमजोर होता जा रहा है। यहां पर बहुत से आफिसर्स दस-दस पंद्रह-पंद्रह वर्ष से सेक्रेटेरियट में घूम रहे हैं, आज इस पद पर, कल उस पद पर और परसों किसी और पद पर। यह ठीक है कि यहां भी तजुर्बेकार आफिसर्स की जरूरत है। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस बात को जानने की कोशिश करें कि जिला लेविल पर हमारे कर्मचारियों का स्टैन्डर्ड क्यों कमजोर होता जा रहा है। वहां पर आफिसर्स और कर्मचारी अपने कार्य का पूरी तौर से सम्पादन नहीं कर पाते हैं और इस बात को महसूस करते हैं कि हमारी गवर्नमेन्ट हमारी सुनवाई नहीं करती है।

श्रीमन्, यहां पर सेक्रेटेरियट में सेक्रेटरीज, एडीशनल सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, ओ० एस० डी०, इस तरह से ८-१० किस्म के सेक्रेटरीज बढ़ते जा रहे हैं। इस बात को देखने की जरूरत है कि आया काम करने के लिये इतने प्रकार के सेक्रेटरीज की जरूरत भी है। यहां पर बर्क का स्टैन्डर्ड इस प्रकार से देखा जाता है कि रिसीट्स का नम्बर ५.२ से ५.३ हो गया तो स्टाफ बढ़ा दिया जाता है। दूसरा कारण यह है कि सेक्रेटेरियट में हर चीज का केन्द्रीयकरण हो रहा है। एक हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट जो कि सेक्रेटेरियट के बहुत से अफसरों से सीनियर होता है वह अगर कोई चीज भेजता है तो उस पर साधारण नोट सुपरिन्टेन्डेन्ट, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी लिखता है, फिर वह अन्डर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तक जाता है। इसमें बहुत देर लगती है, यह देखने की जरूरत है।

दो एक चीजें मुझे और कहनी हैं जिनका सम्बन्ध खास तौर से इस अनुदान से है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, कोई छिपाने की आवश्यकता नहीं समझता कि आज हमार आई० सी० एस० और आई० ए० एस० आफिसर्स हर चीज के काबिल हो गये हैं, हर चीज को कन्ट्रोल कर सकते हैं, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट हो या ला-डिपार्टमेन्ट हो, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट हो, वह हर चीज के एक्सपर्ट माने जाते हैं बल्कि वही भाग्य विधाता बनना चाहते हैं। क्या एग्रीकल्चर या इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट का बड़े से बड़ा काबिल अफसर उस विभाग का सेक्रेटरी नहीं बन सकता? क्या इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट का सेक्रेटरी काबलियत में चीफ इंजीनियर से अधिक है? इसी तरह से हर डिपार्टमेन्ट में हमें इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिये कि सेक्रेटेरियट में एक रूलिंग क्लास बन गई है और एक सबार्डिनेट क्लास बन गई ह और दोनों में कनफ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। जिसके कारण हमें हर काम में देर लगती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अब इस मर्ज को रोकने की जरूरत है क्योंकि यह अब बहुत बढ़ गया है। किसी डिपार्टमेन्ट का हेड कोई प्रोपोजल भेजता है तो उसे सुपरिन्टेन्डेन्ट लेविल से सेक्रेटरी तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं, वर्षों नहीं तो महीनों लग जाते हैं और कभी-कभी वर्षों भी लग जाते हैं। नतीजा यह होता है कि जो काम जल्दी होना चाहिये वह देर से होता है और इतना रुक कर होता है कि समय पर पूरा नहीं हो पाता है। हम देख रहे हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बहुत-सी बातें अभी तक पूरी नहीं हो पायी हैं कारण उसका यह है कि रेडटेपिज्म इतना जबरदस्त हो गया है कि काम के पूरा होने में बड़ा समय लगता है। जहां तक वर्षों की बात है, जैसा मैंने कहा, वह यह है कि जुडिशियल सर्विस जो सन् ४७ में बनी थी, जिसमें आज तक कम से कम १५, २० आदमी रिटायर हो गये हैं, या मर गये हैं, उसके पेंशन रूल्स अभी तक नहीं बन पाये हैं। हमारे भाग्य विधाता ये आई०ए०एस० और आई०सी०एस० के लोग हैं और इसलिये ये पेंशन रूल्स नहीं बन पाये हैं और बहुत से आदमी पूरी पेंशन पाये बिना मर गये हैं और मरते जायेंगे।

इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं और इस ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा कि अगर इन मर्जों का इलाज नहीं किया जायगा तो मालूम नहीं हमें ये कहां पहुंचा देंगे, यह बात सोचने की है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, जब वर्तमान मंत्रिमंडल आया तो हमें उनकी घोषणाओं से बड़ी खुशी हुई थी कि अब फिजूलखर्ची कम हो जायगी और प्रशासन की ढिलाई दूर हो जायगी और लोगों की शिकायतों को दूर किया जायगा । उन्होंने थोड़ी सी मिनिस्टरों की तनख्वाहें कम कीं, यह इस दिशा में एक सही कदम था जो मजबूत नहीं पर हलका ही सही । लेकिन क्या वाकई जो बड़ी बड़ी घोषणायें की गयी थीं उन पर मंत्रिमंडल चल रहा है ? इसे सोचने पर जरा मायूसी सी नजर आती है । केवल थोड़े से चपरासियों को या १०, पांच पोस्ट कम कर देने म से कम खर्चा नहीं होता है । अगर सचमुच इस सरकार की मंशा है कि फिजूलखर्ची को रोके तो उसके बहुत कुछ अ.र उपाय हैं । कोई नया काम करने में यह ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि कौन इससे खुश होगा । जब यह देखा जाता है कि इससे वोटें बढ़ेंगी या घटेंगी या मेम्बर साहबान नाराज हो जायेंगे तो काम ठीक से चल नहीं सकता है । मैं नीयत की बात नहीं कहता हूं । मैं इच्छा की बात कहता हूं । जब हम प्रजातंत्र के रूप में आ चुके हैं तो राज्यपाल महोदय के पद को रखने का जस्टीफीकेशन क्या है ? क्यों यह सात लाख रुपया सालाना खर्च किया जाय ? यह पद समाप्त करके फिलूजखर्ची बन्द हो सकती है ।

अपर हाउस की बात है । जब हमारे यहां अच्छी तरह से बहस होकर कोई चीज पास होती है और मतभेद होने पर कांउन्सिल की बात नहीं मानी जाती तो अपर हाउस की क्या जरूरत है ? अगर कोई काम न हो तो तब भी हम यहां रहेंगे और अगर वे कोई ऐसा संशोधन कर देते हैं जिसे हम न मानें तो एक तरह से उनकी बेइज्जती होती है । अपर हाउस के सिद्धान्त को विदेशों ने भी उठा दिया , खासकर जैसे इंगलैंड में, वे एक्सपर्ट रखेंगे, जैसे कोई रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है या डाक्टर है । वे अपने तजुर्बे की बिना पर राय देंगे । यह नहीं है कि पोलीटिकल एक्सपर्ट्स उनके बीच में आ जावें । जब कथनी और करनी में सामंजस्य नहीं होता है तब बड़ी परेशानी हो जाती है और जनता की आस्था नहीं रहती है । एक बात और है । कांउसिल की सीटों के नांमाकन देखिये । मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं कहता हूं, सिद्धांत की बात है । मैं कहता हूं कि नामांकन में सिद्धांत की हत्या की जाती है । माननीय मुख्य मंत्री जी चुन कर यहां आ गये हैं, यह खुशी की बात है लेकिन क्या जरूरत थी कि ६ महीने के अन्दर डाक्टर बी० बी० भाटिया के स्थान पर वह अपने को नामांकित कराते हैं ? हमारे जिले को तो एक गेन हुआ कि मंत्री जी ने अपनी जगह पर लक्ष्मण सिंह अधिकारी जी को नामांकित करवा दिया जिसकी जगह मंत्री जी यहां आये हैं । लेकिन वह कौन से एक्सपर्ट ह ? जितने भी कांस्टीट्यूशन में एक्सपर्ट गिने जाते हैं उनमें से मुझे तो एक भी तरह के एक्सपर्ट नजर नहीं आये । जब बड़े आदमी ही आदर्श नहीं रख पाते हैं तब उससे बाहर बड़ी भ्रांति फैल जाती है ।

हमारा एडमिनिस्ट्रेशन top heavy है । हमारे बजट का करीब आधा हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन पर चला जाता है । उसके लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? हम सुनते-सुनते थक गये कि अफसरों से मोटर गाड़ियां वापस ली जावेंगी । ब्लाक्स में बी० डी० ओ० के पद के बारे में एक जिलाधीश के शब्द बताना चाहता हूं कि यह जन्नत का दरवाजा है, मोटर मौजूद, बच्चों के खेल के लिये, चिकित्सा के लिये सारे सामान मौजूद हैं । वह कहते थे कि अगले जन्म के लिये प्रार्थना भगवान से करेंगे कि हमें बी०डी० ओ० बनादे । बी० डी० ओ० का काम है कि गांवों में लोगों में जाकर सम्पर्क स्थापित करे लेकिन उसे कार दी गई है कि जिससे वह गांव में जाकर लोगों की आंखों में धूल झोंकें । आचार्य कृपालानी ने नैनीताल में ठीक कहा था कि These Ministers now physically throw dust into the eyes of the public. इसलिये कोई व्हाइट कालर लगाकर मोटर में बैठकर गांव में जाय तो वह क्या समाज की रचना कर सकता है ? मुख्य मंत्री जी ने ७ तारीख को यहां चार्ज संभाला और १५ तारीख को कानपुर में एक बहुत सुन्दर घोषणा की थी कि मैं सारे मंत्रियों से कहूंगा

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

कि उद्घाटनों में शरीक न हों। लेकिन देखने में आ रहा है कि पहले से कहीं अधिक उद्घाटन इन मंत्रियों द्वारा हो रहे हैं। एकाध उद्घाटन वह करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन कथनी और करनी में सामंजस्य न हो तो जनता पर उलटा असर होता है। अब श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं कि जब हर चीज के लिये योग्यता निर्धारित की जाती है जैसे अपर प्राइमरी कक्षा को कोई पढ़ाता है तो अध्यापक को एच० टी० सी० पास होना चाहिये, अगर हाई स्कूल को पढ़ाता है तो बी० ए० बी० टी० होना चाहिये लेकिन जो इस देश के कानून बनाने वाले हैं उनके लिये कोई योग्यता नहीं रखी गयी है। कई संशोधन संविधान में हो चुके हैं लेकिन इसके बारे में कोई नहीं किया गया है। यही वजह है कि सदस्यों को रोज इस हाउस में टोका जाता है कि आप इर्रेलेवेंट बातें कर रहे हैं। हम दुनियां भर के लिये योग्यता निर्धारित करते हैं लेकिन अपने लिये कोई योग्यता नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं नियमावली के नियम २८६ को पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। उसमें लिखा हुआ है—

(इस समय २ बजकर ६ मिनट उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

उपाध्यक्ष महोदय, वह इस प्रकार है—

"सभा में उपस्थिति के समय सदस्यों द्वारा पालनीय नियम—जब सदन का उपवेशन हो रहा हो, तो सदस्य—

(१) ऐसी पुस्तक, समाचार-पत्र या पत्र नहीं पढ़ेगा और न उस कार्य के अतिरिक्त ऐसा कोई कार्य करेगा, जिसका सदन की कार्यवाही से सम्बन्ध न हो।"

इसमें यह साफ लिखा हुआ है कि कोई भी सदस्य जो यहां बैठा हो ऐसा कोई कार्य न करेगा जो सदन की कार्यवाही से संबंधित न हो। लेकिन आम तौर से यह देखा गया है कि जब बहस हो रही होती है....

श्री उपाध्यक्ष—आपका इशारा किस ओर है? क्या कोई माननीय सदस्य ऐसा कर रहा है?

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा इशारा माननीय मुख्य मंत्री की ओर है। उनके सामने तमाम फाइलें रखी हुई हैं और वे उन पर आवश्यकीय आज्ञायें जारी कर रहे होंगे। जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें अपने मस्तिष्क के अन्दर कुछ सोचना भी पड़ता है और वे सोचने लग जाते हैं। यह काम ऐसा है जिसको एकान्त में शांत चित्त से करना चाहिये। पता नहीं समय की कमी के कारण वे ऐसा करते हैं या और कोई कारण है।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठिये, मैंने समझ लिया।

श्री मोतीलाल अवस्थी—कहने तो दीजिये, वाक्य तो पूरा करने दीजिये, बड़ मुसीबत की बात है। यह तो आपको शोभा नहीं देता।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने आपको बैठने के लिये आदेश दिया लेकिन आपने कहा 'शोभा नहीं देता।' यह चेयर पर लांछन है, इसको आप कृपया वापस लीजिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं एक शब्द भी वापस लेने के लिये तैयार नहीं हूं। आप कहें तो सदन से बाहर जा सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप बाहर जा सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जब जब मैं बोलने की कोशिश करता हू आप मुझे बोलने से रोकते हैं। मैं किसी प्रकार से भी इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष---मैं आपको आदेश देता हूं कि आप सदन छोड़ कर बाहर चले जायं।

(श्री मोतीलाल अवस्थी कुछ कहते हुये सदन से बाहर चले गये।)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---मान्यवर, मेरे पांच मिनट हो गये ?

श्री उपाध्यक्ष---आप बोलिये ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, उनको तो आपने बाहर निकाल दिया, लेकिन जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था उस पर आपने अपनी राय जाहिर नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष---(मुख्य मंत्री से) आपको इस सम्बन्ध में क्या कहना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---माननीय सदस्य ने जो जो बातें कही हैं, मैं उन सब का नोट रखता जा रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---चूंकि वह सदन से संबंधित कार्यवाही है इसलिये व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैं इसी प्वाइन्ट को उठा रहा था कि लेजिस्लटर्स की कोई क्वालीफिकेशन रखी जानी चाहिये। इस बारे में प्रदेशीय सरकार को केन्द्रीय सरकार को लिखना चाहिये।

दूसरा सुझाव यह है कि चुने जाने के बाद लेजिस्लेटर्स को ६ महीने की ट्रेनिंग देनी चाहिये जिससे वे पार्लियामेंटरी पद्धति को जान जायं कि किस तरह से चेयर का वह रिगार्ड करें और किस तरह से बोला करें। मुझ जैसा अज्ञानी और रा हैन्ड यहां चला आता है और यहां मुश्किल होती है, सदस्यों में नोटिंग, ड्राफ्टिंग व फाइलों को समझने की योग्यता होनी चाहिये। विद्वान आदमियों के लिये तो यह ठीक है। इसकी व्यवस्था के लिये माननीय मंत्री जी को केन्द्रीय सरकार से कहना चाहिये और इसके लिये कांस्टीट्यूशन में भी संशोधन की जरूरत हो तो वह भी कराया जाय।

एक बात मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह अब स्पष्ट घोषणा कर दें, ५८ और ५५ साल की उम्र की बात बहुत दिनों से चल रही है। दो-एक बार मुख्य मंत्री जी को तकलीफ दी कि कुछ बोलें लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी क्योंकि जो रेस्पांसीबिल जगह पर होता है वह offhand नहीं कुछ कह सकता है। मैं समझता हूं कि अब काफी सोचने का मौका उन्हें मिल गया है। अब ५८ को खत्म करके ५५ साल की घोषणा कर दी जाय और एक्सटेंशन न दिया जाय क्योंकि पैदावार बढ़ रही है, बहुत से नौजवान तैयार हो रहे हैं। पुराने लोगों को अब पेंशन देनी चाहिये ताकि अपनी well earned pension को वह लोग enjoy भी कर सकें। इसलिये एक्सटेंशन की पद्धति भी हटाई जाय। कोई एक्सट्राआर्डिनरी विशेषज्ञ हो ऐसा इंजीनियर हो कि जिसके बिना कोई डैम न बन सकता हो तो वह बात अलग है लेकिन बाकी के लिये वह खत्म होना चाहिये।

एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के सेपरेशन की बड़ी बात सुनी जाती है। हर सरकार जो यहां बैठती है उसकी दुहाई देती है। अबकी कहा गया कि १३-१४ जिले बाकी हैं उनमें भी कर देंगे। लेकिन क्या वाकई में मौजूदा पृथकीकरण वास्तविक है ? जुडीशियल आफीसर जो १०६-११० के अलावा फौजदारी मुकदमे सुनता है, बेल लेता है और न्याय के बहुत से काम करता है वह आज भी डिप्टी कमिश्नर के मातहत होता है। तो यह सेपरेशन कतई नहीं है।

जहां तक Judges का मामला है, जो ला कमीशन की रिपोर्ट है वह महा भयंकर है। बड़े-बड़े योग्य व विश्वसनीय आदमी थे उस कमीशन में। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जजेज की नियुक्ति में नेपोटिज्म, रिश्तेदारी वगैरह सबसे काम लिया जाता है। अभी हाल में श्री एम०सी० शीतलवाद ने एक मीटिंग में कहा कि जजेज के फैसलों का स्टैन्डर्ड गिर रहा है; लोक

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

तरह के जजमेन्ट नहीं हो रहे हैं। तो जो बड़ी अच्छी जुडिशियरी हमें मिली थी अगर उसमें इस तरीके से किसी व्यक्ति विशेष को रखने की बात की जायगी तो एक बहुत बड़ी देन खत्म हो जायगी। आज तक जो हुआ सो हुआ लेकिन आगे के लिये मंत्री जी जरूर इस बात का खयाल रखें कि ऐसे व्यक्तियों की जजेज के पद पर नियुक्ति न हो जिनके ऊपर उनकी योग्यता के सम्बन्ध में या अन्य किसी बात के सम्बन्ध में लोगों का संदेह हो।

श्रीमन्, सबसे बड़ी बात देश की सुरक्षा की है। अगर अरक्षा की भावना है तो क्या तरक्की होगी? हमारे गांवों में शाम को बाहर निकलना बन्द हो गया है। अभी हाल में मंत्री जी ने कहा था कि बांदा में एक साल में ५० कत्ल के मामले हुये उनमें से ३० में मुकदमें चले ही नहीं १२ मुकदमों में से ११ साफ छूट गये। तो सरकार का यह कहना कि गवाह टूट जाते हैं, बयान नहीं देते, यथेष्ट नहीं है। मेरा ऐसा भी तजुर्बा है कि most reliable और बढ़िया एवीडेंस withhold कर दी जाती है। एकाध केस के बारे में मुझे मालूम है कि वह documents सशंस कोर्ट में विदहोल्ड कर दिये गये। तो मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

दूसरी बात, पंचमांगी इस देश में बहुत बढ़ गये हैं। कोई बात यहां होती है तो पाकिस्तान और मास्को के रेडियो पर पहले आ जाती है और मुख्य मंत्री जी को बाद में पता लगता है। यह क्या बात है? केवल सरकार का यह कहना कि लाचारी है, यह बात नहीं है। बल्कि सरकार को विशेष स्टेप लेने चाहिये। (लाल बत्ती जलने पर)

मुझे तो ५ मिनट का ज्यादा समय मिलना चाहिये क्योंकि मैं अपनी पार्टी के लीडर की हैसियत से बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—इस समय तक १३ मिनट हो गये। १५ मिनट मैं आपको दे रहा हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—२० मिनट कर दिया जाय क्योंकि बीच में मोती लाल जी कुछ समय खा गये। मुझे ९ मिनट और मिलने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा ५ मिनट और ले लें।

श्री राजनारायण—यह शब्द अच्छा नहीं है कि मोतीलाल जी खा गये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जिस तरह के साम्प्रदायिक दंगे पहले हुआ करते थे वैसे ही आज फिर शुरू हो गये हैं। सीतापुर में बारूद की टियां आती हैं और साल में ३,३ बार पकड़ी जाती हैं। अगर बम कहीं पड़ता है तो मस्जिद से पकड़ा है। माननीय गृह मंत्री जी ने गलत कहा कि जनसंघ ने मुरादाबाद में साम्प्रदायिक दंगे का रूप दिया। लेकिन मजा यह है कि किसी जनसंघ वाले को सजा नहीं हुई और न किसी पर मुकदमा चला तो इस तरह से आक्षेप लगाना गलत है।

सबसे ज्यादा साम्प्रदायिकता इसलिये बढ़ी है कि हमारे शासक दल के हाथ साफ नहीं हैं। केरल में मुस्लिम लीग से एलायेन्स किया जाता है पंजाब में अकाली दल से और उड़ीसा में गणतंत्र परिषद् से हमसे कहा जाता है कि जनसंघ साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देती है। जिस मुस्लिम लीग पार्टी ने देश के टुकड़े कराये उससे बंधन करना क्या कांग्रेस के लिये ठीक है? भारतीय जनसंघ तो कहता है कि हम पाकिस्तान और हिन्दुस्तान को एक करेंगे। तो कौन साम्प्रदायिक है? थोड़े से वोटों के लिये, थोड़े आदमियों को खुश करने के लिये कांग्रेस द्वारा देशघातक नीति अपनाना देश के साथ धोका है। मैं मानता हूं कि मसलमान भाई हमारे वैसे ही अच्छे हैं जैसे हिन्दू। लेकिन देश प्रेम जिसमें हो उसको इस देश में बराबर हक मिलना चाहिये। पर अगर कोई आदमी ऐसे काम करे कि बारूद मंगाये, छुरा रखे, हमला करवाये, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिये।

दूसरा खतरा बाहर से है। चीन का हमला हम सब जानते हैं। आज सुरक्षा के लिये जो कुछ किया जाना चाहिये था वह नहीं किया गया। भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी से मांग की थी और बताया था कि चीन ने मंगोल के सिपाहियों को, हाई लैन्डर्स को अपने यहां रखा है ताकि अगर पहाड़ पर चढ़ाई हो तो उनसे काम लिया जाय। अतः इसी तरह से हमारे लोगों को भी जो पहाड़ों में रहते हैं, Gorilla warfare की ट्रेनिंग उन लोगों के जरिये जो मिलिटरी के रिटायर्ड आदमी रहते हैं, दी जाय ताकि अगर कोई दुश्मन का हमला हो तो हम पहले वहीं उससे निपट लें पूर्व इसके कि दुश्मन के नापाक कदम गंगा यमुना के पवित्र मैदान में पड़ सकें।

उत्तराखंड का निर्माण हुआ सबको बड़ी आशायें थीं। लेकिन काम इस हैफहैजार्ड वे में किया जा रहा है जिसका कुछ कहना नहीं। लीपूलेक में १५०,२०० मील बीच में रामेश्वर बार्डर में ले लिया गया। पर तिब्बत के नजदीक २५,३० मील पर बसा हुआ पिंडारी ग्लेशियर से उत्तर का भाग उत्तराखंड में नहीं है। फिर गढ़वाल में बोर्डर की सीमासे १५० मील नीचे उतर गये। तो इस तरह से Zig-Zag-way में नहीं बनानी चाहिये थी। हम केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री, माननीय पंडित गोविन्द वल्लभ पंत जी से मिले तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी सरकार नीचे से ऐसा सजेस्ट करती है तो हम अपनी तरफ से कैसे सीमा सीधी कर दें।

सुरक्षा के नाम पर सबसे पहले यातायात का प्रबन्ध होना चाहिये। पी० डब्लू० डी० का नया डिवीजन मुंसियारी वाला बना। न मालूम क्यों उसे फिर खत्म कर दिया गया। हम पूछते हैं तो सरकार कहती है सुरक्षा क नाम पर ये बातें नहीं बतायी जा सकतीं। लेकिन मेरा चार्ज है सरकार पर कि सरकार इसलिये नहीं बताती है क्योंकि वहां पर कुछ काम नहीं हुआ। आज भी धारचूला से आगे मोटर नहीं जा सकती है। बारेछीना बेरीनाग रोड के बारे में ४४ एम० एल० एज० ने जिनमें ३० कांग्रेस के हैं, लिख कर दिया कि यह सड़क जन सुरक्षा के लिये जरूरी है जिसका मेजर पोर्शन बार्डर में है। लेकिन उसको नहीं बनाते हैं।

आज होता क्या है? अपने गुट को मजबूत करने के लिये सब किया जाता है। देश की अगर तरक्की करनी है तो समान भाव से सबकी तरक्की होनी चाहिये।

भूतपूर्व मंत्री श्री विचित्र नारायण शर्मा जी ने कहा, २२ मार्च को चैलेंज दिया, कांग्रेस के और विरोधी दलों के एम० एल० एज० को कि हमारे पास बहुत रुपया पुलों के लिये है, पर कोई मांगता ही नहीं है। पुलों के लिये मैंने उसी दिन दरख्वास्त स्वयं उन्हें देदी जिस पर जिलाधीश से ६ पुलों के लिये सिफारिश आई और १ लाख ७५ हजार रुपया उनके लिये यहां से भेज दिया गया। लेकिन फिर उनमें हेरफेर करने का कुचक्र चल रहा है और इंटरफियर इसलिये किया जा रहा है कि कुछ वोट इधर उधर हो जायेंगे। इस तरह से देश की तरक्की का खयाल नहीं है बल्कि खयाल यह है कि किस पार्टी के एम० एल० ए० क्षेत्र में हो। जब तक यह भावना रहेगी तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। क्या विरोधी दलों के लोग इस देश में नहीं रहते हैं और अगर उनके क्षेत्र में पुल बन जायेंगे तो क्या वह क्षेत्र देश का अंश नहीं है? मौजूदा सरकार की द्वेषपूर्ण भावना से गुट बाजी ही बढ़ेगी। यही वजह है आज देश की सरकार में जनता की व हमारी आस्था नहीं है और लोगों का जनसहयोग नहीं मिल रहा है। गोविन्द सहाय कमेटी ने स्वीकार किया है कि ज्यों-ज्यों प्लानिंग बढ़ती गयी जन सहयोग घटता गया। ये बातें हैं जिन पर माननीय मुख्य मंत्री को ध्यान देना चाहिये।

एक मेरा सुझाव यह है कि पंचवर्षीय योजना सरकार के टर्म के साथ चलना चाहिये यानी ६२ से ६७ तक रहना चाहिये। एक साल सरकार पुराने कार्यों को दृढ़ करने हेतु रुक सकती थी। मान लीजिये किसी दिन सरकार बदल गयी और दूसरी सरकार ने तमाम प्रायरिटीज बदल दीं तब क्या व्यवस्था होगी? एक ही पार्टी होने के बावजूद भी इस साल तब्दीली से कितनी गड़बड़ी होने लगी है यह किसी से छिपा नहीं है। लिहाजा केन्द्रीय सरकार को यह सरकार सुझाव दे कि सरकार के साथ साथ नियोजन का पंचवर्षीय टर्म भी खत्म हो। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपने विचार पेश करने का मौका दिया। अभी मैं अपने दोस्त गोविन्द सिंह बिष्ट, जो जनसंघ के नेता हैं उनकी तकरार सुन रहा था और इससे पहले मैंने समाजवादी नेता की तकरीर को भी सुना। मुझे खास तौर से ये दोनों स्पीचें सुन कर बड़ी निराशा हुई और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो तकरारें वे हमारे सामने यहां कर रहे हैं, वह शायद इस सदन की तकरारें नहीं हैं और इस सदन के बाहर किसी पब्लिक मीटिंग में वे तकरीरें की जा रही हैं। मैंने उन तकरीरों में बहुत सी चर्चा सुनी जैसे अंग्रेजी जबान को हटाना और हिन्दी को नाफिज करना, इकानामी, सुरक्षा और इमोशनल इंटेग्रेशन की बातें सुनीं। लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि ऐसे नेताओं से जो कांस्ट्रक्टिव सजेशंस मिलने चाहिये थे वे उनकी तकरीरों में नहीं मिल सकें।

माननीय मुख्य मंत्री जी की जानिब से यह बात कही गयी थी कि शासन में बहुत सी कमियां तथा पूर्तियां हो सकती हैं, लेकिन जब उनके ऊपर हम एक नजर डालें तो जहां हमें उन कमियों को सामने लाना है वहां यह भी देखना चाहिये कि उसके अन्दर क्या-क्या अच्छाइयां भी हैं। इन दो बातों को मद्देनजर रख कर हम किसी सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। यह बात सही है कि इस सूबे में जिस सरकार ने बागडोर संभाली है उसे बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला है काम को देखने का, लेकिन फिर भी इन ४,५ महीनों के अन्दर मैंने यह देखा कि उन्होंने मेहनत से काम किया और कोशिश इस बात की कि वे सूबे के शासन के सुधार में क्या क्या कर सकते हैं लेकिन ४,५ महीने गुजरने के बाद भी आज हम यह जरूर देखते हैं कि जहां बाज चीजों में सुधार हुये वहां बाज चीजों में ऐसी बातें भी हैं जिन पर ज्यादा गौर करने की जरूरत है। मैं खास तौर पर यह बात कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी जिन्होंने मुख्य मंत्री के पद की जिम्मेदारी ली है उनके सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनके सामने आज सूबे की पूरी समस्यायें हैं, उनके सामने आज तीसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू होने का सवाल है और उनके सामने बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिनको उन्हें लेकर आगे चलना है। मैंने यह बात देखी भी और सुनी भी कि सरकार ने बहुत से कैम्पेन लांच किये हैं जिनमें से एक एकोनामी कैम्पेन भी है। इस बारे में कोई दो रायें नहींहो सकतीं कि एकोनामी एक बहुत अच्छी चीज है और उसके लिये बहुत गुंजायश भी हो सकती है। लेकिन मैं इस सिलसिले में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक एकोनामी ड्राइव का सवाल है उसकी एफिशेंसी के सवाल को हमें सामने रखना चाहिये। छोटी छोटी चीजों म अगर एकोनामी बरती जाय तो उससे कोई बड़ा लाभ भी नहीं होगा लेकिन अगर बुनियादी हैसियत से एकोनामी की जाय तो उससे कुछ नतीजे बरामद हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कहा यह जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स हैं जब वे दिन भर के लिये या चन्द घंटों के लिये दौरों पर जाया करते थे तो उनको क्योंकि सवारी तो सरकारी दी जाती थी लेकिन उनको डी० ए० ५ रुपये रोजाना मिला करता था। लेकिन अब उसमें यह तरमीम हुई है कि अगर वे शायद दो घंटे तक बाहर रहेंगे तो कोई डी० ए० नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा बाहर रहेंगे तो आधा डी०ए० मिलेगा और अगर ८ घंटे बाहर रहेंगे तो पूरा डी०ए० मिलेगा। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ये बहुत छोटी-छोटी तरमीमें हैं, इनके जरिये से कोई बड़ा लाभ नहीं हो सकता लेकिन इनीशियेटिव जरूर कम हो सकता है। एक बात मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आज जिस जमाने से हम गुजर रहेहैं, जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं उनमें इस बात की बड़ी जरूरी है कि हमारे ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स का इनिशियेटिव कायम रहे। मैं उनकी तरफ से कोई ब्रीफ होल्ड नहीं करता कि हमारे ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स में कोई कमी नहीं, बहुत सी कमियां हैं, लेकिन एक चीज जो एग्जीक्युटिव के पास दी रहनी चाहिये वह यह कि उनके पास इनिशियेटिव हो और यह इनिशियेटिव उनका कायम रहना चाहिये। ऐसा न हो कि हम इस तरीके पर इन चीजों को लेकर आगे बढ़े जिससे उनका इनिशियेटिव कम हो जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी चीज मैं खास तौर पर माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने पेश करना चाहता हूं। वह यह है कि उन्हें सिर्फ एकोनामी ही नहीं करनी है बल्कि उनको इस बात को भी देखना है कि खासतौर पर उनके प्लानिंग के काम में बहुत से शार्ट फाल्स होते हैं, सेकेंड प्लान में करीब १६ करोड़ रुपये का शार्ट फाल एक्सपेक्ट किया जाता था, अगर यह शार्ट फाल होता है तो हमें प्लान को उसी हद तक आगे बढ़ाने में नाकामयाबी होगी। तो हमें यह भी देखना है कि यह शार्ट फाल किस तरीके से दूर हो सकता है। अगर हम वक्त पर प्रिलिमिनरी काम को करते रहें तो इसमें कामयाबी मिल सकती है। कहा यह जाता है कि खासकर पी०डब्लू० डी० के काम में ज्यादा शार्ट फाल हुआ है, जमीनें नहीं मिलती थीं, एक्वीजीशन मुश्किल से हो पाता था, फारेन एक्सचेंज की दिक्कत, और मैटीरियल्स की भी दिक्कत बतायी जाती है। लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से ऐडवांस प्लानिंग करें तो हम इन तमाम चीजों पर उबूर हासिल कर सकते हैं और शार्ट फाल से बच जायेंगे और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे।

तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है और हमारे सामने है वह बढ़ती हुई आबादी का सवाल है। हमें मालूम है कि एक दफा इस हाउस के अन्दर सवाल हुआ था तो मुख्य मंत्री जी ने बतलाया था कि जो प्लानिंग की गयी है उसके अन्दर इस बात का खयाल कर लिया गया था कि बढ़ती हुई आबादी की क्या हालत होगी। तो जो बढ़ती हुई आबादी का खयाल रखा गया था उससे जो पता चला तो मालूम हुआ कि शायद एक फी सदी का अन्तर है ऐसा मुझे खयाल पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जिस तेजी से हमारे यहां आबादी बढ़ रही है, उसकी वजह से हमारे सामने बहुत सी प्राब्लेम्स पैदा हो गयी हैं। प्रोडक्शन का सवाल भी है और भी बहुत से सवाल हमारे सामने हैं और मैं समझता हूं कि इस बारे में तो कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि गवर्नमेंट का कुछ एफेक्टिव कदम अपनी तरफ से उठाने चाहिये जिससे इस बढ़ती हुई आबादी का हम मुकाबला कर सकें। मुझे इस बात का यकीन है और अहसास करता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री से ज्यादा इस पापुलेशन के मामले को दूसरे लोग हाउस में नहीं समझ सकते। वे इस उसूल को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और ऐप्रीशियेट करते हैं। इस वजह से मैं उनसे खास तौर से दरख्वास्त करूंगा कि इस सिलसिले में वे ज्यादा से ज्यादा तवज्जह अपनी दें। मुझे बजट के देखने से मालूम हुआ कि अरबन एरिया में ५० और रूरल एरिया में १५ सौ क्लिनिक्स फैमिली प्लानिंग के मातहत आइंदा पांच सालों के अन्दर खुलेंगे। लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह समुन्दर में बूंद के बराबर नहीं है। जो हमारे सामने मसायल हैं, जो बड़े बड़े खतरे हैं उनको देखते हुये मैं इस तरफ खास तरह से तवज्जह दिलाता हूं। मैं आज इस मुल्क के दो सबसे बड़े खतरे समझता हूं। एक तो मुल्क के सामने बढ़ती हुई आबादी का है जिसकी निस्बत मैंने कहा है। और दूसरा है मुल्क के डिसइंटिग्रेशन का।

डिसइंटिग्रेशन अपना सर उठाये चला आ रहा है यह हम देख रहे हैं। अभी मेरे दोस्त अतीकुलरहमान साहब ने इमोशनल इंटिग्रेशन का जिक्र किया था। उसकी तरफ मैं भी सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं इसलिये कि केंद्रीय सरकार भी और भिन्न-भिन्न जो हमारी आर्गनाइजेशन्स हैं वह इस तरफ तवज्जह कर रही हैं ताकि किस सूरत से हम सेकटेरियनिज्म और कम्युनलिज्म से लड़ाई लड़ सकें। मैं अपने दोस्त को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरी यह हरगिज मंशा नहीं है कि मैं किसी खास क्लास के ऊपर या किसी खास आदमी पर यह इल्जाम डालूं कि वह कम्यूनल माइंडेड हैं लेकिन जो भी सेकटेरियन माइंडेड हैं या कम्युनल माइंडेड हैं उनको रोकना चाहिये और एक जिम्मेदार तरीके से सेकुलरिज्म के उसूल के मुताबिक इमोशनल इंटिग्रेशन के लिये प्लान बना कर तेजी से बढ़ना चाहिये। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस प्लान को बहुत अच्छी जगह मिलनी चाहिये।

मैं दो एक बातें मेडिकल डिपार्टमेंट के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं इसलिये कि जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में तो आसमान के नीचे जितनी भी समस्यायें हैं सब पर बातें की जा सकती हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट के मुताल्लिक मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गो यह सही है कि इस के अन्दर बहुत से प्रोजेक्ट्स और बहुत सी स्कीम्स आगे बढ़ी लेकिन मैंने देखा कि होम्योपैथी के

[श्री सुल्तान आलम खां]

मुताल्लिक इसके अन्दर उस शहोमद के साथ कोई तजकिरा नहीं किया गया है जितना कि होना चाहिये था। मुझे इस बात के कहने की खास तौर से इसलिये जुरअत हुई कि हमारे मुख्य मंत्री जी होम्योपैथी से खास तौर से लगाव रखते हैं। उन्हीं के जमाने में जब वह मेडिकल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे यहां से होम्योपैथिक ऐक्ट पास हुआ, होम्योपैथिक बोर्ड कायम हुआ और यहां नेशनल होम्योपैथिक कालेज को उसके मातहत ऐफीलियेट किया गया। लेकिन मैंने देखा क्योंकि होम्योपैथिक बोर्ड से ताल्लुक रखने का मुझे मौका मिला है लेकिन ४,५ साल से मैं देख रहा हूं कि वह काम जहां था, जितनी सबसीडाइज्ड डिसपेंसरीज उस जमाने में थीं उतनी आज भी हैं, नेशनल होम्योपैथिक कालेज के लिये जमीन लेने का सवाल था वह अपनी जगह पर खड़ा हुआ है और इस सिलसिले में जो उसकी ऐक्टीविटीज थीं आगे बढ़ी थीं वह उससे पीछे हट गई। मैं मुख्य मंत्री जी खास तौर से तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि वह होम्योपैथिक साइंस की तरक्की के मुताल्लिक खास तौर से खयाल रखें और तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको पूरी जगह मिलनी चाहिये।

एक बात प्राहिबिशन के सिलसिले में कहना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि यह स्कीम सन् १९३७ से बराबर इस देश और प्रदेश में चलती चली आ रही है लेकिन पिछले कई सालों से नशाबन्दी की स्कीम एक जगह पर आकर रुक गयी है। ११ जिलों में और २,३ शहरों में यह स्कीम जारी हुई थी लेकिन उसके बाद यह आगे नहीं बढ़ी। जहां तक पालिसी का ताल्लुक है, यह था कि धीरे-धीरे तमाम सूबे के अन्दर प्राहिबिशन कर दिया जायगा लेकिन अब कई साल से उसके बढ़ाने की चर्चा नहीं है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि शायद गवर्नमेंट महसूस करने लगी है कि प्राहिबिशन शायद उतना कारामद नहीं रहा कि जितना कारामद होना था। या सोचा गया था। उतना कारामद नहीं हुआ और मैं भी यही सोचता हूं और बहुत से लोग जो इधर बैठे हुये हैं उनका भी यही खयाल है कि प्रोहिबिशन करने से नतीजा यह हुआ कि हमारी रेवेन्यू कम होती चली गयी और उसी के साथ-साथ जहां तक जरायम का ताल्लुक था वह बढ़ते चले गये और जब तक प्रोहिबीशन नहीं था तो आदमी एक गुनाह किया करता था लेकिन आज वह गुनाह भी करता है और जौम भी करता है और अफसोस है कि इसको दूर नहीं किया जा सकता। इससे तो अगर प्रोहिबिशन न होता तो जो हमारा पैसा बचता उसको हम प्लान के काम में लगा सकते थे या सूबे की तरक्की के काम में लगा सकते हैं, उससे भी हम महरूम रह गये और फिर मैं इसको एक हाफ हार्टेड वे में चलाना कोई मकसद नहीं समझता हूं। या तो अगर काम किया जाय तो ठीक तरह से किया जाय और अगर नहीं करना है या काबिले अमल नहीं समझते हैं तो इसको खत्म कर दिया जाय जिससे लोग भी इत्मीनान महसूस कर सकें और जो हमारा पैसा इसमें खर्च होता है उसको बचाकर दूसरी जगह और कारामद कामों में लगाया जा सके।

अब मैं एक, दो बातें डिसेंट्रलाइजेशन के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं। यह बात तय कर दी गई है कि हम डैमोक्रेटिक डिसेंट्रेलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और इस तरफ हमने बड़े-बड़े कदम उठाये हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि अभी तक हमारे दिमाग में सफाई नहीं है और कहीं न कहीं पर कुछ कंफ्यूजन जरूर है। अब मौजूदा सूरत यह है कि जहां तक लोकल बाडीज के इलेक्शन का सवाल है वह मुल्तवी हो गया और शायद १९६२ में हो या इसके बाद हो। जहां जिला परिषद् के चुनावों का ताल्लुक है वह भी मुल्तवी है। इसलिये कि जिला परिषद् बिल जो कौंसिल में है अभी तक पास नहीं हुआ और मौजूदा अन्तरिम जिला परिषदों की मियाद ३० जून तक बढ़ा दी गई है और इसमें यह कहा जा रहा है ब्लाक कमेटियों के चेयरमैन और जिला परिषद् के मेम्बर प्रधान की तरफ से जायेंगे उसका चुनाव पहले हो जायगा और इसी तरीके से तरमीम होगी जैसी कि मौजूदा ऐक्ट में कर दी गई है कि बजाय सरकारी के गैर सरकारी होंगे। लेकिन वह काम भी नहीं हुआ और इधर ३० जून भी करीब आ रही है और इनकी मियाद खत्म हो जायगी और जिला परिषद के कानून के पास होने का अभी तक कुछ तय नहीं ह और लोकल बाडीज की मियाद अक्तूबर में खत्म होने वाली है।

बजट में मैंने देखा है कि जिला परिषदों के चुनाव के लिये १५ लाख रुपया रखा हुआ है और उसी सूरत से म्युनिसिपल बोर्डों के चुनाव के लिये भी रुपया बजट में रखा हुआ है, हो सकता है कि जब गवर्नमेंट ने बजट बनाया हो, हालांकि ज्यादा दिन नहीं हुये है उस वक्त फैसला न किया हो, लेकिन छपने के बाद फैसला किया हो कि इंतखाब बढ़ाये जायं। मैं अर्ज करूंगा कि इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि अनसर्टेंटी की हालत नहीं रहनी चाहिये और जल्द से जल्द फैसला होना चाहिये। (लाल रोशनी होने पर।)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ५ मिनट और इनायत कर दें तो इनायत होगी क्योंकि मैंने पहले वक्त नहीं मांगा।

श्री उपाध्यक्ष—ले लीजिये आप।

श्री सुल्तान आलम खां—बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो बातें मैं प्रांतीय रक्षा दल के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं। वह यह है कि यह सदन को मालूम है कि प्रांतीय रक्षा दल हमारे प्रदेश को १३ साल से खिदमत कर रहा है और बड़े-बड़े काम किये हैं। इसने ला एंड आर्डर के मेनटेन करने में मदद की है, जंगलों को साफ किया है, खरीफ और रबी अभियान में काम किया है, सोइल कंजरवेशन का काम किया है और अब आखिर में इसका नया रूप बदला है और अब यह यूथ वेलफेयर का काम कर रहा है। इसमें १३ लाख आदमी हैं। पिछले सालों से इस बात की कोशिश हो रही थी कि इसको मुस्तकिल कर दिया जाय। लेकिन बावजूद इसके कि २०-२१ लाख रुपया इसके मेंटेनेंस पर खर्च होता है हमारे पास १३ लाख ट्रेंड आदमी हैं। लेकिन फिर भी यह काम अब तक नहीं हो सका। पहले कुछ जगहें मुस्तकिल की गयीं और पिछले बजट में कुछ जगहें मुस्तकिल की गयीं १७० या कितनी, मुझे ठीक याद नहीं है। उम्मीद यह थी कि ये साल ब साल मुस्तकिल होती चली जायगी। मैं नहीं जानता कि सरकार का कोई ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर निकला है या नहीं जिसमें कुछ जगहें मुस्तकिल की गयी हो। लेकिन मैंने देखा कि आम तौर पर लोगों के अन्दर एक बौखलाहट है, फिक्र और परेशानी है। लोग यह सोच रहे हैं कि शायद प्रांतीय रक्षक दल खत्म हो जाय और खत्म होने के बाद सूरत यह न हो कि बिलकुल अबालिश कर दिया जाय, तो कम से कम उसका रूप बदल जाय, और रूप बदलने में मुख्तलिफ डिपार्टमेन्ट्स, हरिजन वेलफेयर सोशल वेलफेयर से उसकी ऐक्टिविटीज मिला दी जाय। मैं इस बात को पसन्द करता हूं, अगर इकानोमी करने के लिए एक रैशनल तरीके पर कुछ डिपार्टमेन्ट्स को मिलाने की जरूरत हो, तो कोई हर्ज नहीं है। कुछ पोस्ट्स को मिलाने की जरूरत हो तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बुनियादी हैसियत से अगर प्रान्तीय रक्षक दल को अबालिश किया गया या उसके रूप को खत्म किया गया तो हमारे सूबे की बहुत बड़ी बदनसीबी होगी। इससे लोगों के अन्दर ऐसी भावना पैदा होगी कि बड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा। १३ लाख आदमी जो ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं अगर वह फ्रस्ट्रेशन ले कर देहाती रकबे में जायंगे तो इससे भला नहीं होगा, बल्कि हमारे लिए एक अच्छी और शोभा की बात नहीं होगी।

जहां तक डिसेंट्रलाइजेशन के मामले में इस बात का ताल्लुक है कि कोआर्डिनेशन बेहतर हो इस बारे में कोई दो रायें नहीं। मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा है जो मेरे दोस्त गोविन्द सहाय जी ने इवैल्यूएशन के सिलसिले में इस गवर्नमेंट की दी थी। उसमें बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव हैं। उसका कई महीने से बराबर इम्तहान हो रहा है। मैं समझता हूं कि वह पूरा हो गया होगा। उसमें बहुत सी ऐसी रेकमेंडेशंस हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। खास तौर पर एक सिफारिश यह है कि जिला लेविल पर हमारा जो पूल वर्क है उसके अन्दर इर्रीगेशन की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। मैं उन तमाम सिफारिशों में इसको बहुत जरूरी समझता हूं। मैं समझता हूं कि जिला स्तर पर और ऊपर के स्तर पर जहां तक कोआर्डिनेशन का ताल्लुक है, उसका जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन कराना जरूरी है ताकि इर्रीगेशन जो ऐग्रीकल्चर की जान है जिस पर हमारे सूबे की तरक्की का दारोमदार है, वह अच्छी तरह से तरक्की कर सके।

[श्री सुल्तान आलम खां]

अभी सरकार को बहुत से सवाल तय करने हैं। एक चीज सामने आती है कि शायद अब हम ८–१० दिन में उठेंगे। उसके बाद क्या होगा? पहाड़ पर हम जायेंगे या नहीं जायगे, हिल एक्सोडस होगा या नहीं होगा इस चीज के मुताल्लिक और यह कि हाउस कब तक बैठेगा, इन्फार्मेशन हो जानी चाहिए। जहां तक तहाड़ पर जाने का ताल्लुक है, पहाड़ पर जाया जाय तो एकानामी का सवाल पैदा होगा और न जाया जाय तो यह सवाल पैदा होगा कि जो पहाड़ के लोग हैं, जिनकी किस्मत और जिन्दगी का दारोमदार सिर्फ इसी पर है कि यहां से कुछ लोग जांय, उसके जरिये उनको रोजी मिल सके। उसके सिलसिले में टूरिज्म का सवाल खुद ब खुद पैदा होता है। खास तौर पर टूरिज्म, बार्डर एरिया में, कुमायूं रीजन में बड़ा जरूरी है। इसलिये जरूरी है कि बार्डर एरिया में तरक्की होने के मानी हैं कि टूरिज्म भी तरक्की करे और उसके साथ सुरक्षा का भी प्रबन्ध हो। मुझे बजट में यह देख कर तकलीफ हुई कि सिर्फ १५ लाख रुपया रखा गया है, जब कि पिछले साल ३० लाख रुपया रखा गया था। १५ लाख रुपया रखने के मानी हैं कि न तो टूरिज्म अच्छी तरह से तरक्की पा सकेगा न उसके जरिये से वहां के कम्युनीकेशंस और दूसरी चीजें, जो प्रोवाइड करनी हैं, उनमें कामियाबी होगी। इस लिए इस तरफ भी तवज्जह की जानी चाहिए।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह ग्रान्ट पेश करते हुये माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि सुझाव आने चाहिये। क्या ही अच्छी बात होती कि मंत्रीगण जो कहते हैं वह करते। मान्यवर, उन्होंने यह भी कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री की यह राय है कि अच्छे सुझाव आयें और वह कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं। मान्यवर, जिस वक्त इस नये मन्त्रिमंडल का संगठन होने वाला था, उस वक्त मंत्रिमंडल की ओर से बड़ा शोर मचाया गया था कि एकोनामी होगी और कम से कम खर्च में अच्छा से अच्छा काम होगा। हमें आशा थी कि इस साल के बजट में कुछ न कुछ इसका रंग देखने को मिलेगा। लेकिन मान्यवर, बजट पढ़ने के बाद हमें बड़ी निराशा हुई। मान्यवर, जो फिजूलखर्ची की खास-खास मदें हैं, जिन पर पचासों लाख रुपया बेकार खर्च होते हैं, वह वैसे ही हैं जैसे गवर्नर महोदय का स्थान है, कमिश्नर्स का स्थान है, जिनका कोई काम नहीं है। उस रुपये को बचा कर के गरीबों के फ़ायदे के लिये या देहातों की उन्नति के लिये लगाया जा सकता है। मगर उसमें किसी तरह की भी कोई कमी नहीं है। मान्यवर, कमिश्नर की जगह के लिये हमेशा से यह कहा जाता है कि यह बेकार का खर्चा है, इसको खत्म करना चाहिए। सरकार ने इसके खत्म करने की नीति बना भी ली थी लेकिन फिर पता नहीं कैसे वह चल रही है। उन को हटाकर के उस रुपये को बचाया जा सकता था। जो डिप्टी कलेक्टर निकम्मे होते हैं, कलेक्टर जिन को नहीं बनाया जा सकता है, उनको इस लाइन में डाल दिया जाता है। यह इन अधिकारियों के एक परवरिश का जरिया बना हुआ है। मैं तो कहूंगा कि डी० एम० की जगह को भी खत्म करना चाहिए। केवल कलेक्टर रहे जो वसूली के काम को देखे। जब जुडिशियरी एक्जीक्यूटिव से अलग होने जा रही है तो अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की भी कोई जरूरत नहीं है।

मान्यवर, सामान्य प्रशासन का जो रूप आज देहातों में है, देहात के किसान आज जो कुछ भुगत रहे हैं, उसका एक बहुत ठीक और साफ रूप विकल जी ने पेश किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आप के द्वारा कहूंगा कि उन सुझावों की तरफ़ उनका ध्यान जाना चाहिए। आज तेरह वर्षों के आजादी के बाद भी किसान जितना परेशान है, विकल है उतना कभी नहीं था। एक-एक छोटे-छोटे मुकदमें दो-दो साल तक कचेहरियों में चलते रहते हैं। मामूली अमलदरामद का मुकदमा होता है, उसमें जितने में जमीन खरीदी होती है उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाता है, कचहरी के पेशकारों और दूसरे कर्मचारियों की भेंट चढ़ाने में लग जाता

है। किसान दौड़ते-दौड़ते परेशान हो जाया करता है। वह गवाहों का किराया भाड़ा, वकील की फीस देते-देते बरबाद हो जाता है।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने गद्दी सम्भालने से पहले कहा था कि अब उद्घाटन नहीं होंगे। लेकिन शासन में आने के बाद, सत्ता प्राप्त कर लेने के बाद, कुर्सियों पर विराजमान हो जाने के बाद वह सारी बातें भूल गये। अब कोई दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन कि अखबार इस तरह की खबरों से भरे न रहते हों। कहीं न कहीं कोई न कोई उनका उद्घाटन करने का प्रोग्राम प्रतिदिन देखने को मिलता है। जिले में जाइये तो डी० एम० से या डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात नहीं होती, मालूम होता है कि मंत्री जी आये हुए हैं, उनके प्रोग्राम में व्यस्त हैं। इतनी जल्दी-जल्दी इनके प्रोग्राम छपते हैं कि हम लोगों तक पहुंच नहीं पाते और तब तक मंत्री जी का दौरा खत्म हो जाता है। हम लोगों को मालूम भी नहीं हो पाता है, हम वहां जिले में जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि डी० एम० साहब मंत्री जी के साथ हैं, मुलाकात नहीं होगी। तो इस तरह की फिजूलखर्ची को रोका जाना चाहिए। जिस देश में ऐसी ग़रीबी मौजूद हो कि लोग खेतों से अनाज बीनते हों, सड़कों पर धूलों में से अनाज के दाने निकालते हों, और बैलों के गोबर के दाने बीन बीन कर बटोरते हों और अपना जीवन निभाते हों, उस देश में क्या जरूरत इस बात की है कि मंत्रिगण उद्घाटन में दौरा कर के इस तरह रुपया खर्च करें और ऐसे बड़े-बड़े अफसर रखे जायें जिन पर पचासों लाखों रुपया फिजूल खर्च हो ? प्राथमिकता उस चीज को देनी चाहिये जिसकी जरूरत ज्यादा हो। एक आदमी खाये बगैर मर रहा है तो उसको खाना पहले मिलना चाहिए, अच्छा कपड़ा पहले नहीं चाहिए। तो इस तरह की प्राथमिकता इस सरकार में नहीं दिखलाई पड़ती। अभी आज ही प्रश्नों के सिलसिले में मंत्री जी ने जवाब दिया कि ३७ आई० ए० एस० और आई० सी० एस० अफसर बढ़ाये गए हैं। अब उनके मुकाबिले में देखा जाय कि नीचे के कर्मचारी कितने बढ़ाये गये। बार-बार मांग हुई है कि १०० रुपये तक तनख्वाह पाने वालों की तनख्वाह बढ़ाई जाय। मान्यवर, सन् ४७ में कमीशन बैठा था। उसने कर्मचारियों की जो तनख्वाहें मुकर्रर की थी वही आज तक चल रही है जब कि जरूरतें जिन्दगी के सामानों की कीमत दूनी डेयोढ़ी हो गई है।

श्रीमन्, यह सरकार खुद मानती है कि उस वक्त से, जो जिन्दगी के साधन हैं, जो जरूरयात हैं, उनकी कीमत ड्योढ़ी हो गयी है। कपड़े-लत्ते के अलावा जो खाने पीने की चीजें हैं उनकी कीमतें ड्योढ़ी, दुगनी हो गयी हैं, लेकिन तनख्वाहें वही हैं। मैं मांग करूंगा कि सरकार अब फिर एक पे कमीशन बैठाये और तय कराये कि जो आज की लिविंग है उसमें क्या तनख्वाहें होनी चाहिये।

मान्यवर, जो बुरे काम हैं उन के लिये नमूना पेश किया जाता है इंगलैंड का, लेकिन जो उनके अच्छे काम हैं उनके लिये सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सेक्रेटेरियट का मामला है। यू० के० की हालत देखिये और यहां की हालत देखिये। वहां हर विभाग का अलग-अलग सेक्रेटेरियट है और एक जगह का सेक्रेटरी दूसरी जगह नहीं बदला जाता है। इसके अतिरिक्त वह तेज होता है अपने काम में, समझदार होता है, लेकिन यहां शिक्षा का सेक्रेटरी वन में भेज दिया जाता है, वन के सेक्रेटरी को शिक्षा का विभाग दे दिया जाता है। साल दो साल तो उसे सीखने समझने में लग जाता है। सेक्रेटेरियट में जो क्लर्क रखे जाते हैं वह भी ग्रेजुएट होते हैं। उनको तरक्की करने के लिये चांस मिलना चाहिये। असिस्टेंट सेक्रेटेरी डिप्टी सेक्रेटरी हो सकता है, लेकिन एक क्लर्क असिस्टेन्ट सिक्रेट्री नहीं बन सकता। वह डिपार्टमेन्ट में काम करता है, योग्यता रखता है, उसे जानकारी है, और इसलिये उसे तरक्की करने का मौका मिलना चाहिये। अगर जरूरत हो तो आप उसके लिये इम्तहान मुकर्रर कर दें, लेकिन उसे प्रमोशन मिलना चाहिये ताकि वह दिल लगा कर काम करें।

[illegible]ीय मंत्री जी ने यह फरमाया कि हमारे यहां ईमानदार और अच्छे अफसर हैं। [illegible]ता है कि अच्छे और ईमानदार अफसर नहीं हैं, लेकिन यह भी तो देखिये कि उन

[श्री अब्दुल रऊफ़ लारी]

के साथ आप का बर्ताव कैसा है। वह अपने दिल में क्या सोचते हैं। जो आज ईमानदार अफसर हैं वह अपने दिल में रोता है। उन की तरक्की होती नहीं और जो बुरे से बुरा काम करने वाले हैं, बड़ी से बड़ी घूस लेने वाले हैं वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। मान्यवर, आप को ज्ञात होगा कि विरोधी बेंचेज की तरफ से जिस अफसर के खिलाफ शिकायत की गयी और उसे साबित किया गया उस तरह से जैसे नकब में आधा बदन बाहर और आधा भीतर पड़ जाता है, वही तरक्की कर के आगे चला गया। मंत्रिमंडल के रवैये यह है और आशा वह यह करता है कि अफसर ईमानदार हो जायं। आप के अफसर ईमादार हैं, लेकिन उनके साथ आपका बर्ताव निन्दनीय है। आप को चाहिये कि जिनका काम अच्छा हो उनको आप तरक्की दें, इनामात दें ताकि दूसरे उससे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। ईमानदार अफसरों का कहना यह है कि इस राज्य में अच्छाई और ईमानदारी से कोई जिन्दा नहीं रह सकता। अगर अफसर ईमानदार है तो वह पैसा नहीं लेगा और अगर पैसा नहीं लायेगा तो कैसे वह ऊंचे अफसरों को और मंत्री जी को खुश रख सकेगा। नतीजा यह होता है कि वह तब्दील होते होते निकम्मा और बुद्धू बना दिया जाता है। इसलिये ईमानदार अफसर को आज कल दूसरे लोग, जिसमें जो चालबाज मक्कार हैं बुद्धू कहने लग गये हैं।

हमें दुःख है कि इस मंत्रिमण्डल में एक तरफ तो कहा जाता है कि साम्प्रदायिकता मिटानी चाहिये, जिसमें बिलकुल वह फेल रही है दूसरी तरफ, देखा जाय कि इनके अफसर क्या कर रहे हैं और इनकी ओर से क्या हो रहा है। अधिकारी उसके लिये लगे हुये हैं, दंगे और फसाद कराते हैं, और सरकार द्वारा उनका कुछ नहीं किया जाता। पडरौना की एक मिसाल मौजूद है। मुख्य मंत्री जी वहां गये थे। जिन लोगों ने ३६ घरों को जलाया, १२ दूकानों को लूटा वह मंत्री जी की अगवानी में लगे हुए थे और वह पीस कमेटी में बैठे हुए थे। उस क्षेत्र के विधायक चिल्लाते रह गये, लेकिन उन की बात नहीं सुनी गयी और उन्हें पीस कमेटी का मेम्बर कलेक्टर द्वारा बनाया गया। देखने की बात यह है कि जहां कलेक्टर मौजूद हैं, एस० पी० मौजूद है वहां ३६ मकानों में आग लगाई जाय, दूकानें लूटी जायं, यह क्या है ? मैं यह नहीं कहता कि जिन्होंने गलती की थी, वह न मारे जाते या उनको सजा न दी जाती, लेकिन यह किस धर्म में लिखा है कि मारने वाला, बुराई करने वाला एक हो और उसके लिये सारे गांव के गांव की दूकानें लूट ली जायं, निरीह जनता के घरों में आग लगा दी जाय ? सरकार की तरफ़ से मंत्री जी ने एक रिपोर्ट दी है कि ७,०००रु० का कुल नुक़सान हुआ है। सोचने की बात यह है कि जहां ३६ मकान जला कर भस्म कर दिये गए हों, १२ दूकानें लूटी हों, वहां कितना नुक्सान होग ? ईद के, होली के जमाने में करीब करीब हर दूकानदार अपने अपने यहां ५, ७ हजार रुपये का माल कपड़ा, जूता आदि रखता है और इस तरह से वहां डेढ़ दो लाख का नुक्सान हुआ है। मैं वहां बगल के दूकानदारों से कहला दूंगा कि उनके पास १०, १५ हजार रुपए का माल दुकानों में मौजूद था जो लूट लिया गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री को दावत देता हूं कि वह मेरे साथ चलें और वहां के हिन्दू दूकानदारों से यह साबित करा दूंगा। जहां तक सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की बात है उस में भी धांधली होती है। बहुत से लोग नहीं देते हैं और बहुत से लोगों को जरूरत से ज्यादा देना पड़ता है।

एक बात मैं जिलाधीशों के तबादले के बारे में कहना चाहता हूं श्रीमन्, मुरादाबाद में जिस तरह का कांड हुआ उसी तरह का कांड गोरखपुर में भी हुआ था मगर वहां की स्थिति को वहां के कलेक्टर ने बावजूद बीमार होने के कन्ट्रोल कर लिया। अगर मुरादाबाद में भी कलेक्टर कुछ अक्लमंदी से काम लेता तो यह नौबत न आती। अगर गोरखपुर में वहां के कलेक्टर ने अक्ल से काम न लिया होता और मुस्तैदी से दंगा बचाने में न लगा होता तो पता नहीं वहां की आज क्या हालत होती, लेकिन ऐसे गैर जानिबदार वहां के कलेक्टर को ट्रान्सफर करके दूसरी जगह भेज दिया गया मगर देवरिया के कलेक्टर को जिसने वहां पर कई दुकानों को लुटवाया, घरों में आग लगवाई, और झगड़ा कराया, उसके ट्रान्सफर को कुछ ऐसे लोगों के कहने पर, जिन्होंने

पडरौना में दंगा कराया, जो वहां साम्प्रदायिकता की आग को पनपाना चाहते हैं, रोक दिया गया। जहां के कलेक्टरों का ट्रांस्फर होना चाहिये था वहां के कलेक्टरों का ट्रान्स्फर नहीं हुआ और जहां का नहीं होना चाहिये था वहां का कर दिया गया। जिसे इनाम देना चाहिये उसे सजा और जिसे सजा देनी चाहिये उसे इनाम यह सरकार देती है।

एक बात मैं सिंचाई में, जो ३ आने की छूट को इस सरकार ने समाप्त किया है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। बड़ी मुश्किल से उन किसानों को यह छूट दी गयी थी। हजारों हमारे कार्यकर्त्ता जेल गये थे। पानी खेती के लिये सब से जरूरी चीज है। अगर खेती को पानी हीं नहीं मिलेगा तो वह अच्छी हो ही नहीं सकती। जब खेती नहीं अच्छी होगी तो देश को उसमें कितना नुकसान होगा? आप को फिर बाहर से अनाज मंगाना पड़ेगा और काफी रुपया इस तरह से बाहर देश को भेजना पड़ेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप सिंचाई की दर को बिल्कुल न बढ़ाइये और जो आप ने ३ आने की छूट को समाप्त किया है, उसको जारी रखिये। सिंचाई के रेट को बढ़ाने की कोशिश न करें।

श्रीमन्, सरकार की ओर से कुवां आदि के लिए जो ऋण देने का तरीका है उसके बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं। मेरे एक सवाल के जवाब में आज ही मन्त्री ने बताया है कि ३ लाख रुपया एन० इ० एस० ब्लाक नौतनवां को दिया गया जिसमें ९२ हजार ही केवल खर्चा हुआ और २ लाख ८ हजार रुपये अगले २ वर्ष में खर्च होंगे। आज जो तरीका है खर्च करने का उसके कारण वह रुपया खर्च नहीं हो सका। श्रीमन्, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। हमारी सरकार के काम उसी तरह के हैं। आज जो १३ गुना सीरदारी के लगान का सरकार कर्जा देती है, इस से गरीबों को कर्जा नहीं मिल पाता। १० गुना के किसान को यह सरकार १३० रुपया कुवां बनाने के लिये देती है। १३० रुपये में कैसे कुवां बन सकता है? अगर आप वाकई में खेती की उपज को बढ़ाना चाहते हैं, आप खाद्य समस्या को हल करना चाहते हैं, तो उसके लिये किसानों को सभी आवश्यक साधन जुटाइये। उस को कम से कम ७०० रुपया कुवां बनवाने के लिये दीजिये। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे और उसको दूसरी सुविधायें नहीं देंगे तब तक आप की पैदावार नहीं बढ़ सकती।

छोटी सिंचाई योजना का जिक्र होता है, अगर इस विनायकपुर क्षेत्र की ओर ध्यान दिया जाय तो लाखों मन गल्ला केवल इसी क्षेत्र से अधिक पैदा हो सकता है। अगर आप वहां जो मामूली छोटी-छोटी नदियां, नालियां हैं उनमें फाटक लगा दें और उनको ठीक करा दें, कुछ कुवें बनवा दें, तथा और छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान दें तो उससे काफी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, और किसान की जिन्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है। यह काम वे बहुत कुछ अपने श्रमदान से भी हर साल करते हैं। किन्तु आज तो यह सरकार अपने एशोआराम में लगी हुई है, उसी से उसको फुरसत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त हुआ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, मुझे इसका खेद है कि आज सुबह से जब से इस महत्वपूर्ण अनुदान पर सदन में चर्चा चल रही है, गवर्नर गैलरी में कोई सरकारी अफसर नहीं था, यद्यपि यह खुशी की बात है कि कुछ ही समय पूर्व चीफ सेक्रेटरी महोदय तशरीफ ले आये हैं। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जिस समय ऐसे महत्व-पूर्ण अनुदानों पर बहस हो, सारे मुख्य-मुख्य आफिसरों को यहां मौजूद होना चाहिये और जो कुछ जनता के नुमाइन्दे यहां पर कहें उसको सुनना और नोट करना चाहिए।

मान्यवर, हम सब जानते हैं कि हमारे इस बजट के अदर सब से महत्वपूर्ण अनुदान यह है जिस पर आज बहस हो रही है। आज हमें यह देखना होगा कि हमारा जो सामान्य प्रशासन और जिले का प्रशासन है वह हमारे प्रदेश को किधर ले जा रहा है और उसने कौन-सा मोड़ ले रखा है।

[श्री नवलकिशोर]

हम सब जानते हैं कि हमने अपने देश और प्रदेश में जनतंत्र को मजबूत बनाने का दावा किया है और यह भी निश्चय किया है कि देश में समाजवादी व्यवस्था कायम की जाय और हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। जब हमारे सामने यह लक्ष्य है तो हमको देखना पड़ता है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों, जिनकी बुनियाद पर हम यह ढांचा बनाना चाहते हैं, उनका मेंटल आउटलुक और अप्रोच क्या है और जो जनता की आकांक्षायें तथा आवश्यकताएं हैं, उनके ऊपर उनकी भावनायें, आस्थायें और विश्वास क्या है। मान्यवर, यह सही है कि अंग्रेज जब हमारे देश को आजादी दे कर गया तो एक जीर्ण प्रशासकीय मशीनरी भी दे गया और मैं अपने राजनीतिक नेताओं को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने उस मशीन से, जो दूसरे कामों के लिये बनी थी, इस नियोजन के युग में अच्छा काम लिया।

मुझे इस बात का भी अहसास है कि हमारे यहां बहुत से ईमानदार और देशभक्त कर्मचारी हैं और उनके सामने मैं नत-मस्तक होने को तैयार हूं, लेकिन मान्यवर, यह बात सही है कि जो मशीन अंग्रेज दे गया था हम उसके अन्दर कोई विशेष परिवर्तन नहीं कर पाये हैं। आज देश के अनुरूप कौन-सी मशीन और ढांचा बने, इसकी कोई रूप-रेखा नहीं बना पाये हैं। मैं यह भी नहीं कहता कि सरकार उदासीन थी। केन्द्रीय सरकार ने दो कमेटियां, एक गुरवारा कमेटी और एक ऐपिलबी कमेटी बनाई। मुझे मालूम है कि यहां भी के०के० दास की अध्यक्षता में कुछ काम किया गया। जहां तक इस प्रदेश का संबंध है, उस कमेटी से क्या फायदा हुआ, यह समझ में नहीं आया। मेरा अपना ऐसा विश्वास है कि शायद उससे कन्फ्यूजन बढ़ा और कोई काम नहीं हुआ और जो कुछ हुआ भी होगा तो खत्म कर दिया गया है। यह बात भी सही है कि सेंटर के आधार पर, केन्द्र के आधार पर प्रदेश ने कुछ मेथड्स और डिवीजन का प्रयोग भी किया है। यह भी मैंने सुना है कि कुछ व्हिटले कमेटी के आधार पर कोई कमेटी बनाने की बात है, लेकिन वह किस स्तर पर है, उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है।

एक बात मैं अवश्य जानता हूं कि हमारा प्रशासन का जो खर्चा है वह बहुत ज्यादा है और उसका बोझा हर साल बढ़ता जाता है, इसलिये इसको टाप-हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन हम सब कहते हैं। यह सही है कि हमारे प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें केन्द्र के मुकाबले में कम हैं और बड़ी डिस्पेरिटी है, इसका कोई मारल जस्टीफिकेशन नहीं है, लेकिन यह जो होड़ चल रही है इसका आखिर कहां होगा? मौजूदा जो एकोनामिक स्ट्रक्चर हमारे देश और प्रदेश का है, उसके ऊपर इसका खराब असर पड़ता है। हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके अन्दर इस चीज का समन्वय कहीं भी नहीं है, फिट इन नहीं होता है। तो इस पे-स्ट्रक्चर को खत्म करना पड़ेगा और मैं उन लोगों में से हूं जो मानते हैं कि कैसी ही कोशिश की जाय, केन्द्रीय सरकार के ऊपर इस बात का प्रेशर डाला जाय कि हमारे देश के अन्दर हजार डेढ़ हजार रुपये से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं होनी चाहिये। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुझे यह बात भी कहनी है और हम एक बात यह कहते हैं कि वर्गविहीन समाज बनायेंगे। मुझको ऐसा लगता है कि सरकारी कर्मचारियों के अन्दर भी भिन्न-भिन्न वर्ग बनते चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आई० सी० एस० का अपना एक वर्ग है, आई० ए० एस० का एक है, पी० सी० एस० का अपना एक अलग वर्ग है और हर वर्ग अपने को दूसरे से सुपीरियर मानता है। जो एग्जिक्यूटिव सर्विसेज हैं वह अपने को सुपीरियर और सुप्रीम मानती हैं। नियोजन के युग में जबकि हम समाजवाद की बात करते हैं, मेरे दिमाग में यह बात नहीं आती कि क्या ठेकेदारी है कि नियोजन के सब काम पी० सी० एस०, आई० ए० एस० और आई० सी० एस० ही करें? क्या यह संभव नहीं है कि इंजीनियर्स तथा अन्य सर्विसेज में से भी डेवलपमेंट कमिश्नर बनाये जांय, ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर बनें? कृषि से भी लें और कोआपरेटिव से भी लें, ऐनीमल हसबेंडरी से लें। क्या आवश्यकता है कि पी० सी० एस० और आई० सी० एस० को ही सुप्रीम बनाया जाय, और सिवाय उनके

किसी का विश्वास न किया जाय ? इससे अन्देशा एक पैदा होता है कि कुछ सर्विसेज के अन्दर एक सुपीरियारिटी कम्पलेक्स पैदा होता है और उसका एक अनिवार्य परिणाम यह होता है कि ऐरोगेंस और स्नावरी पैदा होती है, जोकि हमारे इस जनतंत्र के लिये उचित और अच्छी बात नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब से नये तौर से इस शासन का चार्ज लिया उन्होंने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि बचत और आस्टेरिटी हो। हमको बताया गया कि करीब ५२ लाख रुपये की बचत उन्होंने अब तक की है। मेरे पास उसके डिटेल्स तो हैं नहीं इसलिये मैं उसमें जा नहीं सकता कि उन मदों में कितनी और बचत सम्भव है। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि ८६–८८ लाख की बचत वह और करने वाले हैं। सही है कि अच्छी खासी बचत है, इसके लिये वह बधायी के पात्र हैं। मान्यवर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आंकड़ों से काम नहीं चलता है, आंखों से देखो क्या स्थिति है। मुझे ऐसा लगता है कि सारी बचत और आस्टिेरटी मंत्रिमंडल तक ही सीमित है, उनके बंगले छोटे हो गये, उनकी मोटर छोटी हो गई, तनख्वाह कम हो गई लेकिन उसके आगे कोई चीज दिखाई नहीं देती है। हमारे चीफ मिनिस्टर एक छोटे से बंगले में रहने में अपना गौरव मान सकते हैं मगर एक डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर छोटे बंगले में रहने के लिये तैयार नहीं हैं, हम उनको छोटे बंगलों में रखने की बात सोच नहीं पाते। तो इस तरह से आस्टेरिटी की बात चलने वाली नहीं है। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं या जनता के प्रतिनिधि हैं उनमें जब तक इस बात की छाप नहीं लगती, वह जब तक एकोनामी, सिम्प्लीसिटी और सादगी की बात फील नहीं करते तब तक यह बात ज्यादा चलने वाली नहीं है।

मैं इस आस्टेरिटी के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में दो-चार बातें निवेदन करना चाहता हूं। एक बात तो मैंने यह देखी कि इधर विकास के नाम पर हैफजर्ड वे में बहुत से डिपार्टमेंन्ट्स बढ़ते चले गये। अगर हम कोशिश करें तो बहुत से डिपार्टमेंन्ट्स को एक दूसरे में मर्ज कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का इस तरफ ध्यान गया है लेकिन मैं समझता हूं उनके अकेले सोचने से काम चलने वाला नहीं है। उनके जितने भी सहयोगी और साथी हैं उनको चाहिये कि वे अपने विभागों का सर्वे करें और देखें कि कितना स्टाफ सरप्लस है जो हटाया जा सकता है। आप चाहे रिट्रेन्चमेन्ट न करें लेकिन वे जो आगे रेक्रूटमेन्ट होने वाला है उसमें उसको एडजस्ट कर दें। जब तक हर मंत्री दिन-रात इस बात की कोशिश नहीं करेगा तब तक एकोनामी होने वाली नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हरिजन वेलफेयर और सोशल वेलफेयर, इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं।

मान्यवर, बहुत से ऐसे हेड आफ दि डिपार्टमेंन्ट के विभाग हैं जहां पर इम्पलाइज को सेक्रेटेरियट की तनख्वाह मिलती है। हम उनकी पे कम करके हेड आफ दि डिपार्टमेंन्ट के विभागों में चालू पे दे सकते हैं। एग्जाम्पुल के तौर पर दो-तीन डिपार्टमेंन्ट्स को बताना चाहता हूं जैसे इन्फार्मेशन, स्टैटिस्टिक्स, इस्टेट और एलेक्शन डिपार्टमेंन्ट्स।

मान्यवर, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेविल की ओर ध्यान दें तो जैसा मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा था कि वहां पर अफसरों की इतनी तादाद है कि उनमें आपस में कन्फ्यूजन पैदा हो गया है, डुप्लीकेशन और मल्टिप्लीकेशन हो गया है। बहुत से कैडर्स ऐसे हैं जो दूसरी स्टेट्स में ढूंढे नहीं मिलते हैं। मेरा विश्वास है कि इंडस्ट्रीज आफिसर्स और कुछ दूसरे आफिसर्स कम किये जा सकते हैं।

मान्यवर, मेरे कुछ साथियों का खयाल है कि एकोनामी समाजवाद में दूसरे मानी रखती है और पूंजीवाद में दूसरे मानी रखती है। मैं इस विषय का कोई पंडित नहीं हूं लेकिन मेरा विश्वास है कि चाहे पूंजीवाद हो या समाजवाद उसमें एकोनामी के एक ही मानी हैं, हैफेजर्ड वे में स्टाफ न बढ़ाया जाय, बेकार का स्टाफ न रखा जाय क्योंकि उसे

[श्री नवलकिशोर]

एफीशिएन्सी घटती है और व्यय बढ़ता है। स्टाफ के बढ़ाने से समाजवाद नहीं आने वाला है। मान्यवर, स्टेट इम्प्लायमेन्ट की कोई एजेन्सी नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इस बात को देखें कि जिलों के अन्दर कितना स्टाफ कम किया जा सकता है। साथ ही ब्लाक लेविल पर और तहसील के लेविल पर जो इतने कर्मचारी हैं उनकी पुलिंग की जा सकती है। मैं चाहता हूं कि उस तरफ भी सरकार ध्यान दे। कमिश्नर्स की जगहें भी खत्म हो सकती हैं।

सेक्रेटेरियट के बारे में भी मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अगर किसी मनुष्य का शरीर छोटा हो और सिर बड़ा हो जाय तो वह देखने में अजीब बेडौल मालूम होता है। इसी प्रकार से हम समझते हैं कि हमारा सेक्रेटेरियट एक्सपैंड होकर अनवील्डी हो गया है। कई श्रेणी सचिवों की बन गई हैं और साथ ही और भी स्टाफ बहुत अधिक बढ़ गया है। पिछले साल मैंने कुछ आंकड़ों को ढूंढने की कोशिश की थी तो मुझे मालूम हुआ कि ६४–६५ आई० ए० एस० तो सेक्रेटेरियट और लखनऊ के आसपास ही थे और उससे कहीं कम जिलों में थे, यदि उनको छोड़ दें जो अन्डर ट्रेनिंग हैं। तो सिर इतना बढ़ गया है कि वह अनवील्डी हो गया है और बाडी छोटा हो गया है।

अब ऐसा भी होता है कि सेक्रेटेरियट से हैड्स आफ डिपार्टमेंट तथा जिला अधिकारियों की जरा-जरा-सी बात पर भी करेसपोंडेंस होती है और उसमें बहुत-सा समय लग जाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि हैड्स आफ दि डिपार्टमेंट्स की पावर्स को बढ़ाया जाना चाहिये और जो छोटी-छोटी बातों के लिये करेसपोंडेंस होती रहती हैं, वह न हो। इस तरह से इस सेक्रेटेरियेट में बहुत कमी की गुंजाइश है।

सेक्रेटेरियट में यह नियम था कि एक आफीसर ३ साल से ज्यादा यहां न रहे। इसके पीछे एक थ्योरी थी और वह यह थी कि जब कोई सेक्रेटेरियट का आफिसर डिस्ट्रिक्ट में जायगा तो उसे सेक्रेटेरियेट का एक्सपीरियेंस होगा और वहां अच्छी तरह से काम करेगा और जब कोई डिस्ट्रिक्ट से आफीसर यहां आयेगा तो उसको बाहर के काम का, डेवलपमेंट के काम का उसको एक्सपीरियेंस होगा तो वह यहां अच्छा काम करेगा। मगर कुछ आफीसर्स ऐसे हैं जो, २–४ को छोड़ कर, सेक्रेटेरियट में ही बने हुए हैं। जब कोई आदमी ज्यादा समय तक सेक्रेटेरियट में रह जाता है जो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट यहां क्रियेट हो जाता है। इसका असर एडमिनिस्ट्रेशन पर कितना बुरा पड़ता है यह मुझसे अधिक माननीय मंत्री जी और विशेषरूप से मुख्य मंत्री जी समझते हैं।

एक बात यह भी कही जाती है कि हमारे आफीसरान उद्घाटन आदि का कार्य करते हैं। इस तरह से उनको थोड़ा पालिटिक्स का भी चस्का पड़ गया है। कई बार उनको इन बातों का संकेत किया गया है। मैं यह नहीं चाहता कि इस बारे में इन्क्वायरी की जाय कि किन लोगों ने ऐसे कामों में हिस्सा लिया। लेकिन एक बात जरूर चाहता हूं कि इस बात की पूरी कोशिश होनी चाहिये कि हमारे सरकारी कर्मचारी इस प्रकार पोलिटिक्स में हिस्सा न लें। सरकारी कर्मचारी उद्घाटन न करें, इसके बारे में एक सरकारी जी० ओ० भी है लेकिन वह चीज होती नहीं है।

इस बात की शिकायत भी की जाती है कि डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज के द्वारा जनता के नुमाइंदों को सम्मान नहीं मिलता है। मैं चाहूंगा कि सरपंचों और प्रधानों से उद्घाटन का कार्य कराया जाना चाहिये ताकि उनके अन्दर भी विश्वास और जनतंत्र के प्रति आस्था पैदा हो और उनका सम्मान भी बढ़े।

मान्यवर, अफसरान को फारेन कन्ट्रीज भेजा जाता है लेकिन जब किसी खास काम के लिये वे ट्रेनिंग लेकर आते हैं तो या तो उनको सेंटर में भेज दिया जाता है या उनका ट्रांसफर दूसरे विभागों में कर दिया जाता है। इस तरह से जो धन उन पर व्यय किया जाता

है वह बेकार जाता है। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि कोआपरेटिव विभाग के एक मिस्टर भारद्वाज और दूसरे गृह विभाग के मि० कौल थे। उनको ट्रेनिंग के लिये बाहर भेजा गया और जब वे ट्रेनिंग लेकर आये तो उनको सेंटर में भेज दिया गया और इस प्रकार से इस प्रदेश का पूरा का पूरा पैसा बरबाद हो गया।

मान्यवर, स्पेशल पे की बात भी मैं कह देना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि उसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। सिवाय उन आई० ए० एस० के जो, अंडर ट्रेनिंग हैं और जो कमिश्नर के ग्रेड में है, ८०–९० प्रतिशत को स्पेशल एलाउंस मिलता है। यह बात समझ में नहीं आती। कहीं स्पेशल पे के अन्दर १०–१५ प्रतिशत लोग हों तब तो कुछ बात समझ में भी आ सकती है लेकिन जहां ९० प्रतिशत लोग स्पेशल पे पाते हों, वहां स्पेशलिटी क्या रह जाती है, यह समझ में नहीं आता। सरकार इसपर विचार करे। आज के युग में स्पेशल पे का कोई औचित्य नहीं है, अंग्रेजों के जमाने में अगर कुछ रहा हो तो भले ही रहा हो। कम्पेनसेटरी एलाउंस बहुत से आफीसरों को मिलता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मिलता है। कोई जमाना था जब ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं थीं लेकिन आज के युग में जब ट्रांसपोर्ट का विकास हो गया है तब मैं नहीं समझता कि कम्पेन्सेटरी एलाउंस की क्या जरूरत है। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

पहाड़ जाने की बात कही गई। मैं उसको इकोनामी में नहीं जाना चाहता। मैं इस बात को मानने से इन्कार करता हूं कि केवल पहाड़ पर जाने से वहां के लोगों की स्थिति अच्छी होती है। यह आई वाश की बात है। जिनको जाना है वह अपने खर्चे पर जांय। अंग्रेजों के जमाने में स्टेट फेसीलिटीज इसलिये थीं कि उसको यहां की गर्मी परेशान करती थी। हम सब यहीं के पैदा हुए हैं, हमको यहीं रहना चाहिये, हिल एक्सोड्स नहीं होना चाहिये। रिसेस में जो जांय वह अपने खर्चे पर जांय, गवर्नमेंट से कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिये।

रिटायरमेंट की बात लीजिये। मेरी इस मामले में निश्चित राय है और जिस समय ५५ से ५८ किया गया था तब भी मैं इस बात के पक्ष में नहीं था और आज चार साल के एक्सपीरियेंस के बाद मैं समझता हूं कि न एफीसियेंशी में इम्प्रूवमेंट हुआ और न इकोनामी हुई बल्कि खर्चा बढ़ा है। तो ५८ के बजाय ५५ होना चाहिये। हमें ताज्जुब होता है कि हमारे वह बड़े-बड़े अधिकारी, जिनके प्रति हमारा बड़ा विश्वास है, जिनको हम आदर की दृष्टि से देखते हैं, वह जब जुडीशियल आफीसर्स को एड्रेस करते हैं और कहते हैं---वह अपनी ओपीनियन देते हैं, मेरा मतलब यह नहीं है कि उन्हें अधिकार नहीं है, स्वतंत्र नागरिक होने के नाते अधिकार है---कि ५८ से ५५ हो जायगा तो जुडीशियल सर्विस के अन्दर न मालूम कोई मुसीबत आ जायगी या क्या हो जायगा। जजेज के लिये चाहते हैं कि ६५ साल हो जाय। तो चाहे हायर जुडीशियल सर्विस हो, चाहे हाईकोर्ट के जज हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, उन सब का इसमें स्वार्थ निहित है। यह कानून का नहीं नीति का प्रश्न है और यदि सरकार समझती है कि हमारे हित में यही है कि रिटायरमेंट की एज ५५ साल की होनी चाहिये तब माननीय मुख्य मंत्री जी हिम्मत के साथ इस बात की घोषणा करें कि ५५ साल होगा और प्रदेश की ७ करोड़ जनता इस विषय में उनके पीछे होगी।

एक्सटेंशन की बात है। आप कुछ टेक्निकल आदमियों को, जिनके पास कोई स्पेशलाइल्ड जाब है उनको एक्सटेंशन दे दीजिये। लेकिन एक तरफ तो हम कहते हैं कि अनएम्प्लायमेंट की समस्या है और दूसरी तरह हम एक्सटेंशन दें तो यह ठीक नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि मेहरबानी करके इसको बंद कर दें। लोगों को शुबहा होता है कि इसके अन्दर फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म होता है।

मान्यवर, थोड़ा-सा टाइम और दे दें मुझे। जिस आदमी को रिटायर होना होता है वह चार महीने पहले एप्लीकेशन देता है प्रिपेयरेटरी लीव के लिये। उसके बाद बड़ा मैनोवरिंग

[श्री नवलकिशोर]

होता है और यह कोशिश होती है कि वह एप्लीकेशन पब्लिक इंटरेस्ट में कैंसिल कर दी जाय ताकि उसे चार महीने की पे भी मिल जाय और एक्सटेंशन भी मिल जाय। इस बात की अगर इंक्वायरी की जाय कि कितने अफिसरों की प्रिपेयरेटरी लीव को कैंसिल किया गया और किन ग्राउंड्स पर तो सरकार को पता लग जायगा। तो इस तरफ सरकार का ध्यान होना चाहिये।

आपने इकोनामी में एक बात बहुत अच्छी की। एयर कंडीशन ट्रैवलिंग पर थोड़ा चेक रखा है। लेकिन जो ट्रैवलिंग के सिलसिले में नियम बने हैं उसके संबंध में यह शिकायत है कि कुछ कैडर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप पे के हिसाब से तय कर लें कि इतनी पे तक फर्स्ट क्लास और इतनी तक सेकेन्ड क्लास। उसके बाद डिस्क्रिमीनेशन नहीं होना चाहिये चाहे वह आदमी मंत्री महोदय के साथ अटैच्ड हो या किसी अधिकारी के साथ हो या कोई और हो।

इसी तरह से एप्वांइटमेन्ट के संबंध में भी मैं यह चाहता हूं कि जो आपका नियम है कि वह मेरिट और सीनियारिटी पर हो तो ज्यादा अच्छा है।

हाउसिंग में भी कई बार इस तरह के सवाल उठाये गये कि जो मकान बने थे--मैं गड़ी ईंटों को उखाड़ना नहीं चाहता-- मगर एक बात जरूर चाहता हूं जो होनी चाहिये कि सरकारी कर्मचारी जो सरकार से कर्जा ले कर मकान बनायें उनके लिये पाबन्दी होनी चाहिये कि उन मकानों में जा कर रहें। ऐसा न हो कि खुद तो सस्ते मकान अलाट करा कर रहें और अपने मकान को ऊंचे किराये पर उठायें। यह बात मुनासिब नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने आमतौर से इस बात की अपील की कि इस विकास के युग में जनता को त्याग और बलिदान के लिये तैयार रहना चाहिये। मैं उनकी इस अपील का स्वागत करता हूं। मगर एक बात जरूर सोचने की है कि एक तरफ आपके यहां पी० सी० एस० का स्पेशल काडर खोल दिया जाय, क्लास १ होना चाहिये इस बात की मांग हो और सरकार पर दबाव हो, तो मान्यवर, यह भी सोचने की बात है कि आज जो गरीब है वह गरीब है, जो आप त्याग मांगें वह देगा क्योंकि आप उसके नेता हैं। लेकिन आज जो लोग इस विकास के नाम पर हजारों रुपये की तनख्वाह पाते हैं उनके अन्दर भी कुछ त्याग की भावना है कि नहीं यह भी देखने की बात है। मैं उनकी देशभक्ति पर शक नहीं करता, बहुत से हम से भी ज्यादा देशभक्त हो सकते हैं। मगर मान्यवर, इस हाउस में बीसों दफा मैंने अपील की है कि सरकारी अफसरान इस बात के लिये आगे बढ़ कर आयें और कहें कि कानून में हम नहीं जाते, हम स्वयं अपनी इच्छा से ५००, ६०० रु० कम करने के लिये तैयार हैं। मगर ऐसा होता नहीं दिखाई देता। लेकिन ऐसी जागृति उनके अन्दर पैदा होनी चाहिये। इससे और लोगों के अन्दर भी त्याग की बातें पैदा होंगी।

श्रीमन्, दो एक बातें कहना चाहता हूं। मेरे साथियों ने हरिजनों के १५ फीसदी रिजर्वेशन की बात कही। सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, श्री राधाकृष्ण की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठायी थी और मैं समझता हूं उसकी रिपोर्ट सरकार के सामने आ गई है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सरकार इस बात की चेष्टा करे कि जहां तक हो सके उसको हद से हद तक पूरा करने की कोशिश करे।

मान्यवर, विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में एक बात कहना है। हमने गांव सभायें बनायीं, क्षेत्र समितियां बनायीं, डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल्स बनायीं। मैं चाहता हूं उनके हाथ में पूरी शक्ति दी जाय तभी सही माने में विकेन्द्रीकरण होगा। यह जो आइडिया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल के अन्दर, मातहत काम नहीं कर सकता है, गलत है।

अन्त में आपको धन्यवाद देते हुए एक बात और कहनी है कि हमारे प्रदेश के अन्दर जहां तक शासन का सम्बन्ध है हमारे यहां बहुत से योग्य कर्मचारी हैं। मगर सब से बड़ी कमी यह

है कि जो एक मानसिक आउट लुक होना चाहिये, जो एप्रोच होना चाहिये कि जब गरीब जनता उनके पास जाय, या जनता के नुमाइन्दे जांय तो उनका बिहेवियर जनता के प्रति मीठा होना चाहिये, वह नहीं है। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये कि जो अफसरों को ट्रेनिंग दी जाय उसमें सरकार सोचे कि क्या परिवर्तन कर सकते हैं ताकि जो सोशल आब्जेक्टिव हैं उसको मजबूत करने में, उसको बढ़ाने में सही माने में हमारा प्रदेश और उसके अधिकारी पूरा-पूरा अपना उत्तरदायित्व निभा सकें।

*श्री सैयद जरगाम हैदर (जिला बहराइच)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसकी ताईद करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इस वक्त जो ग्रान्ट हमारे सामने जेरे बहस है उसका ताल्लुक हमारे सूबे के इंतजाम की सारी मशीनरी से है।

मान्यवर को मालूम है कि डेमोक्रेसी में एक कामयाब तरीके से और नेकनीयती के साथ हुकूमत चलाने के लिये कुछ लेविल्स आफ गवर्नमेंट हैं। उसके लिये जरूरी है कि इम्पार्शियल इलेक्शन्स हों, बगैर इसके डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। इसी के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि बड़ी ईमानदार ऐफीशियेंट ऐग्जीक्यूटिव भी हो और इससे ज्यादा जरूरी चीज यह है कि खुद मुख्तार जुडिशियरी भी होनी चाहिये।

जहां तक कि इलेक्शन का ताल्लुक है और जहां तक जुडिशियरी का ताल्लुक है उस सिलसिले में इस वक्त ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन हुकूमत की मशीनरी को चलाने के लिये यह बहुत ही जरूरी है कि एक्जिक्यूटिव जो हो वह बहुत मजबूत हो, ईमानदार हो, एफिशियेंट हो और उसको पूरी हुकूमत के ऊपर पूरी तरह से काबू और कंट्रोल हो। जब इस नजरिये से मैं देखता हूं तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में इन्क्लाब तो जरूर आया, एक चीफ मिनिस्टर बदल कर दूसरा चीफ मिनिस्टर आया, लेकिन जो सेक्रेटेरियट की खराबियां थीं, कमजोरियां थीं वे अपनी जगह उसी तरह से कायम हैं।

आज जिस तरह से हमारे यहां एक्जिक्यूटिव है उस सिलसिले में एक-एक करके मैं तजवीज करूंगा। गवर्नर साहब के बारे में कुछ कहना बेकार है इस वास्ते कि मैं समझता हूं कि हमारा आईन इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम सदन में बैठ कर कोई खास क्रिटिसिज्म कर सकें। जहां तक मिनिस्टरों का ताल्लुक है, उस सिलसिले में मैं इतना जरूर चाहता हूं कि आज, जो मंत्री लोग दौरे पर जाते हैं, उसका जो असली मकसद है वह पूरा नहीं होता। मैं साफ और वाजेह अल्फाज में यह कहना चाहता हूं कि दौरे जैसे इससे पहले सरकार के जमाने में सियासी अगराज से हुआ करते थे उसी तरह से आज भी होते हैं। इससे पहले इस सदन में एक बार सवाल हुआ था जब कांग्रेस की आपसी कशमकश चल रही थी तो एक बारगी मालूम हुआ कि १० दिन के लिये उत्तर प्रदेश के सारे मंत्री दौरे पर निकल गये। वे दौरे यकीनन पोलिटिकल मकसद से थे और आज भी जो दौरे हो रहे हैं वे सियासी मकसद से होते हैं। मकसद जो दौरे का होता है, वह यह कि मिनिस्टर जायं और उस जिले की हालत पर गौर करें, वहां लोगों से बातचीत करें और वहां के कलेक्टर से काम की बातें करें। मैं जो मंत्री उस तरफ बैठे हैं उनसे पूछता हूं कि जब वे दौरे पर जाते हैं तो उनमें से कितनों ने इस बात की जहमत गवारा की कि वे कलेक्टर से, एस० पी० से, एग्रीकल्चर या प्लानिंग आफिसर्स से मिले, उनसे बातचीत की और यह पूछा हो कि तुम्हारी दुश्वारी क्या है? उनके सामने तो एक क्राउडेड प्रोग्राम रहता है और आधे से ज्यादा वक्त पार्टियों में तथा कांग्रेस दफ्तर में जाने में तथा वहां के वर्कर्स को एड्रेस करने में लग जाता है। जब कोई मंत्री जाता है तो कलेक्टर जिला कांग्रेस के प्रेसीडेंट की हिदायत के मुताबिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद जरगाम हैदर]

उनका प्रोग्राम बनायेगा। इसलिये मेरी गुजारिश है कि दौरे का जो मकसद है उसे खत्म न करिये। वहां के लोगों से मिलिये और जो उनकी दुश्वारियां हों उन पर गौर करिये।

एक सुझाव मैं और दूंगा कि जिले के एम०एल० एज० असेम्बली के सेशन में यहां रहते हैं। एक-एक जिले के एम० एल० एज० से अलग-अलग कर के मंत्री लोग उनसे सलाह मश्विरा यहीं कर लिया करें तो यह एक हेल्दी ट्रेडिशन होगा। जिले में हम लोग आपस में पार्टीबाजी में पड़ कर लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन इतनी नीयत सभी एम० एल० एज० की होती है कि हमारे जिले में कोई न कोई काम हो। मंत्री और मुख्य मंत्री जी इस ओर कदम उठायें कि जो दौरे पर जा कर इतना वक्त और पैसा सर्फ किया जाता है उससे कहीं बेहतर काम यह होगा कि जिले के एम०एल० एज० से यहीं सेशन के दौरान में जिले की बाबत जान कर पूछतांछ करके वहां की दुश्वारियों को दूर करने की कोशिश करें और यह चीज ज्यादा कारामद साबित होगी।

सेक्रेटेरियट लेविल पर आई० ए० एस० तथा बड़े-बड़े आफिसर्स के बारे में काफी कहा जा चुका है। मैं उसे दोहरा कर इस ऐवान का कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहता लेकिन जो एक बहुत बड़ी खराबी आज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में है वह यह कि हर महकमे में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे क्लर्क भरे पड़े हैं जिन्हें अपने मुस्तकिल होने का पता नहीं है। वे नहीं जानते कि आज वे नौकरी में हैं और कल रहेंगे या नहीं। लेबर लाज में बगैर चार्ज लगाये कोई नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन हमारे यहां टैम्पोरेरी सर्वेन्ट्स के लिये एक अनोखी व्यवस्था चली आती है कि जब चाहो एक महीने का नोटिस देकर या एक महीने की तनख्वाह देकर निकाल दो। जब इंसान को अपने मुस्तकिल होने के बारे में नहीं मालूम और यह भी नहीं मालूम कि कल इस जगह बैठ कर उसे काम करने का मौका मिलेगा या नहीं तो जाहिर है कि न वह ईमानदारी से काम कर सकता है और न ने कनीयती से काम कर सकता है। लिहाजा मैं मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि जो बहुत बड़ी फौज सेक्रेटेरियट में टैम्पोरेरी मुलाजमीन की है उस पर वे गौर करें। हालत तो यह है कि बहुत से डिपार्टमेन्ट्स टैम्पोरेरी हैं और उसके अहलकार भी टैम्पोरेरी हैं। मिसाल के तौर पर कंसालिडेशन डिपार्टमेन्ट ले लीजिये। सरकार का उसूल है कि हरगांव में चकबंदी हो तो इसके यकीनन यह मानी हैं कि कम से कम ३०,३५ वर्ष चकबंदी की मशीनरी को काम करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक डिपार्टमेन्ट का तजकिरा कर दिया। जब ३०, ३५ बरस तक एक महकमा कायम रहेगा तो उसके अहलकारों को हम टैम्पोरेरी क्यों रखते हैं? मुस्तकिल तौर पर हम उनको रख लें और जहां-जहां चकबंदी हो वहां-वहां हम उनको भेजें तो मेरे खयाल में यह एक बहुत बेहतर बात होगी।

अब इसके बाद कुछ जिले के बारे में कहना जरूरी है। मैं नहीं जानता कि हमारे मौजूदा मुख्य मंत्री जी का क्या रवैया है। लेकिन इससे पहले जो मुख्य मंत्री थे उन्हें नौकरशाही के लफ्ज से बहुत बड़ी चिढ़ थी। आज इस सदन का हर आदमी जानता है कि डेमोक्रेसी और बूरोक्रेसी के बीच में सिर्फ इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक जंग हो रही है। हम लोग इस की कसम खा कर आये हैं कि हम हिन्दुस्तान के आईन के प्रति वफादार रहेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। हम इस असेम्बली के मेम्बर नहीं हो सकते जब तक कि हम इस मुल्क के आईन के साथ वफादार नहीं होंगे। हमने इस बात की भी कसम खायी है कि इस मुल्क के अन्दर एक सोशलिस्ट स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे और अगर हम देखते हैं कि नौकरशाही उसमें रुकावट डाल रही है तो हम पूरे तौर से उसका मुकाबिला करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकारी बैंचों पर बैठने वाले लोग जब मंत्रि पद पर नहीं थे तो कहा करते थे कि हमारे अफसरों में एक अजीब जड़नियत पैदा होती जा रही है और हमारे आजकल जो होम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह हैं उन्होंने यह कहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े अफसरान एकदम से पालिटीशियन बन गये हैं और उनके इस जज्बे को हमें मिटाना है। हम पूछना चाहते हैं आपके जरिये कि इतने दिनों में सरकार ने जम्हूरियत के मुकाबिले में नौकरशाही से लड़ाई लड़ने के लिये क्या कदम उठाया है।

आज हर जिले में एक पैरेलल गवर्नमेन्ट बनी हुई है। जिस तरीके से अंग्रेजों के जमाने में जब हम लड़ते थे तो यह होता था कि एक पैरेलल गवर्नमेन्ट बनायेंगे उसी तरह से आज हर जिले में जिले के अफसरान की एक पैरेलल गवर्नमेन्ट बनी है। आज जहां जिले में म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट, असेम्बली के मेम्बर जम्हूरियत की नुमायन्दगी करते हैं वहां हर स्टेज के ऊपर हम देखते हैं कि नौकरशाही की नुमायन्दगी पुलिस के थानेदार, पुलिस के कांस्टेबिल, चौकीदार, लेखपाल, बी० डी० ओ० वगैरह कर रहे हैं और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां भी जम्हूरियत और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान लड़ाई होती है बावजूद अपने तमाम एलानात के यह गवर्नमेन्ट उसी तरीके से कासिर रही है जम्हूरियत की हिफाजत करने में ब्यूरोक्रेसी के मुकाबिले में जिस तरह से पहले की सरकार कासिर रही थी। महात्मा गांधी कलेक्टर को मिनिएचर वायसराय कहते थे लेकिन आज एक कलेक्टर वायसराय से भी ज्यादा ताकत रखता है। सन् १९२२ में जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट बना, तो उस वक्त अंग्रेजों ने यह मुनासिब समझा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेंट कलेक्टर न हो बल्कि एक चुना हुआ नुमायन्दा हो। सन् १९१६ के म्युनिसिपल ऐक्ट में भी इस तरह की तरमीम की गयी थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि जिले के स्तर पर हर महकमे में जो सुपीरियारिटी है, वह कलेक्टर की ही है। आज जिला परिषद् को देखिये। पार्लियामेंट के मेम्बर, उसके सदस्य, असेम्बली के मेम्बर उसके सदस्य, म्यूनिसिपैलिटीज अगर एक जिले में दो, तीन हैं तो उनके चेयरमैन उसके सदस्य, नोटिफाइड और टाउन एरिया के चेयरमैन उसके सदस्य और ये सब जम्हूरियत की नुमायन्दगी करने वाले हैं, लेकिन यह इस जम्हूरियत और हिन्दुस्तान के आईन की हिफाजत करने वाली सरकार का बनाया हुआ कानून है कि उन जम्हूरियत के चुने हुये नुमायन्दों के ऊपर जो प्रेसाइड करेगा, वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा। क्या जम्हूरियत की इससे ज्यादा जिल्लत हो सकती है कि चुने हुये नुमायन्दों के डेलिबरेशन को एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रेसाइड करे। यह नहीं, जितनी भी कमेटियां जिले की हैं, जैसे प्लानिंग कमेटी का प्रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, फूड ऐडवाइजरी कमेटी का प्रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, हास्पिटल ऐडवाइजरी कमेटी का प्रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और अगर कोई कमेटी ऐसी है कि जिसका प्रेसीडेंट गवर्नमेंट ने कानूनन बना दिया है कि कोई नान–आफिशियल आदमी होगा तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उस कमेटी में शिरकत करना अपनी जिल्लत समझता है। मिसाल के लिये ऐन्टी-करप्शन कमेटी ले लीजिये। उसका नियम है कि उसका प्रेसीडेंट एक गैरसरकारी आदमी होगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं होगा। लिहाजा मैं मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस तरफ खास तौर से तवज्जह करें और हर कदम पर यह अहसास करें कि इस नौकरशाही ने एक ऐसा शिकंजा कायम कर लिया है कि जो कदम आप जिस तरह से उठाना चाहते हैं तो वे इस तरह से ट्विस्ट करके चीजों को आपके सामने पेश कर देते हैं कि आप अपने को बेबस और मजबूर पाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जिला परिषद् कानून के अन्दर जिला मैजिस्ट्रेट प्रेसीडेंट रखा गया है। वह हर तरफ प्रेसीडेंट रहना चाहता है। एक तरफ तो आपको कानून बदलने की इतनी जरूरत हुई कि आपको आर्डिनेन्स जारी करना पड़ा दूसरी तरफ आर्डिनेन्स खत्म हो गया है और कानून बन गया है लेकिन वह अब भी जिला परिषद् का प्रेसीडेंट बना हुआ है।

फिर तबादले के मामले में बड़ी धांधली होती है। खास तौर से मैं अपने जिले की बात कहता हूं और उस तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। हमारा जिला ताल्लुकेदारों का जिला था और ९० फीसदी एरिया परमानेन्टली सेटिल्ड था ताल्लुकेदारों के जरिये से लेकिन आज हमारी सरकार की यह पालिसी है कि बहराइच के जिले को अफसरान का एक परमानेन्ट सेटिलमेंट-सा कर दिया है। वहां के कलेक्टर कितने ही सालों से वहां चले आ रहे हैं, सिविल सर्जन जो हैं वही कई-कई सालों से बने चले आ रहे हैं। एस० डी० एम० बहराइच कितने ही सालों से एस० डी० एम० बहराइच चले आ रहे हैं। लेकिन जब-जब उनके तबादलों का तजकिरा आता है तो कोई न कोई बहाना बनाकर उनका तबादिला मुल्तवी कर दिया जाता है। म माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या वह समझते हैं कि वही दुनिया म सबसे ज्यादा

[श्री सैयद जरगाम हैदर]

काबिल लोग हैं और बाकी दुनिया में जितने आफिसर है वह बड़े नाकाबिल हैं और अगर वे ही बड़े काबिल हैं तो खुदा के लिये दूसरे जिलों को भी उनके तजुर्बे से फायदा दीजिये और अगर वह बहराइच के लिये ही हैं तो फिर तो हम यह समझने लगे हैं कि हमारा जिला नैपाल बार्डर से लगा हुआ है, हम समझने लगे हैं कि नैपाल में तो हुकूमत बदल गयी लेकिन हमारे जिले के आफिसरान बदलने को नहीं हैं। इसलिये मैं इस तरफ उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि क्या असबाब हैं कि ये अफसरान वहां पर कायम हैं। क्या सरकार यह समझती है कि यह सरकार इस हुकूमत को इन अफसरों के जरिये से बचाना चाहती है लेकिन मैं कहता हूं कि यह अफसरान, आई० सी० एस० आफिसरान जब लार्ड माउन्ट बेटेन की हुकूमत को नहीं बचा सके तो मैं कहता हूं कि ये चतुर्वेदी साहब भी गुप्ता जी और इनकी हुकूमत को नहीं बचा पायेंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं। अभी हमारे लारी साहब ने भी इस तरफ ध्यान दिलाया था कि जिलों के अन्दर तमाम मुकामात पर फिरकापरस्ती बढ़ रही है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके बढ़ने में अफसरान का बहुत बड़ा हाथ है। इसकी वजह यह है कि अफसरान पालिटिक्स के अन्दर इन्टर करते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी की का ध्यान दिलाऊंगा कि जिस तरह से आनेस्टी और इंटेग्रिटी की ऐन्ट्री आफिसरों के कैरेक्टर रोल में करते हैं उसी तरह से जिन अफसरों के बारे में इस बात का अहसास हो, इस बात की शोहरत हो कि वह फिरकेवाराना तरीके से हुकूमत का काम चलाते हैं तो अगर कोई आफिसर ऐसा है जिसके बारे में यह शिकायत है चाहे वह कलेक्टर हो या एस० पी० हो, या प्लानिंग आफिसर हो या कोई हो, आफिसर होने की हैसियत से वह फिरकेवाराना नुक्तेनजर से फैसले किया करते हैं उसके कैरेक्टर रोल में उसी तरह की ऐन्ट्री होनी चाहिये और उसको दोबारा इतनी जिम्मेदारी की जगह पर तैनात नहीं होना चाहिये।

मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि इतने अहम प्राब्लम पर आपने मुझे मौका दिया है कि अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। आखिर में मैं तवक्को करता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है मुख्य मंत्री जी उसे यह न समझ लें कि मैंने नुक्ताचीनी के ख्याल से बातें कही हैं लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा है वह प्रदेश के फायदे की निगाह से रखा है और मैं समझता हूं कि वे उस तरफ जरूर ध्यान देंगे और जो कुछ मैंने अर्ज किया है उस पर अमल कराने के लिये कदम उठावेंगे।

श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—श्रीमन्, सामान्य प्रशासन के बारे में जब भी इस सदन में बहस होती है, उसमें नौकरशाही के बारे में काफी कहा जाता है और जो समालोचनायें होती हैं मेरा ख्याल है कि उनमें बहुत हद तक हम नौकरशाही के साथ कुछ ज्यादा इंसाफ नहीं करते हैं। नौकरशाही एक मैकेनिज्म है, जिसका विकास पिछले सौ सालों के अन्दर दुनिया में हुआ है और उसकी बड़ी ताकत है। उसे अगर हम बदलना चाहते हैं तो उसे बदलने का एक तरीका यह है कि उसके पुरजों को इधर-उधर कर देते हैं। कभी-कभी किसी कमिश्नर को इधर कर दिया, कभी किसी कलेक्टर को उधर कर दिया और कोई सिर्फ इसी बहस में उलझकर हम रह जाते हैं कि अमुक आदमी अच्छा है, अमुक आदमी बुरा है, अमुक आदमी के कारनामे अच्छे हैं और अमुक आदमी बुरा काम करता है। मेरा ख्याल है कि जितनी कोशिश बारह-चौदह साल से नौकरशाही को ठीक करने की हुई है तजुर्बे ने बताया है कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा करते गये और हर साल शिकायतें भी बढ़ती गयी हैं। इसका कारण मुझे यह मालूम देता है कि नौकरशाही के बदलने की ओर, उनसे काम लेने के लिये जो ताकत हम में पैदा करनी चाहिये थी वह हम खोते चले जा रहे हैं। नौकरशाही के कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि एक जबर्दस्त सुसंगठित पोलिटीकल पार्टी हो, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे डेमोक्रेटिक प्लानिंग हो, चाहे टोटलिटेरियन प्लानिंग हो, अगर आप नौकरशाही से कोई काम लेना चाहते हैं, उससे अपने काम पूरे कराना चाहते हैं तो उसके लिये एक बहुत ही

एफीशियेंट पोलिटिकल पार्टी होनी चाहिये। नौकरशाही का एक खास ढंग होता है, उसकी एक आन होती है, उसको एक शान होती है, उसकी कुछ एक ट्रेनिंग होती है, उसका एक ढांचा होता है, उसके खास कंडक्ट रूल्स होते हैं, उसका एक बर्ताव होता है और जो उसके काम करने का ढंग होता है उसी से वह काम करती है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि आजकल जो आपके आफिसर्स का ट्रेनिंग स्कूल है, जहां पर डिप्टी कलेक्टर्स की ट्रेनिंग होती है, उनको वहां पर सिखाया जाता है कि छुरी और कांटे को किस तरह से पकड़ना चाहिये। उनका एक खाने का ढंग है, उनका एक बोलने का ढंग है, उनका एक बातचीत करने का ढंग है, उनका एक सिस्टम है जिस तरीके से कि पोलिटिकल लोगों का एक सिस्टम होता है, उसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी का एक सिस्टम होता है।

ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम को बदलने के लिये हमें आज अपने कदम उठाने चाहिये। छोटे-छोटे कदमों से कुछ होने वाला नहीं है और किसी आदमी को कहीं हटा दिया जाय उससे भी कुछ नहीं होगा। नौकरशाही एक शानदार सिस्टम है, जिसमें घुसते ही तबीयत करती है कि वहां ठहरा जाय, उनकी एक शान है, कायदे-कानून हैं, कागजों को बांधने का एक ढंग है, बोलने का ढंग है। जब कोई नया लड़का नौकरशाही में जाता है और वह कोई बड़ा अफसर हो जाता है तो उसका ऐक्सेंट ही बदल जाता है। मसलन एक नार्मल आदमी कहेगा कि एक गिलास पानी लाओ और वह झटके के साथ कहेगा। उसको ढांचा ही बदलना पड़ता है, उसको ऐक्सेंट ही बदलना पड़ता है।

हमारे केवल मकान बदलने से कुछ ज्यादा असर नहीं होता है। मुख्य मंत्री जी चाहे बड़े मकान में रहें या अपने उसी मकान में रहें उससे क्या फर्क पड़ता है। हां, यह जरूर है कि यह ग्लैमर तोड़ने की दिशा में कदम है। अब कहां तक तोड़ पायेंगे यह एक लम्बी लड़ाई है। हां, यह जरूर है कि औस्टेरिटी की क्लाइमेट असर करती है और इसके लिये मैं गवर्नमेंट को बधाई दे सकता हूं।

अब तक का हमारा तजुर्बा बताता है कि इस प्रदेश में १५–१६ साल से नौकरशाही को बदलने के लिये हमने कदम उठाये हैं, उनको अगर लिया जाय और देखा जाय तो मालूम होगा कि हमने हर कदम, जो पहले उठाया था, उसको हमने फिर पीछे हटाया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस मामले में हमारी हिस्ट्री रिट्रीट की हिस्ट्री रही है। इसकी मिसाल में अभी देता हूं। वह यह कि हमने पहला कदम १९४६ में उठाया। वह यह कि हम सीधे बात करेंगे और लोगों से सीधे अर्जी लेंगे और अफसरों से भी सीधे बातें करेंगे। मुझे भी उस समय गवर्नमेंट में रहने का मौका मिला था। हम लोगों को रोज १००–१५० अर्जियां मिलती थीं। हम चाहते थे कि किसी तरह से लोगों को रिलीफ हो। अफसर भी कहते थे कि आप सीधे अर्जी ले लीजिये। हमने अर्जियां ऊपर से नीचे डालीं और हमने देखा कि हम जनता को कोई रिलीफ नहीं दिला पाये और लोगों में हमारी तरफ से डिजेक्शन हुआ, हम भी परेशान हुए। ब्यूरोक्रेसी ने कहा कि हम तो पहले ही कहते थे कि यह चीज गलत है लेकिन आपको शौक था। इसलिये आपने ली तो हमको पीछे हटना पड़ा।

इसके बाद दूसरा कदम हमने यह उठाया कि दास साहब के अन्डर में एडमिनिस्ट्रेशन का रिआर्गनाइजेशन कराया। उसके पीछे कोई बड़ा भारी मकसद नहीं था सिर्फ हमारा यह मकसद था कि सर्विसेज में ऐफीशियेन्सी पैदा हो। उस कमेटी ने बड़ी मेहनत की और अपने सुझाव गवर्नमेंट के सामने रखे। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वे सारे सुझाव डिपार्टमेंट्स ने खत्म कर दिये। ब्यूरोक्रेसी की तारीफ यह है कि इसके पास बेइंतहा कायदे कानून होते हैं जो यह किसी को बतलाती नहीं है। मुझे श्रीमन्, बड़ा फक्र है कि मुझे एक बड़े ऐडमिनिस्ट्रेटर के साथ रहने का मौका मिला है। ब्यूरोक्रेसी से जब उनकी लड़ाई होती है तो हर लेविल पर ब्यूरोक्रेसी से लड़ाई होती है। आज हमारे देश में राजनीतिक लोगों से

[श्री गोविन्दसहाय]

ब्यूरोक्रेसी ताकत खींच रही है, ब्यूरोक्रेसी से जुडीशियरी ताकत खींच रही है। जजेज का एक नया शौक निकला है। आखिर में यह सोजर आफ पावर हमें कहां ले जायगा, मैं नहीं कह सकता। हिन्दुस्तान के चारों तरफ मिलीटरी कूप हो गये हैं। इंडिया के अन्दर एक स्ट्रगिल है। उसमें हमें आंखें खोल कर देखना चाहिये। अगर ब्यूरोक्रेसी से लड़ाई लड़नी है तो उसकी टेकनीक से लड़ाई लड़नी है और वह सारे पोलिटिकल पार्टी के रवैये पर मुनहसर करता है। अगर हम इस तरह पर आगे नहीं बढ़ेंगे तो ब्यूरोक्रेसी पर आसानी से हावी नहीं हो सकते। मैं इस सिलसिले में ज्यादा नहीं कहना चाहता। एक दो मिसालें मैंने बतायीं। दास कमेटी की रेकमेंडेशन्स नहीं चल पायीं, उसके बाद हमने एक नयी चीज की। आज जो सूबे के गृह मंत्री हैं उन्होंने मुझ से कहा कि अब हमने ऐसा कानून बना दिया है कि उससे ब्यूरोक्रेसी का दांत तोड़ दिया है। मुझे कुछ हंसी भी आयी और कुछ खुशी भी हुई। हमने पूछा वह क्या है? इस पर उन्होंने कहा कि हमने प्रोमोशन्स के रूल्स बिलकुल बदल दिये हैं। प्रोमोशन लेंग्थ आफ सर्विस के साथ मेरिट पर निर्भर करेगा। अब हमारे हाथ में ताकत आ गयी है कि नीचे से ऊपर कर सकते हैं। उसमें क्या हुआ? दस-पांच को मिनिस्टरों ने किया और ब्यूरोक्रेसी ने हजारों को किया। उनको छुट मिल गयी। इमीडियेट आफिसर को जिसको प्रोमोशन न देना हुआ, कह दिया तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, अब प्रोमोशन के रूल्स बदल गये हैं।

महज आइसोलेटेड एफर्टस करने से हम ब्यूरोक्रेसी पर हावी नहीं हो सकते और मकान की अदला बदली करने से कोई फर्क नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी की जो बुनियादें हैं उनको बदलना होगा। पहले रेक्रूटमेंट का सिस्टम बदलना होगा। रेक्रूटमेंट का सिस्टम बड़ा रिएक्शनरी है। पब्लिक सर्विस कमीशन के कौन मेम्बर्स होंगे? जो बिलकुल बुड्ढे हो जायेंगे। उनका कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता। आप कहते हैं कि सर्विसेज में कोई विचारधारा होनी चाहिये, लेकिन जो रेक्रूटिंग एजेंसी है वह प्रेरणा नहीं देती। उसके सामने सौ-सौ आदमी बुलाये जाते हैं। आंख उठा कर देखा जिसे चाहा चुन लिया। अगर आप ब्यूरोक्रेसी को बदलना चाहते हैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन में न्यू ब्लड दीजिये। उसके बाद कोड आफ कंडक्ट और उनके प्रोमोशन के रूल्स किन बातों पर आधारित होंगे यह देखना होगा। एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरक्की इस बात पर मुनहसर हो कि उसके यहां कम्युनल राइट्स हुए या नहीं, प्रोडक्शन बढ़ा या उसमें कमी हुई, नयी सोशल वेल्ज़ को तरक्की दी या नहीं। आपको सारे के सारे प्रोमोशन रूल्स बदलने पड़ेंगे। डिसिप्लिन का कंडक्ट बदलना पड़ेगा और ब्यूरोक्रेसी में जो असमानताएं हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। सेक्रेटेरियट में एक चीज मैंने देखी जो किसी की नजर में नहीं आयी, हालांकि इस सदन में बड़े-बड़े सोशलिस्ट हैं, शुद्ध सोशलिस्ट हैं, नकली सोशलिस्ट हैं और सभी तरह के लोग हैं। आज भी सेक्रेटेरियट के पेशाबघर पर लिखा हुआ है--चतुर्थ श्रेणी के लोगों के लिये पेशाबघर, यह क्लास रेजिमेंटेशन पैदा करता है। ब्यूरोक्रेसी ने अपने सारे सिस्टम में डिस्टिंक्शन मेन्टेन कर रखा है। सर्विसेज में जो डिस्टिंक्शन है उस आबहवा का असर हम पर भी हुआ और हमने पोलिटिकल लेविल पर भी उतना डिस्टिंक्शन मेंटेन कर रखा है। मुख्य मंत्री या दो चार आदमी ऐसे हो सकते हैं जिन पर उस आबहवा का असर न पड़ता हो लेकिन साधारणतया सेल्यूट और आर्म्ड गार्ड का असर पड़ता है। मैं जानता हूं कि काफी लोगों को बड़ी दिक्कतें पड़ी हैं, उसको छोड़ने में। मैं अपना जाती तजुर्बा बतलाता हूं। पांच साल इस सिस्टम में रहा। दस साल से फर्स्ट क्लास में सफर करता हूं ताकि लोग यह न कहें कि अपने पैसे से फर्स्ट क्लास में नहीं चल सकते। इसके बड़े कम्प्लीकेशन्स हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपके लिये चार महीने में ब्यूरोक्रेसी को बदल देना सम्भव नहीं। आपने कुछ कदम उठाये, उसमें एक कदम को कद्र करता हूं। आपने अपनी शख्सियत से ग्लैमर को तोड़ा है लेकिन पूरे सिस्टम के ग्लैमर को तोड़ने की जरूरत है।

उसके बाद एक नयी चीज जो इकोनामी के बारे में है, उसको फिर से कहना चाहता हूं कि साधारण तरीके पर यह कमेंट किया जाता है कि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन टाप

हैवी है। मैं इस गलतफहमी को साफ करना चाहता हूं। सोशलिस्ट एकोनामी का बजट जो होगा उसमें सर्विसेज पर ज्यादा खर्च होगा इसमें मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, क्योंकि ज्यों-ज्यों आप सोशलिस्ट एकोनामी की तरफ बढ़ेंगे उसका फैलाव होगा और आप आखिर रुपया कहां खर्च करेंगे? यह १३५ या १४० करोड़ रुपया जो आप खर्च करेंगे यह किन पर खर्च होगा? मेजर आइटम्स तीन ही हैं---सर्विसेज, ग्रान्ट्स और कांस्ट्रक्शन। यह तीन ही किस्म की ऐक्टिविटीज पर ज्यादा रुपया खर्च होता है। एक वेलफेयर स्टेट या सोशलिस्ट स्टेट जिसे मैं सोचता हूं, जिसकी तरफ हम आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहे हैं, उसमें हर आदमी को रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। वेलफेयर स्टेट के मानी हैं फुल एम्प्लायमेंट। तो जो रुपया एम्प्लायमेंट पर खर्च होता है उससे गुरेज नहीं करना चाहिये। यह जो हमारा खयाल है या जैसे पहले कहा जाता था कि ७०-८० फीसदी रुपया हमारा सर्विसेज पर खर्च हो जाता है, हालांकि वह फैक्ट्स गलत थे, और आज कोई बहुत ज्यादा सर्विसेज पर खर्च हो रहा हो, मेरा जहां तक खयाल है ऐसी बात नहीं है। आप इधर उसे ४१ प्रतिशत से ३६ प्रतिशत पर भी ले आये हैं, लेकिन यह अगर खर्च ज्यादा हो तो भी मुझे कोई गुरेज नहीं होगा। सर्विसेज पर रुपया खर्च करना मैं गलत नहीं समझता क्योंकि सोशलिस्ट एकोनामी में सर्विसेज का फैलाव होता है। सिर्फ उसमें देखने की बात यह होती है कि मैकेनिज्म ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।

अभी एक मिसाल दी गई। मुझे अपने दोस्तों से इख्तलाफ करते हुए कुछ तकलीफ भी होती है लेकिन क्या किया जाय, विचारों का मामला है। यह अपने यहां आफिसर्स का एयर कंडीशन जो रोका है उससे कोई बड़ा काम हुआ है ऐसा मैं नहीं समझता क्योंकि यह एयर कंडीशन का रुपया किसको जाता है? रेलवे डिपार्टमेंट को। तो इट इज ओनलीए क्वेश्चन आफ बुक एन्ट्री। आपका यह रुपया एक डिपार्टमेंट से अगर खर्च होता है तो दूसरे डिपार्टमेंट को जाता है। इसमें कोई एकोनामी की बात नहीं है। अगर एयर कंडीशन में आपके आफिसर सफर करते हैं तो वह रुपया उस डिपार्टमेंट को जाता है जोकि रेलवे की तरक्की कर रहा है और जो नयी-नयी सुविधायें उसमें निकाल रहा है। अब दूसरी तरफ नुकसान क्या हुआ? नुकसान यह हुआ कि आप समझते हैं कि अपने अफसरों को आप कानून से ठीक कर सकते हैं। लोग कहते रहते हैं कि सच बोलो, ईमानदारी का बर्ताव करो, लेकिन इस तरह कह कर कोई अपने बेटे तक को ठीक नहीं कर पाता, आप समझते हैं कि अफसर ठीक हो जायंगे। नतीजा उसका यह होगा कि जब एयर कंडीशन आपने रोका और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने यहां एयर कंडीशन नहीं रोका तो जो आदमी यू० पी० का डिप्टी सेक्रेटरी है सेंटर में वह चलेगा एयर कंडीशन में और हमारे यहां का सेक्रेटरी उसमें नहीं चल पायेगा, तो फौरन एक काम्प्लेक्स पैदा होता है कि जरूर तेरी नस्ल कोई कमजोर हो गई। फिर उसका दिमाग फौरन जाता है कि हाउ टू डिफीट इट। इसको डिफीट करने के लिये वह क्या करता है कि यहां से जायगा दिल्ली एरोप्लेन से और दिल्ली से जायगा कलकत्ता एरोप्लेन से। इसलिये एकोनामी इस तरह जबर्दस्ती नहीं लायी जा सकती। एकोनामी लायी जा सकती है केवल विचारों को बदल कर।

यह मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह के मेजर्स से कोई बहुत फायदा होता है। आप को इसमें बड़ी हिचक होती है, बड़ा भय होता है यह कहने में कि हम यह कह देंगे कि पहाड़ पर गर्मियों में जायं तो लोग यह समझेंगे कि हम बड़े आरामतलब हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि आपको पहाड़ जाना चाहिये। आप उसमें क्यों हिचकिचाहट करते हैं? क्योंकि आखिर हमें तो ओवरआल हर चीज को अपने सामने रखना है। हम बाहर जाते हैं तो उसका पैसा रेलवे को जाता है। अगर हम नहीं जाते हैं तो उसमें कोई एकोनामी की बात नहीं हुई। सोशलिस्ट पैटर्न में मैं इस तरह के मेजर्स को कोई एकोनामी मेजर्स नहीं समझता। अगर मुझे लोगों का मुकाबिला भी करना पड़े और पब्लिकली भी मुकाबिला करना पड़े तो भी मुझे विश्वास है कि मैं लोगों को यह बात समझा सकता हूं।

[श्री गोविन्दसहाय]

जैसा मैंने कहा कोई गलतफहमी मुझे इस सरकार के बारे में नहीं है कि यह बहुत काम कर सकती थी और जो कुछ कर सकती थी वह नहीं किया। लेकिन इतना मैं जरूर आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह एक जिन्दा प्रश्न है कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे ट्रांसफार्म किया जाय एक सोशलिस्ट सिस्टम को बनाने के लिये ? इसके लिये आपको रिसर्च करानी पड़ेगी, स्टडी करानी पड़ेगी और एक कमेटी आपको ऐसी मुकर्रर करनी चाहिये जो डीटेल्स में इन सब बातों की स्टडी करे। आज इस ब्यूरोक्रेसी के दुगुर्ण क्या हैं ? एक दुगुर्ण तो यह है कि डिले बहुत होती है। दूसरा दुगुर्ण है कि वेस्ट बहुत होता है, तीसरा दुर्गुण है कि बड़े पेचीदा ढंग की मशीनरी है। आज भी आप देखें कि १४–१५ साल राज्य प्राप्त किये हो गए, लेकिन एक मामूली कांग्रेस वर्कर को भी इस बात का पता नहीं कि कौन अर्जी किसे देनी चाहिये, किस मिनिस्टर को देनी चाहिये, किसे नहीं देनी चाहिये, यानी हमने पोलिटिकली एजूकेट नहीं किया है। मुझे तो इन्तहा हमदर्दी है माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ कि उनका बहुत ज्यादा वक्त लोग ले लेते हैं और पालिसी के बारे में सोचने का वक्त उन्हें बहुत कम होता है। तो हमें मुस्तैदी के साथ अपने कोड आफ कांडक्ट को सोचना पड़ेगा। बहरहाल, अगर यह दो-चार चीजें की जायं तो मेरा खयाल है कि ब्यूरोक्रेसी को बदलने की तरफ हमारे कुछ कदम बढ़ सकते हैं, वरना ब्यूरोक्रेसी इतनी आसान चीज नहीं है कि जो हमारी शुभेच्छाओं से ही बदल जाय।

मैं अब दो-चार चीजों की तरफ आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं। एक प्रोहिबिशन का सवाल है। यह सवाल कभी मुझे बेचैन भी करता है और मेरा खयाल है कि जिस तरह से देश और प्रदेश में प्रोहिबिशन चल रहा है उस से मुझे कोई तसल्ली नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जरिये इसे इस तरह कर के कोई अपराध किया जा रहा हो। शराब नहीं पीनी चाहिये, यह सेहत और इंटेस्टाइन्स को खराब करती है, यह ठीक है, लेकिन इसे रोकने का कोई तरीका होना चाहिये। इस आर्डर में हम किसी तरह भी शराब का पिया जाना नहीं रोक सकते। इंडस्ट्रियल एरियाज में उसका उपयोग इस प्रकार बंद नहीं कराया जा सकता। यह आसान काम नहीं है और यह सवाल दुनिया के सारे देशों के सामने रहा है। सन् १९३९ में जब मुझे यहां से लंदन जाने का मौका हुआ उस समय वहां पर शराब के खिलाफ कंपेन चल रहा था। उस के लिये एक तरफ तो एजूकेटिव कंपेन चल रहा था और दूसरी तरफ मिल्क बार खुले हुए थे। आपके लखनऊ में आज सिर्फ एक मिल्क बार है। अगर शराब से लोगों को हटाना है तो उस के लिये जो मौजूदा तरीका है, उससे अलग हट कर कुछ और करना होगा। इस तरीके से तो कानून भी टूटता है और शराब भी पी जा रही है और हमारी आमदनी भी जाया हो रही है। इसके लिये रिथिंकिंग की जरूरत है और साइन्टिफिक ढंग से सोचने की जरूरत है कि किस तरह से हम आहिस्ते-आहिस्ते लोगों को इस से हटावें और किस तरह से वे लोग खुद इससे हटने की बात सोचने लगें।

इसी तरह से एजूकेशन के बारे में कह सकता हूं। इस साल के ६, ७ महीनों में तो कोई ऐसी तब्दीली की बात नहीं हुई, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है और वह बदला नहीं है कि हमको अपने विद्यार्थियों, अपने बच्चों में कोआपरेशन और प्लानिंग का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिये और छोटे-छोटे बच्चों का कोआपरेशन में विश्वास पैदा कराना चाहिये। किसी न किसी रूप में प्लानिंग के बारे में मामूली जानकारी हमारे बच्चों को होनी चाहिये। आपको, उपाध्यक्ष महोदय, जानकर ताज्जुब होगा कि आज प्लानिंग के बारे में जो हमारे साहित्यकार हैं वह ज्यादा कुछ लिख नहीं पा रहे हैं। हमारे लेखक और हमारे कवि और दूसरे जो ड्रामेटिस्ट्स हैं वे कुछ लिख नहीं पा रहे हैं और इसके लिये उनको प्रेरणा नहीं हो रही है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सहल जबान में पूछा जाय किसी मिडिल पास लड़के से नहीं बल्कि किसी कालेज के लड़के से कि उत्तरप्रदेश में १९४६ से ले कर १९६० तक

क्या विभिन्न प्रयास हुए हैं जो हमें सोशलिज्म की तरफ ले जा रहे हैं तो वह तो क्या कोई एम० ए० का लड़का भी नहीं बतला सकता ।

जैसा मेरे एक साथी ने कहा, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं कि जिस प्रकार का हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन है, जैसा उसका काम करने का तरीका है उसमें आदमी का पर्सनलाइजेशन होता है, उसका व्यक्तित्व खत्म किया जाता है । उसकी कोई राय नहीं होनी चाहिये । एक ब्यूरोक्रेट की तारीफ यह है कि उसकी किसी मसले पर कोई राय नहीं होती । जिस काम को उसे सौंप दिया जाय उस पर वह अपनी राय दे देता है । जब उसका कोई फेथ नहीं होता, तो भले ही सरकार की पालिसी वेलफेयर की हो, डेमोक्रेटिक हो या फासिस्ट हो, वह उस पर अमल भी नहीं कर सकता । अगर हम असेम्बली में किसी बिल को पास भी कर दें तो जिस मशीनरी के द्वारा हम उस पर अमल करवाना चाहते हैं उस मशीनरी का उस पर विश्वास होना चाहिये । फौरन इस के खिलाफ दलील दी जायगी कि अगर उसमें विश्वास पैदा कराया जायगा तो यह रेजीमेंटेशन हो जायगा । क्या आज हमारी सर्विसेज रेजीमेंटेड नहीं हैं ? यह सिस्टम तो हम तक को रेजिमेंट कर देता है ।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

रेजीमेंटेशन के मैं खिलाफ हूं, लेकिन मैं ओरियेन्टेशन की बात कहूंगा और इसके लिये सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिये कि हमारी सर्विसेज को हमारी योजनाओं के बारे म, ध्यय क बार म, पालिसी के बारे में, कायदे-कानूनों के बारे में, पूर्ण तरीके से ज्ञान हो ताकि जब वे उन पर अपनी राय दें, अपने नोट लिखें तो पूरी नीति का एक समूचा नक्शा उन के सामने हो, आज ऐसा नहीं है । मुझे तो भूतपूर्व एक मिनिस्टर महोदय का तजुर्बा है । मैंने उनसे पूछा कि आपने यह फूड प्राब्लम कैसे हल किया ? क्या आपको पता था कि गल्ला है या नहीं ? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि गल्ला था या नहीं, लेकिन हमारे सेक्रेटेरियट को ट्रेनिंग यह ह कि डेफिसिट की फीगर्स चाहो तो वह आ जाते हैं और सरप्लस की फीगर्स चाहो तो सरप्लस के फीगर्स आ जाते हैं । उनकी अपनी राय नहीं होती । आज किसी को लेबर कमिश्नर बना दीजिये तो उसकी एक राय होगी और उसे ही इंडस्ट्रीज का सेक्रेटरी बना दीजिये तो उसकी राय दूसरी हो जायगी । इसका एक प्रासेस होना चाहिये । इसके साथ साथ जो हमारी ब्यूरोक्रेसी का एक घोड़ा है उस पर हावी होने के लिये हमें एक चुस्त सवार की जरूरत है । अपने देश में, अपने प्रदेश में, ब्यूरोक्रेसी को कन्ट्रोल करने के लिए एक स्टान्च पोलिटिकल लीडरशिप को पैदा करना होगा ....

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, क्या सारा समय यही ले लेंगे ? हमको भी मौका मिलना चाहिये ।

श्री गोविन्दसहाय—अध्यक्ष महोदय, मैं मोटे तौर पर दो एक बातों की और चर्चा करना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिस जमाने से गुजरे हैं उसमें उन्हें कुछ ज्यादा कार्य करने का मौका नहीं मिला है, किन्तु दो-तीन चीजें ऐसी हैं जिनको वे आसानी से कर सकते हैं ।

एक सुझाव तो मेरा यह है कि जो भिन्न-भिन्न विभाग हैं इनका आज कोई रेशनल एलोकेशन नहीं है । उनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता है यह पता ही नहीं चलता । मैं यह नहीं कहता कि कुछ विभागों को आप हटा दीजिये, किन्तु उनका रेशनल एलोकेशन होना चाहिये । हटाने की बात तो मैं इसलिये नहीं कहता हूं कि अगर हरिजन विभाग को आप हटा देंगे तो हरिजन लोग एतराज करने लगेंगे क्योंकि उनका अब तक एक लगाव पैदा हो गया है उस विभाग से । इसलिये आप उसको हटाइये मत, मगर उनका रेशनल एलोकेशन होना चाहिये ।

[श्री गोविन्दसहाय]

इसको आप आसानी से कर सकते हैं। आज उनके वैज्ञानिक ढंग से पुनः निर्माण करने की जरूरत है।

दूसरी बात यह कि जो आपकी सर्विसेज में आदमी हैं उनकी एफिशिएन्सी को बढ़ाने के लिये तो आपने एक कमेटी बनायी है किन्तु आज इस बात की भी उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि एक सोशलिस्ट समाज में उनको किस तरह से कार्य करना चाहिये, उनका कैसा व्यवहार होना चाहिये, सारे ढांचे के अन्दर उनमें एक आमूल परिवर्तन लाने के लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत है। आज ट्रेनिंग का कार्य अलग-अलग विभाग करते हैं लेकिन कोआपरेटिव विभाग द्वारा दी गयी ट्रेनिंग का आदमी यह नहीं जानता होगा कि हमारी प्लानिंग क्या चीज है। वह कोआपरेटिव और प्लानिंग के रिश्ते को नहीं जानता होगा। मेरा सुझाव यह है कि जो भी आपकी कानूनगो, सुपरवाइजर्स, ओवरसियर्स या इंजीनियरों आदि की ट्रेनिंग है इनका कुछ एक दूसरे से संबंध होना चाहिये। कुछ लेक्चर्स हर तरह की सर्विसेज के लिये कामन होने चाहिये। मैं समझता हूं अगर इस तरह से हम विचार करें और कार्य करें तो हम लोगों के बीच एक अच्छा खासा विश्वास पैदा हो जायेगा। आज सर्विसेज को महज बुरा भला कहने से ही कुछ फायदा नहीं निकलता है, इसका उन लोगों पर भी बुरा असर पड़ता है, उन लोगों में भी पालिटिक्स बढ़ती है। हमें आज उनके अन्दर एक विश्वास पैदा करने की जरूरत है, उनके आउटलुक को पोलिटीकल बनाने की जरूरत है। हम जानते हैं कि वे लोग कोई चुनाव वगैरह लड़ कर, उसे जीत कर नहीं आते हैं, वे एक कम्पटीशन द्वारा आते हैं, उनकी मानसिक ताकत का हमें प्रयोग करना चाहिये।

एक झगड़ा वर्षों से चला आ रहा है और वह यह कि ऐडमिनिस्ट्रेटर में और टेक्नीशियन में कौन बड़ा है। पहले यह तय हुआ कि ऐडमिनिस्ट्रेटर बड़ा होता है, लेकिन जिन सोशलिस्टिक देशों ने तरक्की की है वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि टेक्नीशियन ऐडमिनिस्ट्रेटर से बड़ा होता है। आज इस ओर भी हमें विचार करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि टेक्नीशियन की आज समाज में ज्यादा इज्जत होनी चाहिये। आज होता क्या है? आज अगर हमें एक सीमेंट फैक्टरी स्थापित करनी है तो उसके लिए एक ऐडमिनिस्ट्रेटर तो यहां से भेजा जाता है और चीफ इंजीनियर दूसरा होता है, जिसका नतीजा यह होता है कि वहां पर काफी झगड़ा चलता है। मैं यह समझता हूं कि सोशलिस्ट सिस्टम में पहली चीज यह होती है कि हम ऐडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो दौलत पैदा होती है इसलिए उसकी इज्जत और उसका सम्मान बढ़ायें, इसलिए ऐडमिनिस्ट्रेशन को एक टेक्निकल बायस देने की जरूरत है। आहिस्ता-आहिस्ता यह चीज डेवलप होती है। मैं यह कहने की जुर्रत करता हूं कि जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट में हमने थोड़ा-सा इवेलुएशन किया था तो हमारी रिकमेंडेशन थी कि टेक्निकल आदमी हर जगह बढ़ाये जायं। हमारे मित्र ने इधर से कहा कि ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स आज जन्नत के दरवाजे पर हैं और उन्होंने जो नकशा खींचा, मैं और तो क्या कहूं, मैं उनसे इतना ही कह सकता हूं कि अगर ग्राम डेवलपमेंट आफिसर का पद उन्हें इतना पसन्द है तो मेरे खयाल से मुख्य मंत्री जी को भी कोई एतराज नहीं होगा और वह स्वयं ग्राम डेवलपमेंट आफिसर बन जायं, वह उस जन्नत का खुद ही इस्तेमाल कर लें।

मैं समझता हूं कि ग्राम डेवलपमेंट आफिसर बनाने के कार्य में हमें कोई पायलट प्रोजेक्ट बनाना चाहिये। किसी जिले में तजुर्बे के लिए पब्लिकमैन को कलक्टर बनायें। कोआपरेटिव बिल का चार्ज आप किसी नान-आफिशियल को दें। आज आफिशियल्स और नान-आफिशियल्स की लड़ाई यह है कि जो आफिशियल्स तजुर्बा करते हैं उसे नान-आफिशियल्स फेल करते हैं और जो नान-आफिशियल तजुर्बा करते हैं उसे आफिशियल फेल करते हैं। इन दोनों में समन्वय होने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह से १०-५ जगह काम शुरू कीजिये और जब कामयाबी आये तो उसे फैलाने का काम होना चाहिए। अब तक हमने किसी पायलट प्रोजेक्ट का तजुर्बा नहीं किया।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)––माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े ध्यान से मैं इस हाउस के और श्री गोविन्दसहाय जी के व्याख्यान को खास तौर से सुन रहा था। शिकायतें तो बहुत दिन से सुनता आ रहा हूं कि ये ये शिकायतें हैं। इधर से कहा जाता है कि शिकायतें तो बहुत हैं, लेकिन इससे अच्छा और नहीं हो सकता। एक उर्दू का शेर है––

"सदियों से फलसफे की चुनां वो चुनीं रही,
लेकिन खुदा की बात जहां थी वहीं रही।"

हमेशा कोशिश हो रही है तरक्की और सुधार की, लेकिन शिकायत जहां की तहां बनी हुई है। अफसोस यह है कि इसको ठीक कैसे किया जाय? अभी तक थोड़ी शिकायत करप्शन की, घूसखोरी की, कुछ पक्षपात की और बहुत शिकायत साम्प्रदायिकता की भी आने लगी जोरदार शब्दों में। सुना है सेंट्रल गवर्नमेंट उस सम्बन्ध में कोई कानून बनाने जा रही है कि साम्प्रदायिक पार्टियां एलेक्शन में भाग न ले सकें। लेकिन इसे कैसे दूर किया जाय, इस पर विचार होना चाहिए। हुजूरवाला, पुराना जमाना अगर होता तो आसानी से सारी शिकायत मुख्य मंत्री की होती कि सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि "राजा कालस्य कालः" राजा काल को बनाता है, काल राजा को नहीं। एक ब्राह्मण का लड़का मर गया तो वह रामचन्द्र जी के पास गया कि इसकी मौत के आप जिम्मेदार हैं, यह कैसे मर गया? उन्होंने इनकार नहीं किया। इस तरह से सारी शिकायत उन पर आती है और जब मुख्य मंत्री को इस कसौटी की निगाह पर कसते हैं तो उल्टी तारीफ ही उनकी होती है। मुझे नाज है, फख्र है, जिसमें त्याग भी हो, तपस्या भी हो, बुद्धि और पांडित्य भी हो और कुर्बानी का माद्दा भी हो और जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत भी पास कर लिया हो और जो कुर्सियों पर लात मार दिया करते हैं, ऐसे मुख्य मंत्री हैं।

कर्मचारियों की शिकायतें तो बहुत से लोग किया करते हैं और मुझे भी शिकायत है, लेकिन यह वाजेह रहे कि ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को निकालने में कांग्रेस की पूरी-पूरी मदद की। जिस वक्त वाइसराय यहां तार दिया करता था तो उसकी नकल कांग्रेस के दफ्तर में पहुंच जाया करती थी। सब-इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, जजेज मुकर्रर थे। लक्ष्मण प्रसाद जज थे बस्ती में और वह मशविरा देते थे कि इस तरह से काम करो। यही वे कर्मचारी हैं। शिकायत होती है और जब इस तरफ देखता हूं कि शिकायत करने वाले कौन हैं तो यहां भी अच्छे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां की हैं। जिसकी शिकायत होती है वह भी अच्छा और शिकायत करने वाला भी अच्छा तो फिर शिकायत क्यों होती है इस पर गौर फरमायें। श्री नवल किशोर जी ने एक रास्ता यह बतलाया कि तनख्वाह कम कर दी जायं, हजार रुपये से ज्यादा तनख्वाह न हो। एक तरफ न सोचिये, दोनों तरफ सोचिये। अगर आप पे घटायेंगे तो जो ब्रेन वर्क करने वाला है उसका ब्रेन वर्क बिगड़ जायगा। जहां से आर्डर निकलता है उसे अगर यह चिन्ता हो जाय कि बच्चे की फीस कहां से दी जाय, दवा कहां से आये तो सारा शासन बिगड़ जायगा। फिर वह आपकी नौकरी नहीं करेंगे, वह आर्टिकिल लिखेंगे, वह अखबार में छपेगा और उनको ज्याद पैसा मिलेगा। सिर्फ तनख्वाह घटाने से ही काम नहीं चलेगा। हुजूरेवाला, उर्दू का एक शेर है:

पिला पिला के गिराना तो सबको आता है,
मजा तो जब है कि गिरते को थाम ले साक़ी।

आप तनख्वाह घटाइये नहीं बल्कि बढ़ाइये, घटाने से और नुकसान होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सीताराम शुक्ल]

मैं, श्री गोविन्द सहाय जी को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने हिम्मत करके फरमाया कि पहाड़ पर जाना चाहिये। बहुत लोग यह कहने में डरते हैं कि कहीं उनकी शिकायत न हो जाय कि यह सोशलिस्ट नहीं हैं। अगर एक चपरासी भी मुख्य मंत्री बन जाय तो उसको भी पहाड़ पर जाना चाहिये। जब आप उसको कुर्सी पर बैठ वर्क करने के लिये बैठायेंगे तो आप को उसे शान्ति देनी पड़ेगी। इसलिये मेरी गुजारिश है कि पहाड़ पर जाना चाहिये और ज़रूर जाना चाहिये। हुजूरेवाला, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है :

सक्ताः कर्मण्यविद्वासो यथा कुर्वन्ति भारत।
कुर्याद् विद्वांनस्तथा कर्म चिकीर्षुलोकसंग्रहय।।

जिस प्रकार से दुनिया में फंसा हुआ आदमी अपने लिये काम करता है उसी तरह से विद्वान को लोकसंग्रह, उपकार के लिये कार्य करना चाहिये। आपको भी वैसे ही कार्य करना चाहिये।

अभी मैंने आपसे कहा कि साम्प्रदायिकता बढ़ रही है। इसको कानून बना कर नहीं रोका जा सकता। जनसंघ एलेक्शन में हार जाय, इसलिये आप कानून बनाना चाहते हैं लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। वह इंडिपेन्डेन्ट होकर खड़े हो जायंगे। चीज वही रहेगी, सिर्फ नाम बदल जायगा। आपको मालूम होगा कि "सियासत" अखबार को गैर-कानूनी बनाया गया, लेकिन वह आज भी है, सिर्फ उसका नाम "सियासत" से बदल कर "सियासते नौ" हो गया है। तो हजूरेवाला, कायदे-कानूनों से यह काम नहीं हो सकता।

हुजूरेवाला, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि न तो तनख्वाह बढ़ाने से काम चलेगा और न तनख्वाह घटाने से काम चलेगा बल्कि आपको उनमें परोपकार की भावना भरनी होगी, उनको ट्रेन करना होगा। उनको ऐसे आश्रम में जाकर ट्रेनिंग लेनी चाहिये जहां पर तपस्वी, साधु, सन्यासी और विद्वान सच्चरित्र लोग हों। पहले राजाओं के लड़के गुरू के यहां पढ़ने जाया करते थे। हमारे गोविन्द सहाय जी फरमाते हैं कि बच्चों को सिखलाइये लेकिन मेरी गुजारिश है कि बूढ़ों को पहले सिखाइये। उनको आश्रम में जाकर ट्रेनिंग लेनी चाहिये। नतीजा क्या हुआ ? धर्म गलत है, ईमान गलत है। सरकारी कर्मचारी ऐश के लिये नौकरी करते हैं, सेवा के लिये नहीं। यह तरीका हमारे कुछ कर्मचारियों का हो गया है। मैं यह तो नहीं कहने की जुर्रत करूंगा कि हमारे सभी सरकारी कर्मचारी खराब हैं, या घूसखोर हैं। उनमें अच्छे लोग भी हैं जिनमें देश के प्रति अच्छी भावना है, राष्ट्र-प्रेम है। जैसा मैंने अभी कहा था, अंग्रेजों के जमाने में हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति में उनसे भी सहायता उनके तरीके से जो भी वह अपनी जगह पर रहते हुये कर सकते थे, मिली थी। तो यह कहना कि सभी सरकारी कर्मचारी निकम्मे हैं यह बात सत्यता से परे होगी।

हुजूरवाला, एक श्लोक है 'यावत् जीवेत सुखं जीवेत् ऋणम् कृत्वा घृतमपीवेत्, भस्मीभूतस्य हेस्यपुनरा जन्मम् कुतः।" जब तक जीओ आराम से रहो, कर्ज लो और घी पीयो। यह सेवा कुछ सरकारी कर्मचारियों का हो सकता है लेकिन सबका नहीं। अब हो गया है यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणम् हत्वा हत्वा सुराम् पीवेत्। जब तक जीओ, मारो, काटो शराब पीयो। ऐश करने के लिये थानेदार थानेदारी करता है, पब्लिक को चोर-डाकुओं से बचाने के लिये नहीं करता। ऐश करने के लिये डिप्टी कलेक्टर डिप्टी कलेक्टरी करता है, जनता की सेवा की भावना से नहीं। तो उनमें यह भावना भरनी होगी कि पब्लिक की सेवा के लिये मिनिस्टर हैं। जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर १८ घंटे काम करते हैं वैसे ही क्यों नहीं ये लोग भी काम करते ? क्यों नहीं वैसे ही एक चपरासी भी करता है ? खंजर चला किस पर तड़पते हैं हम मीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। आपको यह भावना सरकारी कर्मचारियों में भरनी होगी जो आपके दिल में है। कान की खूबसूरती सोने का कुण्डल पहनने से नहीं है। कान की खूबसूरती है अच्छी बात सुनने से। हाथ की खूब

सूरती सोने का कड़ा पहिनने से नहीं होती है । हाथ की खूबसूरती होती है अच्छे काम करने से । हाथ वह सुन्दर है जो अच्छा काम करे । चेहरे की खूबसूरती चन्दन लगाने से नहीं हो सकती । इंसान की खूबसूरती होती है परोपकार करने से । दुखियों का दुख दूर करने से मनुष्य को सुन्दरता बढ़ती है । एक उर्दू के शायर ने कहा है 'दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिय कम न थे करोबियां' । तो परोपकार की भावना भरी जायगी तभी रिश्वत बन्द होगी । काम तेजी के साथ होंगे और ठीक होंगे । जब काम ठीक होंगें तो पैदावार बढ़ेगी, बेईमानी और ईमानदारी दोनों साथ नहीं चल सकती हैं । ट्रेनिंग दीजिये परोपकार करने की ताकि सब काम मुनासिब तरीके से हों ।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत ही आभारी हूं कि आप ने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया ।

सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस अनुदान पर बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रशासन सम्बन्धी अनुदान इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है । कटौती के प्रस्ताव का मैं घोर विरोध करता हूं । जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है वह एक ऐसे दल के नेता ने पेश किया है जिन्होंने सब से पहले यह कहा कि इस सरकार के मुंह में अंग्रेजी की बोली और हाथ में गोली । चूंकि वह इस सदन में इस वक्त विराजमान नहीं हैं, उनके साथीगण मौजूद हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि जब किसी विदेशी से वार्तालाप किया जाता है जो हमारी भाषा हिन्दी को नहीं जानता है और हमारे विपरीत चलता है उससे हमेशा उसी भाषा में बात करनी चाहिये जिसमें वह उन बातों को समझता हो । जहां तक गोली का प्रश्न है, जब जब कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध राजनारायण जी जैसे नेताओं ने, जिनका हम आदर सत्कार करते हैं, अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये उपद्रव उठाया तो शासकगण ने उनके उस उपद्रव को दबाने के लिये समय के अनुसार गोलियों का भी प्रयोग किया । यदि आप का स्वयं का भी राज्य हो, अव्वल तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन यदि हो भी तो आपको भी इन परिस्थितियों में गोलियों का प्रयोग करना पड़ेगा ।

उन्होंने दूसरी राष्ट्रभाषा की बात कही, इस बात में मैं उनका साथ देने को तैयार हूं । जब हमारी मातृभाषा हिन्दी है, तो आफिसर लोग अंग्रेजी में नोट क्यों देते हैं ? मैंने राजनारायण जी को भी देखा, सेक्रेटेरियट के अधिकारियों को तो वे काम करने नहीं देते, उनको चक्कर में लगाते हैं, जब वे उनसे बातें करते हैं तो अंग्रेजी में ही करते हैं और सरकारी आफिसर हिन्दी में जवाब देते हैं । यह है आप का हिन्दी का प्रचार, हिन्दी का प्रम, हिन्दी का स्नेह, लेकिन म माननीय मंत्री जी से सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि वे कम से कम इस सेक्रेटेरियट में और इस सूबे में हिन्दी अवश्य कर दें और सरकारी अधिकारियों को हिन्दी में फाइल लिखने के लिये कहें । न्यायालयों में भी हिन्दी होनी चाहिये ।

एक बात उन्होंने बड़े और छोटों की और कही । श्रीमन्, मैं बता देना चाहता हूं कि बड़े लोगों को आयु अधिक होने के कारण अधिक अनुभव होता है । माननीय राज नारायण जी ने भी बड़ों के अनुभव पर ही चल कर सफलता प्राप्त की है और आज एक बड़े नेता हैं लेकिन पढ़ना और गुनना अलग-अलग बात है । पढ़ने से सांसारिक ज्ञान तो हो ही जाता है लेकिन आत्मिक ज्ञान नहीं होता है । धीरे-धीरे हो सकता है लेकिन अभी आप को नहीं हुआ है । वह बड़ों के आदर से ही होता है ।

राजनारायण जी जैसे नेता के मुंह से छोटे लोगों की बात सुन कर मुझे दुःख हुआ । उपमंत्री जी बोल रहे थे तो आप ने कहा आप से क्या बात करें ? इसलिये कि आप हमारे समान नहीं हैं । क्या यही समाजवाद है आप का ? क्या मुख्य मंत्री जी से ही आप बातें कर सकते हैं ? आप इतने बड़े नेता हो गये कि आप की बात का भी कोई जवाब नहीं दे सकता ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—आप मुझे ऐड्रेस करें।

श्री हरीसिंह—मैं आप के द्वारा श्री राजनारायण जी से एक बात कहना चाहता हूं कि पुराने जमाने में जैसे उन्होंने ग़रीब मजदूरों का शोषण किया है इसलिये वहां परिपाटी वह हाउस में चलाना चाहते हैं—छोटे और बड़े की। क्या इसी प्रकार से आप समाजवाद लाना चाहते हैं? मैं आप के द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि आप सदन में छोटे-बड़े की बातें न करें बल्कि समानता की बातें ही करें।

एक बात और है, अधिष्ठाता महोदय, ...

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कई रूपों का वर्णन कर रहे हैं।

श्री हरीसिंह—श्रीमन्, क्षमा कीजिये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि कुछ दिन हुए सरकार ने यह तय किया कि ५५ के बजाय ५८ कर दिया जाय। यह कार्य ग़लत हुआ। इसलिये जैसे शिव ने जहर पिया था वैसे ही हमें जहर पी लेना चाहिए और ५५ साल ही रखना चाहिए क्योंकि आज जो छोटे वर्ग कहे जाते हैं वह भी अधिकारी वर्ग में सम्मिलित होने लगे हैं, वह लोग भी अधिकारी बन कर आने लगे हैं और अगर आप ५५ को ५८ और ५८ को ६० करते चले गये तो उन लोगों को कभी अवसर मिल ही नहीं सकेगा। इसलिये आप शीघ्रातिशीघ्र यह बतला दें कि ५५ वर्ष कब तक आप कर रहे हैं।

उसके बाद आप एक्सटेंशन देते हैं ६३ साल तक, ६५ साल तक। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का एक्सटेंशन न दें। यदि ५५ साल के बाद इस तरह से ५-५ साल बढ़ा दिया तो फिर ५५ साल रखने का फायदा क्या?

कुछ दो-एक विभाग ऐसे हैं, जैसे सिंचाई विभाग और पी० डब्लू० डी०, जिनमें बड़ा है भ्रष्टाचार है और कहने के बावजूद भी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। उनमें सभी कर्मचारी तो ऐसे नहीं हैं, जनता के हित को चाहने वाले भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो महज अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। देश का भला हो, बुरा हो, कुछ भी हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है, उसका खयाल नहीं किया जाता। तो कम से कम ऐसे विभागों और ऐसे अधिकारियों पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये जिससे ठीक प्रकार से कार्य चल सके और पैसे का सदुपयोग हो।

विरोधी सदस्यगण जो तरह-तरह से लांछन लगाते हैं, तो यह आज की ही बात नहीं है, यह तो भारतवर्ष की जलवायु, भूमि और अन्न की कशिश है कि जब-जब अपना शासन हुआ तब-तब चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, एक दूसरे की बुराई निकालते रहे। आज से नहीं बल्कि युगयुगान्तर से यह देखने में आया है। इतिहास में यही चीज मिलती है। लेकिन जो अच्छे सुझाव हों उनको मंत्री महोदय को अवश्य मान लेना चाहिये और विरोधी लोगों को भी जो बात सही हो उसे गलत नहीं कहना चाहिए।

प्लानिंग के बारे में मैं स्वयं महसूस करता हूं कि जो कर्मचारी हैं वह सही कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। वाकई में जीपों में बैठकर घूमते हैं। उनको यह ज्ञान नहीं कि बिना वर्षा के चना क्यों नहीं पैदा होता, खेती के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं है। शिक्षा है तो कोट पतलून की शिक्षा है और वे जाते हैं उन लोगों में जो मैले धोती कुर्ता पहने खेतों में काम करते हैं। मेरा निवेदन है माननीय मुख्य मंत्री जी से कि इस प्लानिंग डिपार्टमेन्ट को वह स्वयं देखें, उनके पास वह रहा भी है। जो इसके कर्मचारी हैं आज वह अच्छे ढंग से अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं।

जहां तक तनख्वाह का सवाल है वह बधाई के पात्र हैं। यहां ऋषियों मुनियों और जो बड़े बड़े लोग हुए हैं उन्होंने स्वयं त्याग किया है। मैं सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह उनका परम कर्त्तव्य है कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी तनख्वाह घटाई तो उन पर भी इसका प्रभाव पड़े। गांधी जी में यही विशषता थी कि जिस चीज को वह करना चाहते

थे उसे पहले अपने पर घटाते थे तब दूसरों पर लागू करते थे। आज हमारे मुख्यमंत्री जी को २/३ महीने हुए उन्होंने करीब ५५ लाख रुपये की बचत की और जो बजट आपके समक्ष है जोकि अभी पारित नहीं हुआ है उसमें कई करोड़ रुपये की बचत होगी जो जनता के लाभ के अन्य कामों में खर्च किया जा सकता है।

आज तक, अध्यक्ष महोदय १८ फीसदी रिजर्वेशन पूरा नहीं हो पाया किसी भी विभाग में। मैं तो चाहूंगा कि या तो यह रिजर्वेशन हो, नहीं तो इस रिजर्वेशन वाले क्लाज को समाप्त कर दिया जाय।

इसके अलावा हरिजन विभाग के जो अधिकारी हैं वे जनता के रुपये का दुरुपयोग कर रहे हैं। किसी बाल्मीकि के घर का खा नहीं सकते। जो हरिजन सहायक अधिकारी हैं। वे सरकार की बुराई के अलावा और कोई काम नहीं करते। हरिजन लोग हरिजन अधिकारी बहुत कम हैं हमें आशा थी कि इस विभाग के खुलने से समाज के अन्दर जो सामाजिक ऊंच नीच का भेदभाव है वह खत्म होगा। लेकिन हो यह रहा है कि हजारों और लाखों की तादाद में आज हरिजनों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, ईसाई बन रहे हैं। भजन मंडली तथा जलसे से कोई लाभ नहीं होता सिवाय इसके कि अधिकारी लोग रुपया खर्च करते हैं। अच्छे-अच्छे भजनोपदेशक गांवों में भेजे जायं तब कुछ काम हो सकता है। जो हरिजन अधिकारी ५२-५३ हैं इनको खत्म किया जाय और इस विभाग के सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा १८ फीसदी रिजर्वेशन को भरसक पूरा करने का प्रयत्न किया जाय।

*श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---अध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान है वह बड़े महत्व का है और बहुत जिम्मेदारी का है। इसका इंतजाम से सम्बन्ध है। देहात में जो साढ़े ४ करोड़ के करीब जनता रहती है वहां की क्या दशा है, उसके जानमाल की रक्षा का क्या उपाय है इस पहलू से इस विभाग को देखना है। लखनऊ में तो अच्छी-अच्छी सड़कें हैं, सब आराम हैं, लेकिन देहात में क्या है इसको भी देखा जाय।

देहात में सबसे बड़ा इंतजाम का अफसर चौकीदार है, जिसको ५ रुपये मिलते हैं। उसके बाद दूसरा अफसर लेखपाल है। अब तीसरा एक हो गया पंचायत सेक्रेटरी और चौथा होने जा रहा है ग्राम सेवक। लेखपाल और चौकीदार पर वहां की जानमाल की रक्षा का इंतजाम करने की जिम्मेदारी है, लेकिन हो यह गया कि वह जानमाल के भक्षक बन रहे हैं। लेखपाल के गलत इंदराजात होने की वजह से काफी करप्शन हो रहा है, लड़ाइयां और मुकदमे बढ़ते चले जा जा रहे हैं। जिन मुकदमों को डिप्टी लोग जल्दी तय करते थे जिनकी तादाद २-३ हुआ करती थी उनकी तादाद भी बढ़ गई और मुकदमे भी बढ़ गये। नतीजा यह है कि १-२ साल तक मामूली मुकदमे तय नहीं होते। दीवानी के मुकदमें का यह हाल है कि ३-४ साल तक तय नहीं होते। हाई कोर्ट में १९५१ तक के मुकदमे पड़े हुए हैं। जब इन्साफ के मामले में यह हाल हो, इतने मुकदमे हों तो वहां की रियाया कैसे सुखी रह सकती है? यही सबसे बड़ी कसौटी हमारे इंतजाम की है।

आज कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टरों का क्या काम है? चंदा जमा करने और कमेटी में जाने से ही फुरसत नहीं मिलती, मुकदमे क्या करें। ११ बजे कचहरी आये और फिर १ बजे लंच के लिये चले गये। पूछा जाय कि कहां गये डिप्टी साहब तो पता चला कि कमेटी में गये हैं। कोई कमेटी ऐसी नहीं जिसमें सरकारी आफिसर मौजूद न हों। कमेटियां उनके जिम्मे और मुकदमे उनके जिम्मे तो न कमेटियों का काम वे कर पाते हैं और न मुकदमे ही कर पाते हैं। लिहाजा कमेटी करने वालों से मुकदमों का काम हटा लीजिये और मुकदमें करने वालों से कमेटी का काम हटा लीजिये वरना गांव की जनता आती है और तारीख पड़ जाने की वजह से लौट कर चली जाती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टीकाराम]

अगर सरकार मेरे तीन सुझाव को मान ले तो उसे फिर कोई तकलीफ न हो। देहातों में डकैतियां पड़ रही हैं, आगें लग रही हैं कत्ल हो रहे हैं जिससे वहां के रास्ते बन्द हैं। मैंने थाना हुसेत, जिला बदायूं के बारे में जुलाई, ५९ से दिसम्बर, ६० तक २१ वाकयात डकैती के तारीख वार दर्ज कर के मुख्य मंत्री को दिये, कप्तान को दिये लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां के थानेदार को आज तक नहीं हटाया गया और जिन लोगों ने मुझ से कहा और मैंने मंत्री महोदय से कहा कि फलां फलां आदमी हैं तो उनके खेत कटवा लिये गये, उन पर सख्ती को जा रही है और उनकी जान के लाले पड़ गये हैं। इसकी वजह यह है कि हर गांव में पुलिस के दलाल रहते हैं जो डकैतों से भी मिले रहते हैं और पुलिस से भी मिले रहते हैं।

इसका इलाज यह है कि जिस तरह से लाइनें जब तोड़ दी जाती थीं तो सरकार ने यह व्यवस्था कर दी थी कि जिस गांव के सामने लाइन उखड़ेगी उस गांववाले ही जिम्मेदार होंगे, उसी तरह से गांव सभाओं को सरकार इस बात के लिये जिम्मेदार करार दे कि वह गांव के इन्तजाम के लिये जिम्मेदार हैं। जिस गांव की आबादी २५० के ऊपर हो वहां दो आदमियों को असलाह दिये जायं और उनसे कहा जाय कि तुम पकड़े जाओगे अगर कोई कत्ल हुआ या डकैती पड़ी तो। इस तरह से वे डरेंगे और खुद इसका इन्तजाम करेंगे। जब तक कोई गांव वाला डकैतों के साथ न हो तब तक डकैती नहीं पड़ती और जब तक चोरों के साथ न हो तब तक चोरी नहीं होती। लिहाजा खुद उनको घेरा जाय और उनको इसके लिये जिम्मेदार ठहराया जाय तो न बैल खुलेंगे और न डकैती पड़ेगी। साथ ही लेखपालों को हिदायत हो कि हर इंतखाब की नकल वह साल भर में दे और उसके कागज में जो गड़बड़ी हो उसे वह दुरुस्त कर ले तो आधा काम इस तरह से वहां का दुरुस्त हो जायगा।

एक बड़ी बात यह है कि सरकार ने सरकारी मुलाजमीन के जिम्मे चन्दा रख दिया है बचत योजना के लिये। पंचायत सेक्रेटरी जाय या लेखपाल जाय, वे बचत योजना के लिये रुपये मांगते हैं। इसी तरह से थानेदार, तहसीलदार सब अलग-अलग मांगते हैं। एक किसान और बचत योजना के इतने भिखारी जब लोग पैसा देते हैं तो सरकारी अफसरान इंसाफ ठीक से नहीं कर पाते हैं। चन्दा मांगने जब वे जाते हैं तो उनका मुंह इंसाफ के समय बन्द हो जाता है। जो बचत योजना में बड़ा पैसा देते हैं वे अपना काम भी फिर इन्हीं सरकारी अफसरों से कराते हैं। पटवारी का कोटा बंध जाता है कि इतने हजार तुम्हें बचत योजना के लिये जमा करने होंगे वरना बस्ता रख दो। पंचायत सेक्रेटरी का भी इसी तरह से कोटा बंधा है वरना उसका बस्ता भी रखवा लिया जाता है। तो यह भीख मांग कर बचत योजना के लिये रुपया जमा किया जाता है और यह बचत योजना वाला रोग बहुत दूर तक चला गया है। गांव वालों को यह धारणा हो गयी है कि अस्पताल में जाओ तो एक आना परची लिखायी का पड़ता है। है तो यह कि किसी से मांगो, अगर कोई पुण्य करे तो ले लो नहीं तो जबर्दस्ती न करो लेकिन वहां तो सौ सौ रुपये के टिकट दे दिये गये। इसलिये अब उन्हें तो लाजिमी है बेचना और वे एक आना हर एक से ले लेते हैं। यह मैंने सदर अस्पताल में भी देखा और जो छोटा अस्पताल मेरे यहां है वहां भी देखा। तो क्या सोलें बेचने का यह तरीका है? मैं आध घंटे खड़ा रहा, वह मुझे पहचान नहीं सका। बाद में मैंने कहा कि क्या यह तरीका है टी० बी० सील बेचने का। उसने कहा कि यह तो जिसकी मर्जी आये दे। मैंने कहा कि आधा घंटा हो गया मुझे खड़े हुये, किसी से तुमने कहा कि इच्छा हो तो दो। गांव वालों के दिल में यह बैठ गया है कि एक आना परची लिखायी का ले लेते हैं।

पंचायतों के मुताल्लिक सुनिये। पंचायतों में इतनी धांधलियां हुई है कि कुछ कहना नहीं। मुझे मंत्री जी का जवाब मिला है कि एक मुकाम है खैरा जलालपुर, वहां के बी० डी० ओ० की शिकायत आपको प्राप्त हो गयी। इसी तरह से मेरे ब्लाक गुलरिया में १२ हजार रुपये बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० और छोटे मोटे कर्मचारियों ने इस तरह से वसूल किया कि दक्षत के वक्त पर ५ रुपये फी राय बढवाई के लिये। इसी तरह से एक गांव के सेक्रेटरी ने, एक गांव के प्रधान ने

किसी से ४०० रुपये तय किये। वह फेल हो गया तो तहसील बदायूं में उसका अंगरखा पकड़ कर डेढ़ सौ रुपया उसी वक्त ले लिया और बाकी ढाई सौ के लिये कहा फिर ले लेंगे। ये हालतें हुई हैं पंचायतों के चुनाव में। आखिर को गांव में ही जाना है वहीं रहना है तो जरा उस तरफ भी निगाह करो, इन महलों का ही खयाल न करो, ये तो पहले से ही ऊंचे चले आ रहे हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने अपने विचार ईमानदारी से इस सदन में रखने का प्रयास किया अवश्य हम यह चाहते हैं कि जिस मुल्क को व्यवस्था के लिये यह सदन बैठा है उस मुल्क की व्यवस्था ठीक करने की कोशिश होनी चाहिये और जबतक कि हम अपनी कमजोरियों को, अपने मुल्क के रहने वालों की कमजोरियों को और अपनी सरकारी मशीनरी की कमजोरियों को ठीक तरह से नहीं देखते और उसका उपाय नहीं ढूंढते तब तक हम आगे अपने मुल्क में तरक्की कर पायेंगे, इसमें मुझे संदेह है।

हम यह चाहते हैं कि जहांतक ला ऐंड आर्डर का सवाल है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जो पावर्स हैं उसमें हमारी जनता की तरफ से और सरकार की तरफ से कोई इंटरफियरेंस होना नहीं चाहिये। हम भी देखते हैं, बहुत से हमारे मिनिस्टर साहबान भी बाज़ वक्त हमसे बड़े अप्रसन्न हुये और कहा कि आप इसमें दखल नहीं दे सकते। हमने कहा कि हम जानते हैं हम मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन के लिये जिम्मेदार हैं, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि मुल्क की व्यवस्था के लिये आपको हमें सुनना होगा और सुनना चाहिये। परन्तु जहां तक ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था का प्रश्न है, हमारे मुल्क में जो कंट्रोल और ऐडमिनिस्ट्रेशन है वह बहुत लूज़ हो गया है और इसके लिये हमें चाहिये कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर हम पूरे तौर से एतकाद रखें और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को तगड़े तौर से इस मुल्क में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहिये वरना इस मुल्क में ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था रोज ब रोज डेटरियोरेट होती चली जा रही है जो हमारे मुल्क की शान्ति के लिये एक शुभ लक्षण नहीं है।

अब मैं इसके बाद यह बताना चाहता हूं कि यहां पर बहुत कहा गया है कि सरकारी आफिसरान खराब हैं, ऐसे हैं और वैसे हैं, लेकिन जिन साहबान ने अपने विचार प्रकट किये हैं वे बिलकुल गलती में हैं। उन्होंने देखा नहीं कि हमारे आई० सी० एस० आफिसरान की जो ट्रेनिंग होती है उसको देखने से मालूम होता है कि कितनी ऊंचे तरीके की ट्रेनिंग होती है। आई० सी० एस० आफिसर के पास जब कभी भी मैं गया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ५ मिनट की मुद्दत पर बात हुई और उसपर बातचीत करने के बाद हमें बड़ी खुशी हुई परन्तु हमारे जो आई० ए० एस० आफिसर हैं, मुझे बड़ा दुख है और खेद है कि इनकी ट्रेनिंग इस प्रकार की है, इतनी कच्ची ट्रेनिंग हमारी है कि हमारे जिलों के अन्दर जो आई० ए० एस० आफिसर हैं, उनका कार्य बहुत होपलेस है। किसी आई० सी० एस० आफिसर को जिलों में ८ साल के पहले चार्ज जिले का नहीं मिलता था लेकिन हम नौजवान लड़कों को जिले का चार्ज दे देते हैं, यह अनुचित है। बहुत ही तजुर्बेकार आफिसर, बहुत ही काबिल आफिसर जिला मैजिस्ट्रेट होने चाहिये। हम आपको बताना चाहते हैं, आई० सी० एस० आफिसर की ट्रेनिंग इस तरह की होती थी, वह ४ बजे प्रातः उठता था, स्नान करके ५ बजे से लेकर ९ बजे तक टेबिल पर जम जाता था और जितना वर्क होता था अपने घर पर खत्म करता था और कोई समय जाया नहीं करता था। आज भी दफ्तर में हम देखते हैं कि आई० सी० एस० आफिसर अपने काम पर जुटा रहता है लेकिन दूसरे जो आफिसर होते हैं जिनके काज को गोविन्द सहाय जी प्लीड करते हैं उनके लिये मैं कहता हूं कि यह हमने ऐसा सर्विस इंट्रोड्यूस की थी और इसलिये इन्ट्रोड्यूस की थी कि छोटी नौकरियों से ऊपर आये हुये लोग नीचे की सारी चीजों को जानते हैं, सारे लोगों की तबियतों को जानते हैं और उसका फायदा उठाना भी जानते होंगे, इसलिये हमने डाइरेक्ट रेक्रूटमेन्ट का तरीका अख्तियार किया लेकिन यह बहुत अनुचित है कि हम डाइरेक्ट रेक्रूटमेन्ट में इन्टरफियर करके प्रोमोशन कोटा

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

बढ़ाते जायं। जो आफिसर डाइरेक्ट नौकरियों में आते हैं वे जनता की छोटी-छोटी कमियां से बिलकुल परिचित नहीं होते और उसका फायदा भी उठाना नहीं जानते। यहां कहा गया कि वे लोग बड़े काबिल होते हैं और मुल्क के ऐडमिनिस्ट्रेशन को ठीक तरह से चला सकेंगे, यह बिलकुल गलत बात है। यह उन्होंने बिलकुल गलत दृष्टि-कोण से चीज को देखा है। सिर्फ उसूलों की बात की गई है लेकिन इन्सानी दुनिया में केवल उसूलों से ही काम नहीं चला करता। इंसान अपनी अच्छाइयों और कमियों दोनों को साथ लेकर चलता है और अगर हम केवल आदर्शों की बातें करते जायेंगे और मामूली दुनिया के आदमियों को आदर्श पर ले चल कर तरक्की करना चाहेंगे तो तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसलिये सरकार को मामूली अफसरों की दरहकीकत क्या स्थिति है, क्या उनकी ट्रेनिंग है, उसको देखना चाहिये और उसी के मुताबिक अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिये।

यह कहा गया कि सरकारी आफिसर पालिटिक्स में इन्टर करते हैं, राजनीति में हिस्सा लेते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेटिक इंस्टी-ट्यूशन द्वारा हम अपने मुल्क को तरक्की पर ले जाना चाहते हैं। इसके अन्दर हर सिटीजन का एक फंडामेंटल राइट है। कांस्टीट्यूशन में जो फंडामेन्टल राइट की धारा है, उसको ध्यान से पढ़ें तो मालूम होगा कि कौन इस देश का प्राणी है और सिटीजन है जो पालिटिक्स से अलग रह सकता है ? कोई भी नहीं रह सकता। आप सरकारी नौकरों को उससे अलग करना चाहते हैं जो नहीं कर सकते हैं। जबतक उनको वोट देने का अधिकार है तबतक उसके माने ही यह हैं कि उसको अपना वायस बताने का अधिकार है। इसलिये यह कहना कि सरकारी नौकर बिलकुल पालिटिक्स से कट आफ रहें यह कयास नहीं किया जा सकता। हम यह कह कर अपने कांस्टीट्यूशन के बाहर की बात करते हैं। पढ़े लिखे लोग जो कानून को समझते हैं, वह भी कानून के दायरे के बाहर की बात करें तो यह अनुचित है। हां, रोग लग सकती है और वह लगी हुई है। मैंने तो यहां तक सुना है कि सरकारी आफिसरान की स्त्रियां भी पालिटिक्स में भाग नहीं ले सकतीं। यह कैसे हो सकता है। अगर आप इस को कानून की तहत में कर भी लें तो भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है कांस्टीट्यूशन के मुताबिक, तो किस प्रकार से सरकारी आफिसर की औरत को पोलिटिक्स में भाग लेने पर उसको पेनेलाइज कर सकते हैं। कतई नहीं कर सकते और यह नामुमकिन है। इसलिये इस पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी नौकर एक मशीन के पुर्जे हैं और आपके हाथ में मशीन है। आज आपके आदमी ठीक हैं, आपके आफिसर्स ठीक हैं, लेकिन खराबी यह है कि आपकी मशीनरी के रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स बहुत पुराने हैं और जबतक आप उनको तब्दील नहीं करेंगे तबतक वह ठीक तरह से काम नहीं कर सकते हैं। जो आपके रूल्स ऐण्ड रेगुलेशन्स बने हुये हैं, उन्हीं के मुताबिक आपके आफिसर काम करेंगे। जो आफिसर टेबिल पर बैठेगा वह उन्हीं के मुताबिक तो फैसला करेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके आफिसर्स नई स्प्रिट से काम करें तो आपको उनको रूल्स ऐंड रेगुलेशन्स भी तो नई स्प्रिट के दें। जब तक आप इनमें परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक उन्हीं पुराने कायदों के मुताबिक काम चलेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बार-बार इस सदन में भाई गोविन्ददासजी की ओर से गलत व्यू प्रोपांउड कर दिया गया है। वह शिक्षा के सम्बन्ध में कहते हैं कि इसमें रेजीमेंटेशन आफ थिंकिंग होना चाहिये। बच्चों को जो किताबें पढ़ाई जायं वह सोशलिज्म की होनी चाहिये और हमारी शिक्षा सोशलिस्टिक पैटर्न से चलनी चाहिये। मैं कहता हूं कि यह चीज बिलकुल गलत है क्योंकि सरकार कल बदल सकती है। आज सोशलिस्ट सरकार के बजाय कल कम्यूनिस्ट सरकार हो सकती है तो क्या आप समझते हैं कि वह आपके सोशलिस्टिक पैटर्न ही रखेगी ? यह कभी नहीं हो सकता है। वह अपना पैटर्न रखेगी। कल जनसंघ आ सकता है। कौन कह सकता है कि नहीं आ सकता ?

आ सकता है और यह मुमकिन हो सकता है। अगर जनसंघ पावर में आया तो उस समय ऐजूकेशन का पैटर्न क्या होगा? क्या आप रोज इस तरह से एजूकेशन के पैटर्न को बदलते जायेंगे? यह कितना गलत व्यू है जो सदन में प्रोपाउन्ड कर दिया गया है। मैं कहता हूं कि बच्चों की एजूकेशन एबव पोलिटिक्स होनी चाहिये। गोविन्दसहाय जी ने कहा कि मैं रेजीमेंटेशन के खिलाफ हूं और रिआरिएन्टेशन चाहता हूं लेकिन उनकी रिआरिएन्टेशन की पिक्चर भी एक तरह से रेजीमेन्टेशन की ही है। बच्चे की रेजीमेन्टेशन शिक्षा करने के माने मुल्क के लिये खतरे की घंटी है। इस तरह से मुल्क में आप ठीक व्यवस्था नहीं कर रहे हैं।

मैं मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे यहां रिटायरिंग एज ५५ साल ही होनी चाहिये। मैंने ही सवाल उठाया था और कहा था कि आप मुल्क के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं और हमारा मुल्क बरबाद हो सकता है, मुल्क को हम इससे बचा नहीं सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब आदमी ५५ से ज्यादा हो जाता है तो वह एक्जास्ट हो जाता है। 'Instead of rendering any service he doses on the table.' अगर आप तनख्वाह काम न करने के लिये देना चाहते हैं तब तो आप भले ६० कर दीजिये वरना नौजवानों को रखिये। अगर आप मुल्क की खिदमत एफीसियेंसी से करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी रिटायरमेन्ट एज ५५ वर्ष की जानी चाहिये।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने विरोधियों की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव चल रहा है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, नौ दफा मैं खड़ा हुआ लेकिन मुझे समय नहीं मिला। एक किसान आया है जिससे सब घबड़ाते हैं कि हमारी पोल खोलेगा। ऐसा तो न होना चाहिये सदन में, या तो मुझसे कह दें मैं इस्तीफा दे दूं। मैं किसानों का प्रतिनिधि हूं। ऐसा न होना चाहिये। यह सदन में अन्याय हो रहा है और श्रीमन्, आप भी सोच कर काम नहीं करते हो। एक किसान का बेटा, नौ-नौ दफा खड़ा होता है, उसको समय नहीं मिलता। फिर कहा गया कि यह सदन है। यह सदन नहीं है। यह ऐसे आदमियों का एक वर्ग है जो देश का नाश करेंगे और बाद में अपना भी नाश करेंगे।

श्री अध्यक्ष—आप छः दफा बोल चुके हैं।

श्री टीकाराम पुजारी—आप जनता के वोटों से नहीं आये हैं। मैं जनता से चुन कर आया हूं। जनता ने मुझ से कहा है कि हमारी सारी बात सदन के सामने कहो। श्रीमन्, मेरी बात नहीं सुनी जाती है। अन्याय हो रहा है। सरकार निकम्मी, नेता निकम्मे। आप पर विश्वास न मेरा रहा है, न रहेगा।

(तत्पश्चात श्री टीकाराम पुजारी सदन से जाने लगे, किन्तु कुछ दूर जाकर श्री पुजारी खड़े हो गये, इसपर श्री अध्यक्ष ने उनसे चले जाने को कहा और वह चले गये।)

श्री बंशीधर शुक्ल—माननीय अध्यक्ष जी, जो यह सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में वाद-विवाद चल रहा है यह आज तक कांग्रेस कमेटी ने तय नहीं किया कि हमारे देश का शासन कैसा हो। जब कांग्रेस कमेटी सरकारी पार्टी बनी है तब भी नहीं कहा कि हमारे देश में कैसा शासन हो। दो चार मिनट में मैं नहीं समझा सकता हूं कि हमारे देश में शासन कैसे हो, अन्यथा कठिन बात नहीं है। यह बताया जा सकता है, लिखा जा सकता है और पढ़ाया जा सकता है। शासन कोई ऐसी कठिन चीज नहीं है। मैंने एक पुस्तक लिखी है कि भारतीय पार्लियामेंटरी शासन कैसा हो, मगर उसे छपाने का साधन नहीं है, जिसे स्टैलिन और मार्क्स भी नहीं काट सकते। किस ढंग से प्रजातन्त्र चले इस बारे में सभी जानते हैं। अगर सब मिल कर उसको चलायें तो अच्छी तरह से चला सकते हैं। अगर आज आप भारतवर्ष को जिन्दा रखना चाहते हैं तो हम लोगों की बात सुनिये, नहीं तो आप तो डूबेंगे ही यार को

[श्री बंशीधर शुक्ल]

भी ले डूबेंगे। आपका शासन अपंगु और कुंठित हो गया है, आपके नौकरों ने आपके मन्त्रियों को बदनाम कर दिया है। मैं कहता हूं कि अगर आपने अपने नौकरों पर कन्ट्रोल नहीं किया तो डूब जायेंगे। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर यह सब सदस्य किस मर्ज की दवा हैं? वह नौकरों के नौकर हैं या नौकरों के नौकरों के खिदमतगार हैं? एक मन्त्री जी जाते हैं तो कहां ठहरते हैं? डी० सी० साहब के बंगले पर। वहां दावत खाते हैं, एस० पी० के घर पर। आप को शर्म होनी चाहिये। कहीं ठौर नहीं तो अपनी कांग्रेस कमेटी में ठहरिये, किसी सदस्य के यहां ठहरिये, जनता में ठहरिये। आप डी० सी० और एस० पी० के यहां क्यों ठहरते हैं? वही हमारे ऊपर जुल्म करते हैं। हम विरोधियों पर विश्वास न कीजिये, तो अपने आदमियों पर तो विश्वास कीजिये। एक सदस्य लिख कर देता है कि यह जुर्म हुआ, लेकिन आप नहीं मानते जबतक एक गिरदावर कानूनगो या थानेदार लिख कर नहीं देता है। यह प्रजातन्त्र है? आपकी सरकार फेल हो गई. आपकी पार्टी समाप्त हो गई। मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप चाहते हैं देश को जिन्दा रखना, तो भले-भले आदमियों और ईमानदारों को अपनाइये कि प्रजातन्त्र चले तो नौकरों को कम कीजिये। २६ विभाग मैंने पहले बताये थे कि तोड़ दीजिये। पंचायतों की बात जो आप करते हैं, तीन तीन गांवों की एक पंचायत रखिये, उसमें एक सभापति रखिये, तीन उप सभापति रखिये और प्रत्येक गांव से पांच-पांच सदस्य ले लीजिये.....

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखें।

श्री टीकाराम पुजारी द्वारा बार-बार भाषणार्थ खड़े होने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना देना चाहता हूं सदन को और स्वतन्त्र पार्टी को कि टीकाराम जो जो हैं वह इस बजट सेशन में ६ दफा बोल चुके हैं। अभी यहां पर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक दफा भी नहीं बोले हैं और वह चाहते हैं कि वह रोज बोलें। नहीं बोलने को इजाजत मिलती है तो बीच में खड़े हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि स्वतन्त्र पार्टी के नेता का यह कर्तव्य है कि वह उनको इस बात को समझावें कि कई लोग ऐसे भी यहां हैं कि जो साल-साल भर से नहीं बोले हैं। तो ऐसी हालत में दूसरों को मौका मिलना चाहिये, रोज वही नहीं बोल सकते हैं। और उनके बोलने के बारे में यह है कि बहुत सी बातें उनको समझ में भी नहीं आती हैं। तो मैं समझता हूं कि यहां इतनी हंसी भी नहीं होनी चाहिये, नहीं तो इसका नतीजा यह होगा कि उनको प्रोत्साहन इस बात का मिलता है कि लोग हमारी बात पर हंसते हैं और हमसे खुश होते हैं। उनको समझा देने की आवश्यकता है और इस तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं नेता स्वतन्त्र पार्टी का।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२० अप्रैल, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८११ पर।)

चम्बल नदी के किनारे स्थित आगरा जिले की बाह तहसील में १०,००० एकड़ कगारों में सुधार की योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में शुरू की जायगी। कगारों का सुधार निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जायगा—

(क) यान्त्रिक विधियों द्वारा—

(१) इस विधि से मिट्टी के अवरोध बांध बनायें जायेंगे तथा पानी के निकास का प्रबन्ध पक्के निकासों द्वारा किया जायगा।

(२) कगारों को डायनामाइट तथा अन्य साधनों द्वारा तोड़कर बराबर किया जायगा।

(ख) खेती की उन्नतिशील विधियों द्वारा भूमि की क्षमता के अनुसार खेती करने घासों के उगाने तथा वनारोपण करने की योजना बनायी जायगी।

संसद भवन

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१४ पर।)

उत्तर प्रदेश में १ अप्रैल, १९६१ को खोले गये नये पूर्व प्रसार (Pre-extension) खण्डों की सूची

क्रम-संख्या	खंड का नाम	जिले का नाम
१	पुन्बकी	सहारनपुर
२	कैंघला	मुजफ्फरनगर
३	भोजपुर	मेरठ
४	दादरी	बुलन्दशहर
५	सासनी	अलीगढ़
६	मुरसान	अलीगढ़
७	माट	मथुरा
८	दरोली अहिर	आगरा
९	बेवार	मैनपुरी
१०	जैथरा	एटा
११	रिछा	बरेली
१२	आकू	बिजनौर
१३	देहगवा	बदायूं
१४	घनोरा	मुरादाबाद
१५	जेतीपुर	शाहजहांपुर
१६	बरखेरी	पीलीभीत
१७	चमरावा	रामपुर
१८	ऐरवा कटरा	इटावा
१९	तालग्राम	फर्रुखाबाद
२०	सुरवनखेरा	कानपुर
२१	देवभई	फतेहपुर
२२	जसरा	इलाहाबाद
२३	बार	झांसी
२४	जालौन	जालौन
२५	पनवारी	हमीरपुर
२६	कमासीन	बान्दा
२७	सेवापुरी	वाराणसी
२८	सिखर	मिर्जापुर
२९	वरसाथी	जौनपुर

क्रम-सं०	खंड का नाम				जिले का नाम
३०	सावत	..	..	..	गाजीपुर
३१	चिलकाहार	..	..	..	बलिया
३२	उरवा	..	..	..	गोरखपुर
३३	खजनी	..	..	..	गोरखपुर
३४	सुकरौली	..	..	..	देवरिया
३५	रामपुर कारखाना	..	..	..	देवरिया
३६	बस्ती	..	..	..	बस्ती
३७	उस्का	..	..	..	बस्ती
३८	हरिया	..	..	..	आजमगढ़
३९	सथियाओं	..	..	..	आजमगढ़
४०	चिनहट	..	..	..	लखनऊ
४१	औरास	..	..	..	उन्नाव
४२	ऊंचाहार	..	..	..	रायबरेली
४३	महमूदाबाद	..	..	..	सीतापुर
४४	नाखा	..	..	..	खीरी
४५	बेहदर खुर्द	..	..	..	हरदोई
४६	हेरिगठनगन्ज	..	..	..	फैजाबाद
४७	गेंवस बुजुर्ग	..	..	..	गोंडा
४८	वजीरगन्ज	..	..	..	गोंडा
४९	हुसेनपुर	..	..	..	बहराइच
५०	कुवार	..	..	..	सुल्तानपुर
५१	मगरोरा	..	..	..	प्रतापगढ़
५२	निनवरा	..	..	..	बाराबंकी
५३	काशीपुर	..	..	..	नैनीताल
५४	लोहाघाट	..	..	..	अल्मोड़ा
५५	बाराहस्यून (पूर्वी)	..	..	..	गढ़वाल
५६	टेहरी	..	..	..	टेहरी-गढ़वाल

नत्थी 'ग'

(देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१६ पर)

इस हेतु विपणन की सहायता अथवा बिक्री केन्द्र खोले जायेंगे। हथकर्घा द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रचार किया जायगा। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की हिस्सा पूंजी को भी बढ़ाया जायगा जिससे कि विपणन की सुविधायें विस्तृत की जा सकें। गुण चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों के लिये निरीक्षण केन्द्र खोले जायेंगे जिससे प्रमाणित वस्तुओं का उत्पादन बढ़े और विपणन में सुविधा मिले। हस्तकला योजना के अन्तर्गत नवीन डिजाइन तथा प्रदर्शन कक्ष स्थापित करने के अतिरिक्त विज्ञापन का भी प्रबन्ध किया जायेगा। खादी योजना के अन्तर्गत भी एक नमूना निर्माण केन्द्र खोलने का विचार है जिसके द्वारा नये डिजाइन प्रचलित करने का प्रयत्न किया जायगा। गुड़ योजना के अन्तर्गत भी गुड़ गोदाम अथवा बिक्री केन्द्र खोलने का आयोजन है।

उपर्युक्त कथित साधनों का अभिप्राय ही यह है कि इन उद्योगों को बड़े पैमाने की मशीनी उद्योगों की अनुचित स्पर्धा से बचाया जाय। इस आशय से विभिन्न उद्योगों की सहकारी समितियां बनाये जाने का प्रबन्ध है जिससे कि वे सामूहिक रूप से उत्पादन करें अथवा उत्पादन के मूल्य में कमी हो सके, निम्नलिखित सुविधायें भी इसी आशय से दी जाती हैं---

(१) ऋण एवं अनुदान के रूप में सहायता,

(२) सामूहिक सुविधा केन्द्र की स्थापना,

(३) सस्ते दरों पर बिजली,

(४) नियन्त्रित कच्चे माल दिलाने की सुविधा,

(५) सरकारी विभागों द्वारा वस्तुओं के खरीदने पर १५ प्रतिशत तक मूल्य प्राथमिकता प्रदान करना।

इस प्रकार कुटीर उद्योग मशीनी स्पर्धा से बचाये जाते हैं।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०–१२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२३ पर)

श्री सजीवन लाल, एम० एल० ए०, द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या १० से १२ तक से सम्बन्धित तालिका

प्रश्न संख्या १०

तहसील	कृषि आयकर देनेवालों की संख्या		बृहत जोत कर देने वालों की संख्या	
	१३६४ फ०	१३६५ फ०	१३६५ फ०	१३६६ फ०
१	२	३	४	५
१—उन्नाव	८	१	५३	७२
२—पुरवा	१६	८	५६	७६
३—हसनगंज	२१	११	४८	६६
४—सफीपुर	२२	६	३६	४८

प्रश्न संख्या ११

तहसील	४० एकड़ से कम	४० एकड़ से ४५ एकड़ तक	४५ एकड़ से ५० एकड़ तक	५० एकड़ से ६० एकड़ तक	६० एकड़ से ७० एकड़ तक
१	२	३	४	५	६
१—उन्नाव	५	५	६	१२	१३
२—पुरवा	६	६	८	१२	१०
३—हसनगंज	६	८	८	११	७
४—सफीपुर	६	४	१	६	७
योग	२३	२३	२६	४४	३७

उन्नाव जिले के उन कर दाताओं के नाम तथा धनराशि जिनपर १३६५ फसली तथा १३६६ फसली का बृहत जोतकर बाकी है ।

प्रश्न संख्या १२

बाकीदारों के नाम	१३६५ फ० (रुपयों में)	१३६६ फ० (रुपयों में)
१	२	३
१—श्री रघुवंशी लाल		१६२.७२
२—श्री ग्रीस प्रसाद सिंह		२६२.१०
३—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह		२३५.६२
४—श्री ज्वाला सिंह		४५०.००
५—श्री रामदयाल		१३८.६४
६—श्री बनारसी प्रसाद		५,३४३.४४

बाकीदारों के नाम	१३६५ फ० (रुपयों में)	१३६६ फ० (रुपयों में)
१	२	३
७—श्री बसीधर		६३.९०
८—श्री बृजभूषण सिंह		१३.५०
९—श्री हरनाम सिंह		५९.६३
१०—श्री कौशल किशोर		५९.९०
११—श्री राजेन्द्र शंकर		२९.९३
१२—श्रीमती लाल मुन्नी		१३६.१०
१३—श्री काशी प्रसाद		७९.७७
१४—श्री प्रताप भान		९३.७५
१५—श्री रामग्रौतार		१७२.६५
१६—श्री गया प्रसाद		३३.२७
१७—श्री शिवबालक		३७.८२
१८—श्री कृष्ण चन्द्र		२९८.३०
१९—श्रीमती शारदा देवी..		६९७.५०
२०—श्रीमती बताश कुंवर		१५९.५०
२१—श्री बद्री नारायण		१५४.२८
२२—श्री राजा श्री राम		१६६.००
२३—श्री दया शंकर		६४.००
२४—श्री देवतादीन		३७.१७
२५—श्री रामग्रधीन सिंह		७१.३८
२६—श्री शम्भू रतन		३९.२०
२७—श्री सुन्दर सिंह		३४.१०
२८—श्री कुंवर गुरुनरायन		५२.०१
२९—श्री इन्द्र प्रसाद		*५,४२७.६०
३०—श्री इन्द्र प्रसाद		५,१४२.८०
३१—श्रीमती हमीद फातेमा	५९३.५२	*५७०.९३
३२—श्रीमती हमीद फातेमा		५,७३०.४०
३३—श्री सूबेदार बाबू सिंह		४७५.१०
३४—श्री निजामुद्दीन		३१०.२७
३५—श्री भारत सिंह		६६.९०
३६—श्री शिव दुलारे		१२४.७०
३७—श्री मान सिंह		६४.२५

*उन जोतों पर लगा हुआ कर जो १३६५ फसली में किसी कारण कर लगने से रह गई थी (अधिनियम की धारा १५)।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६–३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३३ पर)

संलग्नक

सूती मिलों की स्थापना तथा इससे संबंधित विषय भारत सरकार के अधीन हैं । प्रदेश की सूती मिलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये राज्य सरकार ने नवम्बर, १६६० में केन्द्रीय सरकार तथा टेक्सटाइल कमिश्नर, बम्बई, से यह निवेदन किया था कि चन्द मिलों में लगे निष्क्रय लघुओं तथा कर्घों (Idle spindles and looms) के बदले प्रार्थियों को नई सूती मिलें खोलने के लिये लाइसेंस दे दिये जाएं । चूंकि यह प्रदेश सूती वस्त्र उत्पादन के विषय में पिछड़ा प्रदेश है, तीसरी पंच वर्षीय योजना में अखिल भारतीय आधार पर प्रस्तावित अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की कुल वृद्धि का २५ प्रतिशत भाग इस प्रदेश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये और इस हेतु वर्तमान मिलों की वृद्धि (substantial expansion) तथा नई मिलों की स्थापना के निमित्त प्रयुक्त किया जाय । इस विषय में भारत सरकार के आदेश अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

तालिका

क्रम-संख्या	मिलों के नाम	बन्द होने की तिथि	अन्य विवरण
१	सर्वश्री राम चन्द्र टेक्सटाइल्स लि० हाथरस ।	१ मई, १६५७	..
२	लल्ला मल हरदेव दास मिल्स, हाथरस	१ जनवरी, १६५३	
३	इन्द्र स्पीनिंग एन्ड वीविंग मिल्स, आगरा ।	२८ मार्च, १६५८	
४	मुरादाबाद स्पिनिंग मिल्स, मुरादाबाद	७ मार्च, १६५६	मिल को लाइसेन्स पुनः प्राप्त हो गया है ।
५	काकोमी काटन मिल्स, कानपुर	.. १ जनवरी, १६५७	लाइसेन्स समाप्त कर दिया गया है ।
६	विक्रम काटन मिल्स, लखनऊ	.. मिल केवल सूत बना रही है ।	मिल जिला जज के अधीन अपाकरण में है व पट्टे पर ६–७–५६ से उठी हुई है ।
७	बनारस काटन मिल, वाराणसी	.. केवल बुनाई का काम होता है	मिल पट्टे पर १४–६–५४ से उठी हुई है ।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४०–४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३४ पर)

१७–९–६० से ३–१०–६० तक मन्त्रियों द्वारा सरकारी गाड़ियों तथा टैक्सियों में किये गये दौरों के माइलेज तथा पेट्रोल पर हुये व्यय का विवरण

नाम	सरकारी गाड़ी का माइलेज	सरकारी गाड़ी में खर्च हुए पेट्रोल का व्यय	टैक्सी का माइलेज	टैक्सी के किराये तथा पेट्रोल का व्यय
१	२	३	४	५
		रु०		रु०
१—डा० संपूर्णानन्द ..	२१०	६०.००	..	..
२—श्री जगमोहन सिंह नेगी ..	..	..	४२६	२३२.९९
३—डा० सीताराम ..	३३	७.५०	..	..
४—श्री अली जहीर ..	१८४	४३.५०	४७३	२१८.७९
५—श्री मोहनलाल गौतम ..	९१८	१८८.३७	..	..
६—श्री हुकुम सिंह विसेन ..	३००	अभी बिल प्राप्त नहीं हुआ।	२००	१०६.२५
७—श्री लक्ष्मीरमण आचार्य ..	१,३४९	२९५.२९	..	..
८—श्री गिरधारी लाल ..	६६	१५.००	१,०५७	५४९.७५

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६–५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३७ पर)

सूची (क)

१९ जनवरी, १९६१ को रुहेलखन्ड मन्डल की बैठक में उपस्थित विधायकों के नाम :—

१—श्री मुकुट बिहारी लाल, एम० पी०
२—श्री रामशरन, एम० पी०
३—श्री मोहन स्वरूप , एम० पी०
४—श्री ब्रिजपाल सरन रस्तोगी, एम० एल० सी०
५—श्री राम गुलाम, एम० एल० सी०
६—श्री ईशाक सम्भली, एम० एल० सी०
७—श्री अब्दुर रऊफ, एम० एल० सी०
८—श्री रामकुमार वैद्य, एम० एल० ए०
९—श्री मुहम्मद हुसैन, एम० एल० ए०
१०—श्री शिवराज बहादुर , एम० एल० ए०
११—श्री जगदीश प्रसाद, एम एल० ए०
१२—श्री किशनसिंह, एम० एल० ए०
१३—श्री देव नारायण भारतीय, एम० एल० ए०
१४—श्री हरदयाल सिंह, एम० एल० ए०
१५—श्री मुनेन्द्रपाल सिंह, एम० एल० ए०
१६—श्री मुबारक अली खां , एम० एल० ए०

सूची (ख)

१—पीलीभीत जिले के हेड वर्क्स डिवीजन में एक और एस० डी० ओ० कैनाल के पद की स्वीकृति दी जाय ।

२—रुहेलखन्ड मन्डल में एक टेक्निकल इन्सटीट्यूट आफ हायर एजूकेशन, एक मेडिकल कालेज तथा एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय ।

३—रामपुर जिले की चार तहसीलों तथा पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में एक एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोला जाय ।

४—बरेली जिले के शीशगढ़ नगर में एक अस्पताल/डिस्पेन्सरी खोली जाय ।

५—सदर अस्पताल पीलीभीत के लिये एक एक्स-रे मशीन लगाई जाय ।

६—बरेली में एक टी० बी० चिकित्सालय की स्थापना की जाय ।

७—बरेली ड्रेनेज स्कीम के लिये और अधिक धन स्वीकृत किया जाय ।

८—यातायात

मुरादाबाद—(क) गंगा तथा राम गंगा नदियों पर उपयुक्त स्थानों पर पुलों का निर्माण ।

(ख) जिले की डिलारी–गजरौला सड़क के निर्माण को प्राथमिकता दी जाय ।

शाहजहांपुर–(क) जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नवनिर्मित पुल पर कोई भी कर न लिया जाय ।

(ख) यदि शाहजहांपुर के राष्ट्रीय राज पथ के उप मार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव हो तो उसे स्थगित कर दिया जाय और उसके लिये प्रस्तावित धनराशि को जिले में नई सड़कें बनाने में प्रयोग किया जाय ।

(ग) मैलानी (खीरी) से शाहजहांपुर होती हुई फतेहगढ़ तक एक रेलवे लाइन का निर्माण होना चाहिए।

(घ) नगर में रेलवे क्रासिंग के ऊपर उपयुक्त पुलों का निर्माण होना चाहिये।

पीलीभीत---(क) बिलासपुर से बरेली तक पक्की सड़क का निर्माण।

(ख) बिलासपुर से खुदागंज तक सड़क का निर्माण।

(ग) किच्छा-जहानाबाद सड़क का निर्माण।

बदायूं---(क) बदायूं से ककराला तथा उझैत होती हुई फर्रुखाबाद तक एक पक्की सड़क का निर्माण।

बरेली---निम्नलिखित सड़कों का निर्माण किया जाय---

(क) नवाबगंज से बिलासपुर।

(ख) मीरगंज से शिरौली।

(ग) हाफिज गंज से सेयल स्टेशन।

(घ) हाफिजगंज से बिलासपुर।

(ङ) नबाबगंज से देवहा।

९---राज्य के लिये प्रस्तावित हैवी इलेक्ट्रिकल प्लान्ट की स्थापना मुरादाबाद में की जाय।

१०---रुहेलखन्ड मन्डल में एक गन्ना अनुसन्धान संस्था की स्थापना की जाय।

११---शाहजहांपुर के उद्योग के लिये प्रस्तावित ६ लाख रुपये के बजाय १० लाख रुपये दिये जायं।

१२---अन्य मांगें

(क) मुरादाबाद में एक अतिरिक्त चीनी मिल की स्थापना।

(ख) मुरादाबाद में एक ग्लास मिल की स्थापना।

(ग) मुरादाबाद में राजकीय क्षेत्र में एक स्टेनलेस स्टील उद्योग की स्थापना की जाय।

(घ) शाहजहांपुर तथा तिलहर में एक एक इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग कैम्प खोला जाय।

(ङ) पीलीभीत में एक इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीटयूट खोला जाय।

(च) पीलीभीत में लकड़ी के कार्य का एक केन्द्र खोला जाय।

(छ) पीलीभीत में फल संरक्षण उद्योग की स्थापना हो।

१३---हरिजनों से पीने के पानी के कुओं के निर्माण के लिये किसी प्रकार का चन्दा न मांगा जाय।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३७ पर)

मांगों की सूची

१—मोदी कपड़ा मिल में तुरन्त मंहगाई लागू की जाय और महंगाई का आधार दिल्ली माना जावे जो कि निकटस्थ केन्द्र है ।

२—सिल्क मिल के मजदूरों को वेज बोर्ड की सिफारिशों से लाभान्वित किया जावे और बढ़ोत्तरी का ८ रुपया जो इन मजदूरों को नहीं दिया गया, तुरन्त दिया जावे ।

३—क्लर्कों को वेतन मन्डल की सिफारिशों के अनुसार वेतन में बढ़ोत्तरी करके वार्षिक बढ़ोत्तरी की घोषणा की जावे ।

४—झूठे आरोप लगाकर निकाले गये मजदूरों को उनके स्थान पर काम पर लिया जावे ।

५—जहां कार्यभार बढ़ा है वहां काम करने वाले मजदूरों को लाभ का ५० प्रतिशत भाग दिया जावे ।

नत्थी ट

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३८ पर)

श्री रामदुलारे मिश्र द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ६२ से सम्बन्धित सूचना

शिल्पिक शिक्षा संस्था के अन्तर्गत लखनऊ में लड़कियों को प्राविधिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने हेतु निम्नलिखित ३ प्रकार का पाठ्यक्रम होगा ।

(अ) प्राइमरी साइकिल

ग्यारह वर्ष की लड़कियों के लिये यह पाठ्यक्रम ४ वर्ष का होगा ।

(ब) सेकन्डरी साइकिल

१४ वर्ष की लड़कियों के लिये यह ३ वर्ष का पाठ्य क्रम होगा । उपरोक्त दोनों साइकिलों में ५ ग्रूप (१) आर्ट ग्रुप, (२) कामर्स ग्रुप, (३) क्रैफ्टस ग्रुप, (४) फूड इन्डस्ट्री ग्रुप, (५) इंजीनियरिंग ट्रेड्स ग्रुप होंगे, इसके अतिरिक्त साधारण शिक्षा है (General Education) भी दी जायगी ।

(स) टरशरी साइकिल

१६, १७ वर्ष की लड़कियों के लिये यह दो से तीन वर्ष का पाठयक्रम होगा । इसमें शिल्पिक शिक्षा के निम्नलिखित १० विषय होंगे —

१—इलेक्ट्रोनिकस ।

२—फार्मेसी ।

३—स्टेनोग्राफी एवं सेक्रेटेरियट प्रैक्टिस बिजनेस करेस्पान्डेन्स के साथ ।

४—आर्कीटेक्चुरल ड्राफ्ट्समैनशिप ।

५—सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट्समैनशिप ।

६—कौस्ट्यूम डिजाइन व ड्रेस मेकिंग ।

७—कार्मशियल आर्ट ।

८—मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नालोजी ।

९—इंस्टिट्यूशनल मैनेजमेन्ट ।

१०—लाइब्रेरी साइन्स ।

२—लड़कियां उपरोक्त किसी भी एक साइकिल को पूरा करके पढ़ाई छोड़ सकती हैं ।

३—शिक्षा निःशुल्क दी जायेगी तथा छात्र-वृत्ति का भी प्रबन्ध है इस योजना के अन्तर्गत लड़कियों के छात्रावास की भी सुविधा रहेगी ।

४—उपरोक्त योजना को कार्यान्वित करने में ५ वर्ष में कुल २० लाख रुपये व्यय होने की संभावना है ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६६ एल० ए०—१९६१—८४५ ।